राजस्थान विधान सभा

इक्कीसवीं बैठक, दिनाँक २६ मार्च, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर २६ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६७५

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार बूंदी जिले में गत वर्ष उपज बिल्कुल न होने तथा इस वर्ष स्यालू की उपज खराब होने पर भी गत वर्ष व इस वर्ष का पूरा पूरा भू-राजस्व वसूल किये जाने की आज्ञा दे चुकी है?

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष अकाल घोषित कर देने पर भी गत वर्ष का लगान क्यों कर वसूल कराया जा रहा है और कृषकों को माफी क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—क्योंकि जिला बूंदी में आम तौर पर फसल की हालत इतनी खराब न थी इसलिये इस जिले को स्केअरसिटी एरिया नहीं घोषित किया गया, लेकिन जिला-अध्यक्ष की रिपोर्ट से पाया जाता है कि वहां फसल को ज्यादा नुकसान हुआ था। वहां पर वसूली रोक दी गई है और छूट थाम दिये जाने के विषय में कार्यवाही की जा रही है। जिला-अध्यक्ष की रिपोर्ट आने पर नियमानुसार छूट थाम दी जावेगी।

प्रश्न संख्या ६७६

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

बूंदी जिले में सिलौर नामक ग्राम की पड़त भूमि गांव वाले भूमिहीन कृषकों को न देते हुए शहर के रहने वाले लोगों को सरकार ने किस कारण से दी है और फिर करीब २५० बीघा जमीन, जो बाकी है, उसे भी भूमिहीन कृषिकों को न देकर लक्ष्मी नारायण नामक व्यक्ति को देने की कार्यवाही क्योंकर की जा रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—बूंदी जिले की सिलौर बीड में कुल ९०० बीघा भूमि थी जिसमें से ७०० बीघा भूमि ५३ भूमिहीन किसान परिवारों को तकसीम की गई। इसमें से केवल ७५ बीघा जमीन, जो कि बिल्कुल निकम्मी थी, भूमिहीन किसानों की मांग पूरी होने के बाद, श्री लक्ष्मी नारायण को नियमानुसार अलॉट की गई।

प्रश्न संख्या ६७७

श्री जवानसिंह—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर डिविजन में सूर सागर की, फिदूरसर की, छितर पत्थर की, करीवन १५०-२०० खानियां बगैर राज्य में रेन्ट दिये करीवन ३-४ वर्ष तक और अभी भी क्यों चलती रही हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस तरह से खानियां काटने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है। अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) सरकार ने इन चोरी से खानियां काटने वालों को ही फिर से वे ही खानियां उनको चलाने के वास्ते दी हैं या देने का विचार रखती है अथवा इनको ब्लेक लिस्ट में दर्ज करेगी ?

(४) इस किस्म की चोरी से खानें काटने की खबरें जो समय समय पर अखबारों में बराबर छपती रही हैं क्या सरकार ने उन खबरों को नहीं पढ़ा ? अगर खबरें पढ़ी हैं तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(५) अब सरकार जो फिर से नई खानियों के वितरण करने का विचार कर रही है, उसमें पहिला हक अथवा क्या क्राइटेरियन रख कर खानियों का वितरण करेगी ?

(६) वे १५०-२०० खानियां जो राज्य में बगैर रेन्ट दिये वर्षों तक चोरी से चलती रहीं उसका जिम्मेवार कौन होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) चोरी-छिपे अपनी परमिट की खानों के इर्द गिर्द व किसी पेरतल स्थान पर काम करते हुए करीव ५६ आदमी समय समय पर पकड़े गये और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई। १५०-२०० खानियों की संख्या जो प्रश्न में बतलाई गई है वह सही नहीं है।

(२) हां। प्रश्न नहीं उठता।

(३) नहीं।

(४) नहीं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनीय कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

सरकार अखबार में छपने वाली सभी प्रकार की खबरें पढ़ती है और यदि वे तथ्यपूर्ण पाई जाती हैं तो उन पर अमल भी किया गया है।

(५) नई खानियों के वितरण के बारे में पॉलिसी विचाराधीन है। क्राइटेरियन उसी के साथ ले डाउन किया जावेगा।

(६) प्रश्न नम्बर १ के उत्तर के अनुसार १५०-२०० खानियों की संख्या जो बताई गई है वह गलत है। चूंकि खानियों का रेन्ट सिर्फ चार रुपये माहवार फी खान है इससे इतने लम्बे अरसे में बगैर परमिट चोरी छिपे काम करते हुए केसेज से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जो कि महत्व पूर्ण हो। इसके उपरान्त निकासी माल पर रोयल्टी हर समय पूरी मिलती रही है।

Page No.3

श्री सन्तोषसिंह—माननीय मन्त्री बतायेंगे कि कितनी खानियां बेकार पड़ी हैं जो नहीं दी गईं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी संख्या में ठीक ठीक नहीं बता सकता। गवर्नमेन्ट का विचार किसी भी माइन को पड़ी रखने का नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि खानियों के नये पट्टे क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये सेपरेट (पृथक) क्वेश्चन पूछना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्री यह कैसे कह सकते हैं कि प्रश्न में जो संख्या १५० और २०० बताई गई है, गलत है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हमारे आदमी वहां रहते हैं, उन्होंने जिन आदमियों को पकड़ा है उनकी संख्या बताई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या जो ५६ आदमी पकड़े गये थे वे जोधपुर डिविजन में पकड़े गये।

श्री राम किशोर व्यास—खान भी जोधपुर डिविजन में है।

श्री जवानसिंह—यह विचार कब तक पूर्ण हो जायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत जल्दी।

प्रश्न संख्या ६७८

श्री हेतसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जैसलमेर व तहसील शेरगढ में कितने कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(ख) क्या सरकार उन्हें पर्याप्त (मात्रा में) समझती है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) यदि नहीं, तो सरकार कहां कहां नये सरकारी औषधालय खोलने की तजवीज में है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जैसलमेर में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। तहसील शेरगढ में केवल बालेसर नाम का एक आयुर्वेदिक औषधालय है। औषधालय पर्याप्त मात्रा में नहीं कहे जा सकते। एक वर्षीय योजना के अनुसार ५० औषधालय खोले जाने को थे और उनमें से भीकमपुर नामक एक औषधालय जैसलमेर में भी खोले जाने को था किन्तु वार्षिक संकट के कारण यह कार्यान्वित नहीं हो सका।

श्री खेतसिंह—अब तो हालत काफी ठीक हो गई है इस वर्ष एक दो औषधालय खोले जा सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—काफी ठीक तो नहीं हुई है। हां, सांस लेने लायक जरूर हो गई है। इस पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६७६

श्री सुगनचन्द जैन—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) इस साल चितौड़ जिले में कितने हाई स्कूल खुलवाने की योजना है ?

(ख) क्या उसमें बेगूं हाई स्कूल भी शामिल है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(क) इस विषय में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर, सरकार की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये, अन्य मामलों के साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।

(ख) अभी यह प्रश्न नही उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६८०

श्री छीतरलाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

गत वर्ष बूंदी जिले में कृषकों को तकावी निष्पक्ष रूप से समय पर वितरण न किये जाने का क्या कारण है और भविष्य के लिये कोई उचित व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिला अध्यक्ष द्वारा यह रिपोर्ट आई है कि बूंदी जिले में कृषकों को तकावी निष्पक्ष रूप से वितरित की गई। इस विषय में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई। भविष्य में भी नियमानुसार तकावी वितरण की जायगी।

प्रश्न संख्या ६८१

श्री गंगा सिंह—Will the Famine Relief Minister be pleased to state:—

(a) Is the Government aware of the fact that great drinking water problem has arisen in Nagaur Town due to failure of rains this year ?

(b) What efforts have the Government made and what efforts the Government is going to make to meet this critical situation ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अकाल सहायता मंत्री)—(a) There is a water pipe system run by Municipality Nagaur. On account of failure of rains this year scarcity of drinking water was reported to increase existing supply of drinking water and arrangements have been made to draw water from two wells viz., Chhaisar and Maidan-ka-Bera by employing bullocks for public use.

(b) Government have already provided a sum of Rs. 15,000/- to provide drinking water in Tehsils of Nagaur and Didwana in Nagaur District upto March 1953. Further amount will be provided as and when necessity arises.

श्री गंगासिंह—क्या यह सच है कि ये कुए पूरे लोगों को पानी नहीं दे सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गंगासिंह—क्या सरकार इसके लिये कोई परमानेन्ट इन्तजाम करने के विषय में सोच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–इसके बारे में म्युनिसिपैलिटी से बातचीत की जा रही है, बातचीत तय हो जाने पर सूचना दी जा सकती है।

श्री गंगासिंह—क्या यह सही है कि इन कुओं से ठीक समय पर पानी नहीं निकाला जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह ठीक नहीं है।

प्रश्न संख्या ६८२

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Medical and Public Health be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that one Mr. Doshi, District Medical and Health Officer, Barmer was demoted by the Government on the ground that he was not fit for the post ?

(b) Is the Government aware that the order for demotion has somehow been stayed ?

(c) Is the Government aware that because of this stay, there is a wide-spread discontent in the public of Barmer ?

(d) What steps is the Government taking in this respect ?

श्री रामकिशोर व्यास—(अ) हां।

(ब), (स) तथा (द) डाक्टर दोसी को सी. ए. एस. क्लास १ बना कर बीकानेर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा के हैं। अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

श्री एच. के. व्यास—यह ऑर्डर्स कब दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—तारीख तो मैं नहीं बता सकता, किन्तु ऑर्डर्स जारी हो गये हैं। उस पर अमल किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ६८३

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८४

श्री गंगासिंह—Will the Education Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that Nagaur High School building is lacking in accommodation for class rooms ?

(b) Is it a fact that the Minister promised to sanction five thousand rupees for building class rooms to this School ? If so, has the money been sanctioned ?

(c) Is it a fact that the Government is going to convert this High School into Intermediate College and the matter is pending before the Government ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(अ) हां।

(ब) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(स) नहीं। इस विषय में अन्य ऐसे मामलों के साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित धन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

श्री गंगासिंह—हाई स्कूल के कमरे बनाने के लिये कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इस पर बजट में पैसा होने पर विचार किया जा सकता है।

श्री गंगासिंह—क्या यह सही है कि इन्टरमीजियेट कॉलेज के लिये वहां के एक आदमी मकान बनवाने के लिये तैयार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—जी हां, एक श्रीमान १ लाख रुपया इसके लिये देने को तैयार हैं, किन्तु एक लाख रुपये में इन्टरमिजीयेट कॉलेज बनता नहीं है। वार्ता चल रही है।

श्री एच. के. व्यास—बजट तैयार करते समय इन बातों का ख्याल करके प्रोवीजन नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.7

प्रश्न संख्या ६८५

श्री खेतसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) बढ़ते हुए रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिये राजस्थान सरकार तहसील शेरगढ़ व जैसलमेर में क्या कदम उठा रही है ?

(ब) क्या सरकार की उस इलाके में नये वृक्ष लगाने की भी कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना कार्य रूप में कब तक परिणत हो जायगी ?

(स) उस इलाके में किस प्रकार के वृक्ष लगाने की योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—यह प्रश्न वन मन्त्रीजी से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष—It will come on the next turn.

प्रश्न संख्या ६८६

श्री खेतसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) तहसील शेरगढ़ की मवेशी गणना की कुल संख्या क्या आई है ?

(ब) तहसील शेरगढ़ में मवेशी चिकित्सा के कितने अस्पताल हैं ?

(स) क्या सरकार मवेशी-संख्या के अनुसार वहां के अस्पतालों को काफी समझती है ?

(ड) यदि नहीं, तो मवेशी चिकित्सा का अस्पताल कहां खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(१) तहसील शेरगढ़ में मवेशी गणना के अनुसार कुल संख्या २,३८,५०८ है ।

(२) तहसील शेरगढ़ में सिर्फ एक पशु चिकित्सालय है । यद्यपि पशु संख्या के आधार पर यह अस्पताल काफी नहीं है तथापि धन के अभाव में नये अस्पताल खोलना संभव नहीं है ।

पंचवर्षीय योजना में ५० नई डिस्पेन्सरियां खोले जाने का विचार है । भारत सरकार से धन राशि उपलब्ध होते ही यह कार्य शुरू कर दिया जावेगा ।

श्री खेतसिंह—इन ५० में एक-दो क्या शेरगढ़ में भी खोली जायेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—आप विश्वास रखिये ।

प्रश्न संख्या ६८७

श्री महादेवप्रसाद—क्या मन्त्री, उद्योग विभाग, निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बाटा शू कम्पनी से सरकार को सालाना क्या आय है ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग व व्यापार मंत्री)—बाटा शू कम्पनी से राजस्थान सरकार को कोई आय नहीं है और न राजस्थान सरकार की ओर से बाटा शू कम्पनी को कोई बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ६८८

श्री महादेव प्रसाद—क्या मंत्री, उद्योग व व्यापार विभाग, निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को पता है कि भेड़ों की अच्छी नस्ल शेखावाटी में बहुतायत से पाई जाती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया ?

(ग) सरकार इसके प्रति उदासीन क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग व व्यापार मंत्री):—(क) हां।

(ख) (१) सरकार ने शेखावाटी में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये जयपुर फार्म पर अच्छे मेंढे तैयार किये हैं (हंसी) जो कि भेड़-पालकों को वितरण किये जा रहे हैं।

(२) शेखावाटी में अब तक नस्लसुधार करने के लिए ३ सेन्टर खोले जा चुके हैं जो रींगस, सीकर और झुन्झुनू में स्थित हैं। इन सेन्टर्स में भेड़-पालकों को भेड़ पालने के आधुनिक तरीके बताये जाते हैं जिनसे भेड़ की नस्ल सुधार होती है।

(३) भेडों की अच्छी नस्ल के सुधारने के लिये अब तक शेखावाटी में ३ भेड़ प्रदर्शनियां भी की जा चुकी हैं जिनमें भेड़-पालकों को इनाम दिए गए हैं और भिन्न २ प्रकार से उनको अच्छी भेड़ पालने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है। इन भेड़ प्रदर्शनियों के किये जाने का भेड़-पालकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

(४) अगले साल सरदारशहर में एक फार्म खोली जा रही है जहां पर अच्छी किस्म के मेंढे पाले जाकर भेड़-पालकों को वितरण किये जायेंगे।

(ग) सरकार इसके प्रति उदासीन नहीं है।

श्री महादेव प्रशाद—झुन्झुनू में कितने मेंढे दिये हुए हैं। (हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग व व्यापार मंत्री)—एक-दो।

श्री संतोषसिंह—क्या यह जयपुर में ही नस्ल खराब है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ६८६

श्री खेतसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान सरकार की कितनी जन संख्या व कितने बड़े इलाके में एक हाईस्कूल खोलने की नीति है ?

(ब) तहसील शेरगढ़ में कितनी हाईस्कूलें हैं ?

(स) क्या सरकार इस वर्ष वहां की किसी मिडिल स्कूल को हाईस्कूल बनाने का इरादा रख रही है ? यदि हां, तो कौनसी स्कूल को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ड) तहसील शेरगढ़ में मिडिल व प्राईमरी स्कूलों की क्या संख्या है ?

(ई) क्या सरकार वहां की जन संख्या के हिसाब से उन स्कूलों को पर्याप्त समझती है ?

(फ) यदि हां, तो क्यों ?

(ज) यदि नहीं, तो कितनी, किस प्रकार की स्कूलें वहां इस वर्ष खोली जायंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—

(अ) इस विषय में कोई विशेष नीति निर्धारित नहीं है। इस ग्राम की तथा आस पास के ग्रामों की संख्या, वर्तमान हाई स्कूल से दूरी, मिडिल कक्षाओं की छात्र संख्या, नये हाई स्कूल से लाभ उठाने वाले ग्रामों की संख्या, उपयुक्त इमारत का प्रबन्ध तथा अन्य आवश्यक सहूलियतें प्राप्त होने वाले स्थानों पर तथा सरकार की आर्थिक दशा को दृष्टि में रखते हुए व उचित धन प्राप्त होने पर अन्य ऐसे मामलों के साथ विचार किया जाता है।

(ब) तहसील शेरगढ़ में कोई हाई स्कूल नहीं है, क्योंकि वहां के गांव छोटे-छोटे हैं। केवल एक गांव बालेश्वर बड़ा है। वहां मिडिल स्कूल है और जोधपुर केवल ४० मील दूर है और सड़क के किनारे पर है।

(स) इस विषय में राजस्थान सरकार की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त धन प्राप्त होने पर ऐसे मामलों के साथ विचार किया जायगा। निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ड) तहसील शेरगढ़ में मिडिल स्कूल २ व प्राइमरी स्कूल १५ हैं। ये पर्याप्त तो नहीं हैं। अधिक स्कूल खोले जाने के विषय में भी उपरोक्त नीति बरती जावेगी। इस इलाके में पानी और मकानों की भी बड़ी कठिनाई है। यदि कोई दानी महानुभाव कुछ सहायता दे सकें तो जल्दी विचार हो सकता है।

श्री खेतसिंह—अगर वहां के लोग मकान की फेसिलिटीज व मास्टर साहबों के रहने के लिये कोई मकान देदें तो क्या सरकार वहां स्कूल खोलने का आश्वासन दे सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—यह मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया है।

Page No.10

श्री खेतसिंह--क्या जवाब दे दिया है, मैंने तो कुछ नहीं सुना है ।

श्री अध्यक्ष--You ought to have been attentive.

प्रश्न संख्या ६६०

श्री खेतसिंह--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

शेरगढ़ मिडिल स्कूल में पक्के कमरे कितने हैं ? क्या सरकार उन कमरों को मिडिल स्कूल के लिये काफी समझती है ? यदि नहीं, तो अब सरकार का उस ओर क्या दृष्टिकोण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--शेरगढ़ मिडिल स्कूल की पुरानी इमारत में २ कमरे व १ बरामदा है । एक पक्का कमरा और १ बरामदा अब बन रहा है जिनकी लागत ५३००) रुपये हैं और जो करीबन तैयार हो चुके हैं । २ कक्षाओं के लिये १ टिनशेड जिसकी दीवारें और फर्श पक्की होंगी २०००) रुपये की लागत का और बनाया जा रहा है ।

इन सबके तैयार हो जाने पर इस स्कूल के लिये इमारत फिलहाल काफी रहेगी । भविष्य के लिये राजस्थान सरकार की आर्थिक दशा दृष्टिकोण में रखते हुए उपयुक्त धन प्राप्त होने पर तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार किया जावेगा ।

श्री खेतसिंह--धन्यवाद ।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री तनसिंह--क्या अकाल सहायता विभाग के मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) बाडमेर की कारेली नाडी को खुदाने का काम किसी गैर सरकारी व्यक्ति श्री देवदत्त की देख रेख में हुआ है ?

(२) क्या वह कोई ठकेदार है ?

(३) उस तालाब पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अकाल सहायता मन्त्री)--(१) हां ।

(२) नहीं ।

(३) १३७९) रु.।

प्रश्न संख्या ६६२

श्री तनसिंह--क्या मंत्री, अकाल सहायता विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) बाडमेर तहसील के उतरलाई नामक तालाब की इस वर्ष खुदाई हुई है ?

[श्री तनसिंह]

(२) यदि हां, तो कितनी घन फीट जमीन खोदी गई और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--(१) हां।

(२) ५६,३०० क्युबिक फीट लेन्ड एक्सकेवेट हुई है जिस पर २६६५ रु. ३ आने खर्च हुए।

प्रश्न संख्या ६९३

श्री भैरवलाल काला बादल--क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

(१) झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील की मुन्सफी को बन्द पड़े कितना समय हो गया है?

(२) इसके बन्द पड़े रहने का क्या कारण है?

(३) क्या इस मन्सफी के कर्मचारियों को गत कई महिनों से घर बैठे तनख्वाह दी गई है?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)--(१) खानपुर के मुन्सिफ के न्यायालय को हाई कोर्ट द्वारा तारीख १-३-५२ से स्थगित में रखा गया है।

(२) खानपुर के मुन्सिफ के न्यायालय में एक मुन्सिफ को पूरे समय तक पूर्णतः काय में व्यस्त रखने के लिये पर्याप्त काम नहीं था। सन् १९५० में जो मुकद्दमें दायर हुए उनकी संख्या २५१ थी। सन् १९५१ में यह संख्या १५२ रही और सन् १९५२ में घटकर यह केवल ११८ रह गई। इससे यह प्रकट है कि मुकद्दमों का दायरा धीरे धीरे प्रति वर्ष घट रहा था। अब न्यायालय को समाप्त कर देने की तजबीज कर दी गई है।

(३) इस निर्णय के होने तक कि न्यायालय को रक्खा जाय या समाप्त कर दिया जाय, न्यायालय के रेकॉर्ड की देख-रेख करने के लिये दावों और अर्जियों को लेन के लिये तथा समनों की तामील के लिये सूक्ष्म अमला रखा गया था। न्यायालय को समाप्त कर देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भैरवलाल काला बादल--न्यायालय में इतना कम अमला रखने से सरकार को क्या लाभ है?

श्री राम किशोर व्यास (न्याय मंत्री)--जब पूरा बन्द हो जायगा तो पूरा लाभ होगा।

प्रश्न संख्या ६९४

श्री केसरीसिंह (वि सं. ७५)--Will the Minister for Industries be pleased to state :--

(a) Is there any place in Rajasthan where glass mines are being worked?

(b) When did the work start first?

(c) What special steps have been taken to encourage such industries?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग व्यापार मंत्री)—(a) No. Glass & sand mines are being worked at few places.

(b) The work was started in the year 1938.

(c) None, except that in one of the leases in the former Jaipur Division a condition that the mining leasee operates the glass factory has been imposed.

श्री केसरी सिंह—What is the Government thinking about the working of mines ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग व्यापार मंत्री)—जो लोग माइन्स का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स या लीज लेना चाहते हैं उनको गवर्नमेन्ट देने को तैयार हैं।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री तनसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बाडमेर की डी. एल. पी. स्कूल नम्बर ३ कितन अर्से से मल्लीनाथ बोर्डिंग हाउस के बरामदे में लगती है ?

(२) क्या सरकार को मकान बनवाने या किराये पर लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती ?

(३) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—(१) काफी अर्से से।

(२) आवश्यकता तो महसूस होती है और प्रयत्न भी किया जाता है, किन्तु इस ग्राम में स्कूल के लिये योग्य इमारत नहीं मिलती है। यदि कोई देशोपकारक महानुभाव मकान का प्रबन्ध कर सकें तो सरकार की ओर से उचित किराया दिया जा सकता है।

श्री तनसिंह—मैंने पहले भी पूछा था कि कितने अर्से में ? काफी अर्से से मतलब नहीं निकलता है।

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरे खयाल से आप यह बताना चाहते हैं कि बात काफी अर्से से चल रही है और हम प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया कि काफी अर्से से चल रही है। मकान का प्रबन्ध हो जाय तो हम किराया देने को तैयार हैं। बार २ पूछने से कोई मतलब नहीं।

श्री तनसिंह—तो क्या बाडमेर में यदि कोई देशोपकारक नहीं मिलेगा तो वहां उस स्कूल के लिये इमारत का कोई भी प्रबन्ध नहीं होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—यह मैंने पहले आपसे कहा कि इस प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग कन्सट्रक्ट करनी होगी। इतना पैसा आज तक नहीं आया, अगले बजट तक अगर पैसा हो सके तो ठीक। अगर किराये से मकान हो सके तो हम किराया दे सकते हैं।

Page No.13

श्री तनसिंह—किराये से मकान मिले, इसका अब तक प्रयास किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—जी, समय समय पर किया गया था।

श्री तनसिंह—तो यह समझा जाय कि किराये का मकान बिल्कुल नहीं मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मन्त्री)—वह कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिला।

श्री तनसिंह—क्या सरकार ने रिक्वीजिशन एक्ट काम में नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री तनसिंह—क्या मंत्री, अकाल सहायता विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

निम्नलिखित तहसीलों में अकाल सहायता के लिये कितने रुपयों की स्वीकृति हुई और कितने खर्च हुए ?

(१) तहसील बाडमेर। (२) तहसील शिव।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) तहसील बाडमेर के लिये ४७ हजार रुपये।

(२) तहसील शिव के लिये १८ हजार रुपये। कुल खर्चा ४४ हजार रहा।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री तनसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मालानी (बाडमेर) में घोड़े बहुत अच्छी किस्म के पाये जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने घोड़ों का नस्ल-सुधार केन्द्र बाडमेर से क्यों हटा दिया है ?

(३) क्या जोधपुर डिविजन में जोधपुर रियासत के समय से अब तक सांड-घोड़े रखने की मुमानियत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) हां।

(२) बाडमेर में घोड़ों की नस्ल सुधार केन्द्र सरकार की ओर से कभी स्थापित नहीं किया गया था।

(३) जहां तक इस विभाग को मालूम हुआ है सांड-घोड़े रखने की कहीं भी मुमानियत न तो थी और न अब है।

श्री तनसिंह—तो क्या यह माना जाय कि घोड़ों की नस्ल सुधार का महकमा वहां पर नहीं था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं था। औषधालय में इस प्रकार की व्यवस्था जरूर की गई थी।

श्री तनसिंह—तो वह व्यवस्था सरकार की ओर से हुई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह व्यवस्था सरकार की ओर से हुई थी, मगर वहां केन्द्र नहीं था।

श्री तनसिंह—क्या अब कोई ऐसा केन्द्र खोलने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फिलहाल तो नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६८

श्री बी. एन. जोशी—Will the Minsiter for Public Health be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that the wife of a lecturer in the Government Intermediate College, Dausa who had been borught for treatment to the Zenana Hospital, Jaipur, in the month of December, 1952, died in the Hospital as a result of the culpable negligence of the doctor in charge of the hospital and other members of the staff ?

(b) Whether it is a fact that the government Medical Officer, Dausa, Dr. H.M. Rawat, under whose instructions was the lady brought to the Jaipur Hospital for treatment had advised immediate operation under the circumstances of the case; in the letter addressed to the doctor in-charge of Zenana Hospital ?

(c) Whether or not the doctor in charge of the said Hospital or the doctor on duty had disregarded the advice regarding immedaite operation ?

(d) Whether the lady was at all operated for her ailment before her death ?

(e) Whether it is correct that the husband of the lady was not allowed to see her even at the moment when she was breathing her last and was permitted to see her dead body four hours after her death ?

(f) Whether the Government is prepared to order an enquiry into this case with a view to bring the guilty persons to book ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—

(a) The wife of the Lecturer in the Government Intermediate College, Dausa was admitted in Zenana Hospital, Jaipur on the 17th December, 1952 at 4 P. M. She was duly attended to by the doctor and the staff on duty and there was no negligence on the part of any of the staff of that hospital according to the report of the Principal Medical Officer.

Page No.15

[श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री)]

(b) A note from Dr. Rawat was received by the authorities Zenana Hospital Jaipur, but they did not Concur with this opinion.

(c) In the opinion of the medical officers in charge of the case no immediate operation was indicated in the case.

(d) No.

(e) The husband of the lady was not present in the hospital at the 4 P. M. when she expired and could not be contacted by the Hospital authorities as he had not given his Jaipur address. He turned up at the hospital at 8 A. M. next morning.

(f) Inquiry has already been made and the facts of the case are with the Government.

श्री बी. एन. जोशी-- Has an enquiry taken place ?

श्री अध्यक्ष—The answer is there. The enquiry has taken palce.

श्री एच. के. व्यास--Is it going to be a departmental enquiry or an open enquiry.

श्री रामकिशोर व्यास—A notice is to be given to the complaintant : that is the mode of the enquiry.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will a notice be published for the information of public or only the persons concerned will be asked to come for evidence ?

श्री रामकिशोर व्यास—No. A notice is published.

श्री बी. एन. जोशी--Is the enquiry being ordered in this particular case or a general enquiry is ordered in such cases ?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ६६६

श्री बी. एन. जोशी—Will the Minister-in-charge of the Public Health Department be pleased to state:—

(a) Why fixation of the Vaidyas in the Ayurvedic Dispensaries of the State has not been so far completed ?

[श्री बी. एन. जोशी]

(b) Why the appalling disparity between the salaries of the Vaidyas in employment of the former Jaipur State and those in the employment of former Jodhpur, Udaipur and Bikaner States is still continuing after the formation of Rajasthan and why the principle of same pay for the same work is not observed with regard to the Vaidyas employed in State Ayurvedic Dispensaries.

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—

(1) The fixation of the Vaidyas in the Ayurvedic Dipsensaries of the State is in the competence of the Public Service Commission, Rajasthan, Jaipur. The P. S. C. has interviewed the Vaidyas but the results have not yet been announced. As soon as the final result of P.S.C. is recieved the Vaidyas will be fixed.

(2) The appalling disparity between the salaries of the Vaidyas in the employment of the former Jaipur State and those in the employment of former Jodhpur, Udaipur and Bikaner States is still continuing even after the formation of Rajasthan due to non-fixation. The Principle of same pay for the same work is observed only after fixation and not before fixation.

प्रश्न संख्या ७००

श्री तनसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या जोधपुर डिविजन की स्कूलों की ८ वीं कक्षा के विद्यार्थियों से २ रुपये और ९ वीं कक्षा के विद्यार्थियों से १॥) रु. मासिक ट्यूशन फीस ली जाती है ?

श्री तनसिंह—इस प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के उत्तर में आ चुका है इसलिये मैं इस प्रश्न को प्रस्तुत करना नहीं चाहता ।

प्रश्न संख्या ७०१

श्री कस्तूरचन्द—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भीलवाड़ा जिले के पशुओं में बीमारी चली थी? अगर चली थी तो उसकी रोक थाम के लिये सरकार की ओर से क्या उपाय किया गया ?

(२) क्या पशु रक्षा के लिये "सी" नम्बर की डिस्पेन्सरियों में भी इन्तजाम किया जायगा ?

(३) क्या पशु रक्षा के लिये देहातों में भी कम्पाउन्डरों को भेजा जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) माननीय सदस्य ने प्रश्न में यह बताने की कृपा नहीं की है कि वे किस समय का जिक्र कर रहे हैं ? पशुओं में छोटी मोटी बिमारियां चलती ही रहती हैं और उन सबको रोकने का यथा समय इन्तजाम कर दिया जाता है । जब कभी राजस्व विभाग या स्वयं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
कृषकों द्वारा इस विभाग को इत्तला मिलती रही है पशुओं की बिमारियों को रोक-थाम का माकूल इन्तजाम किया गया है ।

(२) इस विभाग के अंतर्गत ७५ डिस्पेन्सरियां हैं जो कि ट्रेनिंग याफ्ता कम्पाउन्डर्स द्वारा चलाई जाती हैं। इन डिस्पेन्सरियों में पशुओं की बिमारियों को ठीक करने की दवा मौजूद रहती हैं। अगर कोई दवा मौजूद नहीं हो तो वह पास के किसी भी बड़े पशु-चिकित्सालय से लाई जा सकती है ।

(३) हर पशु चिकित्सालय में एक स्टोकमेन रहता है जिसका कार्य महीने में कम से कम दस दिन आस पास के देहातों में दौरा करना होता है। इन दौरों के दरम्यान वह पशुओं की चिकित्सा भी करता है तथा दवा भी बांटता है और पशुओं को बधिया भी करता है ।

श्री कस्तूरचन्द—क्या भीलवाड़े में भी डिस्पेन्सरी चलती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--हां, चलती है ।

श्री कस्तूरचन्द--कितने अरसे से और कितनी चलती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि इसके लिये भी आप चाहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा ।

प्रश्न संख्या ७०२

श्री संग्राम सिंह (वि. सं. १३४)–क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) देवगढ़ तहसील में कुल कितने पटवारी हैं ?
(२) इन पटवारियों ने खरीफ की फसल की वसूली कितनी की और कितनी बकाया रक्खी है?
(३) यह बकाया कितनी है और किस वजह से है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) देवगढ़ तहसील में कुल १९ पटवारी हैं।

(२) फसल खरीफ में आखीर जनवरी तक खालसा और जागीर गांवों में ३१७५३ रु० ६ आने ९ पाई की वसूली हुई और ७८०३ रु. १५ आने ३ पाई बकाया रहे।

(३) ऊपर लिखी हुई बकाया में से फसल रबी का मतालबा बाकी करने के बाद कुल ४२२६५ रु. ९ आने बचते हैं जिनकी वसूली जारी है और शीघ्र ही वसूल होने की संभावना है।

प्रश्न संख्या ७०३

श्री धर्मचन्द--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—
(अ) सवाई माधोपुर जिले में कितनी कन्या पाठशालायें हैं ?

[श्री धर्मचन्द]

(अ) ये पाठशालाये तहसील वाईज व तहसील में किन किन स्थानों पर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा--सवाई माधोपुर में २१ कन्या पाठशालायें हैं।

(आ) सूची हाउस की टेबल पर रक्खी है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७०४

श्री रिद्धिचन्द्र--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:--

सवाई माधोपुर जिले के तीन प्रमुख नगर करोली, गंगापुर तथा हिन्डौन में कहां इण्टरमीजियेट कॉलेज आगामी वर्ष में खोला जावेगा और उसको प्राथमिकता देने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा-- स बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या ७०५

श्री मोटाराम--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) सिवाणा के सब गांवों की जब पमाइश हो चुकी है तो पट्टे क्यों नहीं दिये जा रहे है?

(२) क्या सिवाणा तहसील के काश्तकारान को उन्हालू लटाई अब भी वहां के जागीरदारान को करानी होगी ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

(४) यदि नहीं, तो सरकार तहसीलदार सिवाणा पर हुक्म भेज कर उन गांवों में डूंडी क्यों नहीं पिटवाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--(१) पैमाइश होने के बाद तुरन्त ही पट्टे वितरण नहीं कर दिये जाते हैं क्योंकि इसके बाद सेटलमेंन्ट ऑफिसर अपनी रिपोर्ट दरों पर लिखते हैं। यह रिपोर्ट अभी तयार की जा रही है और उसके आने पर सरकार से मंजूरी लेकर तसदीक करने के बाद पट्टे बांट दिये जावगे ।

(२) रिपोर्ट व दरों की सरकार द्वारा मंजूरी होने पर ही विघोडी लगाई जा सकती है न कि पहले। अतएव जो अमल लगान वसूली का है वह उन्हालू लटाई के लिये कायम करना अनिवार्य हो जाता है ।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री संतोषसिंह--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

[श्री संतोषसिंह]

(१) बिलाड़ा परगने में सन् ५२-५३ में कुल कितने रुपयों की रकमें तकावी के लिये किसानों को, मशीनों व ट्रेक्टरों के लिये और कितनी कुओं के खुदाने व दूसरे काम के वास्ते स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी दी गई और कितनी बची ?

(२) जो किसान तहसील से बहुत दूर ५०-६० मील के रहने वाले थे और उनके पास आने जाने के कोई साधन ही नहीं थे तो क्या सरकार ने उस जगह जाकर तकाबी देने का कोई इन्तजाम किया ? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--बिलाड़ा परगने में सन् १९५२-५३ में जितनी रकम तकावी वितरण के लिये मंजूर की गई और जितनी तकसीम की गई उसके आंकडे निम्नलिखित हैं :—

	मंजूर शुदा रकम	जितनी तकसीम हुई
कूए और सिंचाई और दीगर कामों के लिए ट्रेक्टर और कृषि कल पुर्जे	२१०००	१०६२५
	२७८६७	२७८६७

वाकी
१०४७५

(२) नहीं। किसी काश्तकार के घर पर उसे इस विषय में इतला नहीं की गई क्योंकि ऐसा असंभव था। सिर्फ उन व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रार्थना-पत्र पेश किये थे तकाबी वितरण की गई।

प्रश्न संख्या ७०७

श्री कस्तूरचन्द--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) इस साल भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूलें कितनी खोली जायेंगी ?

(ख) क्या जिस जगह देहातों में प्राइवेट स्कूलें जो चल रही हैं उनको सरकार अपने हाथ में लेकर सरकारी खर्चे से चलाने का विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर तथा सरकार की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

इस विषय में जनता का सहयोग परम आवश्यक है क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि देहातों में चलने वाले जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन सबको सिर्फ सरकार एक साथ ही अपने हाथ में ले ले। अभी तो जो प्राइवेट स्कूल जहां चल रहे हैं चलते रहेंगे तथा भविष्य में बजट प्राप्त होने पर सरकार को आर्थिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए इस पर विचार किया जायगा।

श्री कस्तूरचन्द--क्या माननीय मंत्री अन्दाजा तो बतायेंगे कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में खोलने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बजट पास होने पर विचार किया जाएगा।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या नये बजट में नई स्कूलें खोलने की योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बजट आपके सामने है आप उसमें देख सकते हैं।

प्रश्न संख्या ७०८

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बिलाड़ा तहसील में प्रौढ एवं समाज शिक्षा के कितने केन्द्र खोले गये हैं और उनका माहवारी खर्चा क्या है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बिलाड़ा जोधपुर जिले में स्थित है और कुल जोधपुर जिले में ४ प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने का निश्चय हो चुका है। केन्द्रों की स्वीकृति-संख्या तहसीलों के हिसाब से विभाजित नहीं की गई। स्थानीय सुविधा के अनुसार समाज शिक्षा प्रदर्शक जोधपुर केन्द्र खोलते हैं। इस समय बिलाड़ा तहसील में कोई केन्द्र नहीं है। हो सकता है कि पर्याप्त सुविधा न मिलने से व्यवस्था नहीं हो सकी हो।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

भोपालगढ, पीपाड़, रोड व सिटी, भावी और बिलाड़ा और इसके आस पास के काश्तकारों को किस तरह व कितनी कितनी तक़ाबी की रकमें वितरित की गई ?

क्या वे रक़में सबको ज़रूरत के मुआफिक पूरी पूरी दी गईं अथवा बहुतसों को नहीं दी गईं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इन गांवों में उन जरूरत मन्द काश्तकारों को उनकी जरूरत के मुताबिक तकाबी वितरण की गई जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना-पत्र पेश किये थे। तकाबी नियमानुसार व प्रत्येक प्रार्थी की आवश्यकतानुसार वितरित की जाती है। इन गांवों में तकाबी तकसीम इस तरह हुई:—

भोपाल गढ	२००	रुपया
पीपाड सिटी	१५७५	रुपया
बिलाड़ा	३८६४	रुपया
भावी	५०	रुपया
रंसीगांव	१६५०	रुपया
पिचियाक	३००	रुपया
खांगता	२५०	रुपया
जवासिया	५५०	रुपया

जितनी मांग की गई उतनी तकावी दी गई।

श्री खेतसिंह—जितने प्रार्थना-पत्र आये क्या उन सब को दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं उत्तर दे चुका हूं ।

प्रश्न संख्या ७१०

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बिलाड़ा तहसील में खेती की मशीनों व ट्रेक्टरों के खरीदने के लिये गत दो-तीन वर्षों में कितनी-कितनी रकमें किस किस को दी गई ? क्या ये सब तकावी की रकमें लेने वालों ने खेती के काम में वे रकमें लगाई ?

(२) सन् ५३, ५४ में बिलाड़ा तहसील में कुल मिलाकर कितने रुपयों की रकम काश्तकारों को तकाबी की दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) बिलाड़ा तहसील में गत दो-तीन वर्षों में निम्नलिखित व्यक्तियों को पम्पिग सेट व ट्रेक्टर की खरीद के लिये तकावी वितरण की गई :—

पम्पिग सेट

चन्डीदान	५००० रुपया
चोगीलाल	५००० रुपया
भभूतदोज	५००० रुपया
जयनारायणसिंह	५००० रुपया
भेगसिंह	४८६७ रुपया
निसार अहमद	३००० रुपया

ट्रेक्टर

जयनारायण	५००० रुपया
कालसिंह	२९५०० रुपया
गुमानीराम	५००० रुपया
रेजन्द्रराज	१०००० रुपया
चंडीदान	१०००० रुपया
जोगीलाल	५००० रुपया
निसार अहमद	१०००० रुपया

इस विषय में जांच की जा रही है कि इन व्यक्तियों ने यह रकम उसी काम के लिये खर्च की जिसके लिए उनको कर्ज दिया गया था ।

(२) इस बात का निर्णय बजट मंजूर हो जाने के बाद किया जायगा ।

श्री एच. के. व्यास--क्या मंजूरी देने से पहले किसी प्रकार की जांच की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--किस जांच से आपका मतलब है ?

श्री एच. के. व्यास--जो रकम दी गई हैं उनके बाबत।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--नीचे से पूरी जांच की जाती है कि प्रार्थियों के पास जमीनें हैं या नहीं तथा हैं तो कितनी हैं ? नीचे से जब सिफारिश के साथ आते हैं तभी तकावी की रकम दी जाती है।

श्री एच. के. व्यास--क्या यह सच है कि कई केसेज में कई व्यक्तियों ने सीधे जयपुर आकर यहां से रकमें हासिल की हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--कोई भी व्यक्ति सीधे यहां से रकम नहीं पा सकता जब तक कि कलेक्टर या एस. डी. एम. ने जांच के कागजात तैयार करके नहीं भेजे हों।

प्रश्न संख्या ७११

श्री संतोषसिंह--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

जोधपुर शहर में शरणार्थियों की जो स्कूलें हैं उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं और कितने मास्टर हैं ? उनका माहवारी खर्चा क्या है और सरकार उनको क्या एड देती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--जोधपुर डिविजन में मोडर्न हाई स्कूल व नेहरू हाईस्कूल नाम के दो एडेड शरणार्थी स्कूल हैं। इनमें क्रमशः ४७२ व १७१ विद्यार्थी तथा १५ तथा १३ अध्यापक हैं। इनको मासिक व्यय क्रमशः २९०३) रुपया व १६९५) रुपया है। इनको इस वर्ष क्रमशः १७०८०) रुपया व १०४४०) रुपया वार्षिक सहायता प्रदान की गई है।

श्री संतोषसिंह--क्या गुरुद्वारे में शरणार्थी स्कूल नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--गुरुद्वारे की स्कूल के बारे में सरकार को पता नहीं है।

श्री संतोषसिंह--क्या यह सरकार को पता है कि उस स्कूल को रिकोग्नाइज करने की जो अर्जी आई उसको नामंजूर कर दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा--ज्ञात नहीं।

प्रश्न संख्या ७१२

श्री संतोषसिंह--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:— बिलाड़ा तहसील में कुल कितनी कितनी व किस किस जगह कन्या पाठशालाएं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--बिलाड़ा तहसील में एक प्राइमरी कन्या पाठशाला बिलाडा में है।

श्री संतोषसिंह--क्या सरकार पीपाड़ सीटी और भोपालगढ़ में कन्या पाठशाला की जरूरत नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा--जरूरत तो सब जगह समझी जाती है लेकिन स्थानीय सुविधाओं, आवश्यकताओं, व अन्य बातों को ध्यान में रखकर स्कूलें खोली जाती हैं।

श्री संतोषसिंह--ये दोनों शहर बहुत बड़े हैं, वहां तो बहुत पहले ही कन्या पाठशालायें खुल जानी चाहिये थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा--माननीय सदस्य को वहां के लोगों से मिलकर मकान आदि के लिये परामर्श करना चाहिये।

श्री संतोषसिंह--अगर मकान दे दिया जाय तो क्या सरकार वहां कन्या पाठशालायें खोलने को तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--आप प्रयत्न कीजिए।

श्री संतोषसिंह--प्रयत्न क्या, मैं मकान दिलाने के लिये तैयार हूं।

प्रश्न संख्या ७१३

श्री तेजपाल--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में इस समय कितनी भूमि रुंधों के तहत सुरक्षित रक्खी हुई है ?

(आ) विभिन्न रियासतों के विलीनीकरण से पूर्व यह कितनी थी ?

(इ) क्या सरकार शेष भूमि को भी तोडने की कोई योजना बना रही है ?

(ई) यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(उ) भरतपुर जिले में इस प्रकार की भूमि इस समय कितनी और किन किन गांवों में है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह प्रश्न वन मंत्री से ताल्लुक रखता है।

श्री अमृतलाल यादव--मैं इसका जवाब कल दूंगा।

प्रश्न संख्या ७१४

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भरतपुर और अलवर जिलों के किसानों में से कितनों को दुगना लगान सम्बन्धी नियम से लाभ पहुंचा है ?

(आ) इनमें से कितनों की सहायता राज्य ने की है ?

(इ) क्या सरकार को यह पता है कि इस नियम की पकड़ से बचने के लिये जमींदार किसानों से शेष लगान (दुगने लगान और पूर्व निश्चित लगान का अन्तर) के लिये अवैधानिक तरीके, उधार खाता आदि अपना रहे हैं ?

(ई) यदि हां, तो उससे किसान को बचाने के लिये राज्य ने क्या संरक्षण प्रदान किया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) ऐसे किसानों की संख्या देना असम्भव है। मगर यह कहा जा सकता है कि भरतपुर और अलवर के जिलों में किसान वर्ग को दुगना लगान सम्बन्धी नियमों से बहुत लाभ पहुंचा है।

(आ) इसके मुतल्लिक आंकडे देना मुश्किल है। मगर यह कहा जा सकता है कि राजस्व विभाग की अदालतों ने इस विषय में किसानों की, जहां तक मुमकिन हो सका, सहायता की है।

(इ) हां। ऐसे कई उदाहरण सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें कि किसानों को बेदखल कर दिया गया था और उन्हें फसल न उठाने दी। ऐसे मामलों में अदालतों ने नियमानुसार फैसले दिये और बहुत से मुकदमों में किसानों को कब्जा वापिस दिलाया।

(ई) किसान वर्ग को बेदखली वगैरह से बचाने के लिये रबी सन् १९५२-५३ से नई योजना जिसे "स्लिप सिस्टम" कहा जा सकता है जारी की जा रही है जिसके अधीन प्रत्येक काश्तकार को, जिसका कि नाम खसरा में दर्ज है एक स्लिप दी जायगी जिसमें कि उसका खेत नम्बर और लगान जो उसे अदा करना है दर्ज होगा। आशा है कि इस योजना से किसानों को लाभ होगा।

अलॉट सिस्टम से इसमें अन्तर आयगा और इसके सम्बन्ध में दूसरे-दूसरे आवश्यक नियम भी बनाये गये हैं।

श्री एच. के. व्यास—सरकार का, यह नया सिस्टम कब से लागू करने का विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसी वर्ष से।

श्री एच. के. व्यास—क्या इस नये सिस्टम के विषय में पब्लिसिटी करके लोगों को इससे पहले अवगत किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

प्रश्न संख्या ७१५

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जैसलमेर जिले में कितने हाई स्कूल, कितने मिडिल स्कूल और कितने प्राइमरी स्कूल व कन्या पाठशालाएं हैं ?

(२) हाई स्कूल में मास्टरों की कितनी कमी है ?

(३) कन्या पाठशालाओं में कितनी मास्टरनियां कम हैं ?

(४) प्राइमरी स्कूलों में कहां २ अध्यापक नहीं हैं ?

(५) कमी के क्या कारण हैं ?

(६) क्या सरकार नये प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

(७) अगर उत्तर "ना" है तो किन कारणों से ?

(८) क्या यह सत्य है कि कई जगहों से नये प्राइमरी स्कूल खुलाने बावत प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(१) जैसलमेर जिले में एक हाई स्कूल, १ मिडिल स्कूल व २४ प्राइमरी स्कूल तथा २ कन्या पाठशालाएं हैं।

(२) हाई स्कूल में केवल एक मास्टर की कमी है।

(३) कन्या पाठशाला में ९६ छात्राएं हैं और चार अध्यापिकायें हैं जो काफी हैं। स्थाई प्रधानाध्यापिका नहीं है जो भेजी गई थी वह नहीं पहुंची। अन्य योग्य अध्यापिका भेजने की कोशिश की जा रही है।

(४) प्राइमरी स्कूल कानासर, नवलसिंह का सड्डा तथा बजू में अध्यापक नहीं है।

(५) ये स्कूल वोर्डर पर होने के कारण इनमें कोई अध्यापक जाना नहीं चाहता। यदि कोई चला भी जाता है तो २-४ रोज काम करके वापस चला आता है। स्कूल वास्तव में बन्द किये जाने योग्य हैं क्योंकि इनकी छात्र संख्या ६-७ से अधिक नहीं रहती।

(६) हां, किन्तु गुंजाइश और आवश्यकता के अनुसार।

(७) प्रश्न नहीं उठता।

(८) हां, कुछ आये हैं।

श्री जसवन्तसिंह—आपने फरमाया कि वोर्डर की वजह से वहां कोई मास्टर रहने को तैयार नहीं है, तो क्या उनके बचाव के लिये पुलिस का प्रबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा—एक एक स्कूल में तो पुलिस की चौकी नहीं बिठाई जा सकती। वोर्डर पर दूर बहुत कम आबादी के गांवों में जाकर [illegible] मास्टर रहना नहीं चाहता। इसके अलावा वहां लडके भी कम हैं।

एक सदस्य—बोर्डर पर कोई मास्टर रहना पसन्द नहीं करेगा तो क्या वहां के सब स्कूलों को उठा दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा—जहां स्केयरसिटी ऑफ पोपुलेशन है, दूर दूर झोंपडियां बसी हुई हैं वहां एक तरफ बैठते हुए मास्टर लोग घबराते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो टीचर्स बोर्डर पर रहना नहीं चाहते क्या सरकार उनको नौकरी से निकालती है ?

श्री नाथराम मिर्धा—हम मास्टरों को अपोइन्ट करके वहां जाने का आर्डर देते हैं पर वे इस्तीफे देकर सीधे घर चले जाते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—अगर पुलिस और फौज भी बोर्डर पर नहीं रहना पसंद करेगी तो क्या सरकार उस पर सख्ती नहीं करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इसका उत्तर मैं दूंगा। पुलिस और फौज में मास्टरों की तरह इतनी मुलामियत नहीं होती।

श्री जसवन्तसिंह—ऐसे लोगों को नौकर रखने से मतलब क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास—रफ तरह के मास्टर उपलब्ध हों तो हम उन्हें रखना पसन्द करेंगे।

श्री कानसिंह—उसी साइड के आदमियों को वहां क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा—वहां लडके बहुत कम हैं।

श्री जसवन्तसिंह—मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से जवाब में यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी वीर भूमि राजस्थान पिछले चार वर्षों में इतनी मुलायम हो गई है कि वहां बोर्डर पर काम करने के लिये मास्टर नहीं मिलते ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं, मुलायम नहीं हुई बल्कि बहुत सख्त हुई है; लेकिन जहां तक इस सख्त इलाके से ताल्लुक है वहां जाने के लिये अब तक सख्त आदमी नहीं मिले हैं। मैं विरोधी पक्ष के नेता से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे आदमी दें।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने कभी इस बोर्डर का टूर किया है ?

श्री कानसिंह—क्या छात्रों की कमी मास्टरों के बराबर न रहने के कारण हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—दोनों ही फेक्टर्स काम कर रहे हैं। मास्टरों की कमी भी और शिक्षा में कम दिलचस्पी भी।

श्री हनवन्तसिह—क्या वह जगह बोर्डर पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—सरकार की इत्तला के अनुसार यह इलाका बोर्डर का ही है।

प्रश्न संख्या ७१६

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या मन्त्री, राजस्व विभाग, निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या तहसील बोंली जिला सवाई माधोपुर के मौजा हरसोती के जागीरदार ने गांव के किसानों से १।२ व १।३ भाग अनाज लटाई में लिया है ?

(ख) यदि हां, तो तहसीलदार बोली ने जब कि रिपोर्ट उसको देदी गई थी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(ग) क्या इस प्रकार का कोई मुकदमा अभी मौजा हरसोती तहसील बोंली का निजामत सवाई माधोपुर की कचहरी में चल रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) तहसील बोंली मलारना चोर के गांव हरसोती के गोविन्दा और मनफूला चमारों ने तहसील में ५-२-५३ को दरख्वास्त पेश की थी कि सरदारसिंह जागीरदार अपने हिस्से की लटाई नहीं कराता हालां कि स्यालू फसल तयार है।

(ख) इस दरख्वास्त पर मुकदमा नम्बर ४७५ कायम किया गया।

(ग) नहीं।

एक सदस्य—यह मुकदमा कब से चल रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह ५-२-५३ को दायर हुआ है।

प्रश्न संख्या ७१७

श्री दलीपसिंह—Will the Minister for the Revenue be pleased to state:—

(a) How many ex-soldiers have been settled in each division ?

(b) How may ex-soldiers have been benefitted as yet after the announcement of the Rajpramukh at Kherwara ?

(c) Is there any Committee appointed in Kherwara to settle ex-soldiers? If so, kindly state the personnel to the Committee ?

(d) How many ex-soldiers have been settled in Udaipur division ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह प्रश्न चीफ मिनिस्टर साहब से सम्बन्धित है, इसका जवाब वे ही देंगे।

श्री जयनारायण व्यास–I will give its reply on my turn.

प्रश्न संख्या ६६३

श्री तेजपाल--क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भरतपुर जिले में सीकरी बन्ध से इस वर्ष कितनी सिंचाई हुई है और इससे पूर्व कितनी सिंचाई होती थी ?

(आ) यदि कम हुई है तो इस कमी का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इस प्रश्न का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये मैं अभी जवाब नहीं दे सकता ।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री तेजपाल--क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भरतपुर जिले में जो अजान बंध है उसके पानी से जो यू. पी. में सिंचाई होती है उससे सरकार को वार्षिक आय कितनी होती है ?

(आ) इस आय में से क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर कुछ रुपया बाकी भी है ?

(इ) यदि हां, तो क्यों और कितना ?

(ई) उसको वसूल करने के लिये क्या सरकार ने कुछ सोचा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) भरतपुर जिले के अजान बंध से यू. पी. में सिंचाई प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से नहीं होती है । जिस साल सिंचाई होती है उस साल उससे होने वाली औसत आय १० हजार रुपये हैं ।

(आ-इ-ई) जो रकम यू. पी. सरकार में बकाया है उसको वसूल करने की कार्यवाही हो रही है । यू. पी. सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है ।

सम्वत् २००२ में बकाया रकम १७७४ रु० १५ आना ३ पाई थी ।

सम्वत् २००४ में बकाया रकम १७१०९ रु० १४ आना ९ पाई थी ।

सम्वत् २००५ में बकाया रकम ११८२७ रु० ४ आना ६ पाई थी ।

श्री तेजपाल—यह बकाया रकम कब से चली आ रही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं समझता हूं, मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

Page No.29

अभियाचना संख्या ९—सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष—We will now discuss the Demands for Grants.

I hope the Hon'ble Members have received the order of priority in which they will be taken. What I want to bring to the notice of the Members is that they will take into consideration while tabling these motions the nature of their cuts, i.e., economy cuts, token cuts, and total cuts. We have arranged in this order and the Members will confine their arguments or discussions on the nature of the cuts they have moved. As for instance, take cut motions which are of the nature of economy cuts. On these motions the Members will limit their discussions only to the effecting of economy in the demands, as regards token cuts, they can raise discussion on any point. The total cut or refusal cut is the absolute refusal, total refusal of the demands. Under these motions they can refuse to give their sanction to the demands put in by the Minister concerned.

So we come to Demand No. IX, Shri Jai Narain Vyas.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--Sir, I beg to move, that a sum not exceeding Rs. 34,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. IX, Major Head 25 A and D—General Administration."

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Shri Gopi Lal Yadav to move his cut motion.

श्री एच.के. व्यास—On a point of order, Sir, in the Statement supplied to us, Volume I of the Budget, the figure is shown as Rs. 32, 84,000/- In the Detailed Budget Estimates which has been supplied to us, Vol. II, it stands at Rs. 32,87,000/- whereas the Hon'ble Chief Minister has moved for a grant of Rs. 34,00,000/-. I am not able to follow how the figures have varied from volume to volume and from publication to publication and from publication to this motion.

श्री जयनारायण व्यास—Will you please repeat ?

श्री एच.के.व्यास—In Voulme I, page 16, at the bottom. . . . .

श्री अध्यक्ष—बजट को देख कर In Volume I, page 16 ?

श्री एच.के. व्यास—Yes, Sir. From the bottom we deal with General Administration, Demand No. IX. Then figures are given against each demand in three columns, voted, charged and total. It is one figure that is available to us. Then it is totalled for purposes of elucidation. Then in Volume II, page 47. . . . . .

श्री अध्यक्ष—No, This is not clear to me, Volume I. . . .?

श्री एच.के. व्यास—In Volume I, under head 25 General Administration, A, the total amount is placed at Rs. 19,08,000/-. Below this is given a total amount of Rs. 23,66,000/-. Totalling these up it does not square with what has been demanded by the Hon'ble Chief Minister today. If we add Rs. 10,000/- from under Head 'Miscellaneous,' even then it does not come up to this figure

श्री अध्यक्ष—I do not understand what you say. It is not clear to me.

(लम्बी चुप्पी—श्री एच. के. व्यास के साथ श्री अध्यक्ष द्वारा विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Order, please ? There is a little confusion in Volume I. We come to page 16, Head No. 25, A and D General Administration. So under Head 25, A, D and H which is under Miscellaneous Head, all these totalled, and the total in Volume II of the same Head A, D and H; they practically tally, and so we proceed.

We take the cut motions.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इस ग्रान्ट, डिमान्ड नम्बर ९ पर मेरा कट मोशन यह है कि इस डिमान्ड में एक लाख रुपये की कमी कर दी जाय। मेरा कटौती प्रस्ताव. यह है।

"that the demand No. IX be reduced by Rs. 1,00,000 (to discuss the failure of the Government to effect economy in the administration to provide a living wage for low paid servants and clerks and also to reduce the burden of taxation on the tenants)".

माननीय अध्यक्ष, एडमिनिस्ट्रेशन शासन की रूह है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट पर ही स्टेट का सारे शासन का दारोमदार है। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढग से नहीं चलाया जाता है तो जिस तरह से एक व्यक्ति का दिल और दिमाग खराब होने पर उसका जिस्म काम नहीं कर सकता उसी तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट सही तौर पर काम नहीं करता है तो हमारा जो एड-मिनिस्ट्रेटिव जिस्म है वह ठीक प्रकार से और किसी तरह काम नहीं करेगा। मैं और चीजों पर आने से पहले, सबसे पहली बात जो मैंने कट मोशन पर रखी है, इकोनोमी को लेता हूं।

सबसे बड़ा काम जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट को करना है वह यह है कि शासन अच्छे ढंग से चले। खर्चा कम करने की तरफ हमारी सरकार ने आज तक कोई तवज्जह नहीं दी और अगर दी है तो इस तरह की दी है कि छोटे छोटे मुलाजिमों में कमी की जाय और दस चपरासियों से ८ कर दिये जायं और घाटे को पूरा कर दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान ऊपर से नीचे ले जाना चाहता हूं। सबसे पहला खर्चा, चूंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सब चीजें सम्मिलित हैं, राज-प्रमुख और महाराज प्रमुख से सम्बन्ध रखने वाला है। महाराज प्रमुख का आपने पद रखा है, ठीक है। उन्हें इज्जत के लिये यह पद दिया गया है। महाराज प्रमुख को बतौर प्रिवी पर्स के बड़ी रकम मिलती

[श्री गोपीलाल यादव]

हैं। फिर यह आवश्यक बिल्कुल नहीं था कि महाराज प्रमुख के लिये अलाउन्स रखा जाता, उनके पास कतई काम नहीं जिससे कि बडी तनख्वाहों के सेक्रेट्री रखे जायं, ऑफिस रखा जाय, चपरासी रखे जायं और साइकिल सवार भी रखे जायं। महाराज प्रमुख को प्रिवी पर्स की रकम राज्य की तरफ से दी जाती है और पहले के राज्यों में अगर किसी आदमी को बडी रकम दी जाती थी, चाहे राजाओं के भाई ही हों, तो राज्य उनसे काम लेने का अधिकारी था और राज्यों और रियासतों के राजा लोग जो चार-पांच लाख रुपया प्रिवी पर्स का लेते थे तो वे शासनका काम करते थे। दस लाख, बीस लाख रुपया प्रिवी पर्स का हम देते हैं और हम इनसे कोई काम नहीं लेना चाहते हैं, नाम मात्र का काम लेना चाहते हैं, और कई लाखों का अलाउन्स प्रिवी पर्स के, बतौर अलाउन्स, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख को देना चाहते हैं, स्टाफ भी रखना चाहते हैं; तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जो राजाओं से कमिटमेन्टस् कर दिये हैं, प्रिवी पर्स की जो रकमें तय कर दी हैं, मैं उनमें कोई रुकवाट डालने नहीं जा रहा हूं कि ये बन्द कर दिये जायं। ये तो सेन्टर ने दे दिये हैं और उसका ३३ लाख का खर्चा हमारे ऊपर डाल दिया गया है। कम से कम महाराज प्रमुख और राज प्रमुख के ऑफिस अलाउन्स का खर्चा ऐसा है कि जिनके किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिवी पर्स से काम चलाया जा सकता है। ठीक है उनको इज्जत दे दी गई है, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख नाम दे दिया गया है; अलाउन्स देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और इस खर्चे में कमी की जा सकती है। राजा लोग तो इज्जत के भूखे होते हैं। पैसे का लालच तो उनको नहीं होता।

दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस ओर जो ध्यान नहीं दिया गया है वह दिया जाना चाहिये था। इसके बाद इस प्रिवी पर्स के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। सेन्टर ने यह तय कर दिया है कि राजा-महाराजाओं को प्रिवी पर्स का रुपया वह अपने पास से देगी और सेन्टर दे भी रही है। हमारे राज्य पर प्रिवी पर्स का ३३ लाख का बोझा है। यह रकम सेन्टर से दी जा सकती है। हम यह ३३ लाख रुपया गलत तरीके से दे रहे हैं जो सेन्टर के खर्चे में जाना चाहिये। और सेन्टर की ड्यूटी है कि वह उन्हें दे। जब सेन्टर इतनी बड़ी रकम दे रही है तो कोई कारण नहीं कि ३३ लाख और न दे।

लेकिन पिछले साल के बंजट के समय हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय ने कारण बताये थे जो इस बार नहीं बताये गये। पिछली बार बहुत सी बातें साफ साफ कही गई थीं जिससे वह बजट रोचक नहीं बन सका। उन्होंने बताया कि सेन्टर के कमीशन ने कहा कि क्योंकि सेना का सारा खर्चा हमने ले लिया है, पर साथ ही रेल्वे की आमदनी भी ले ली है पर इससे बचत कोई अधिक नहीं होती है इसलिये प्रिवी पर्स में पांच साल तक इतना रुपया तुम देते रहो। यह हमने स्वीकार कर लिया। यह बात पिछले साल की बजट स्पीच में थी। पर इस साल यह सब करने की आवश्यकता भी नहीं थी। यह जो आर्ग्युमेन्ट किया गया कि सेना के ले लेने के कारण जो तुम्हें बचत हो गई है इसलिये तुम हमें दो। यह गलत है और इसके लिये सेन्टर को सही रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिये।

[श्री गोपीलाल यादव]

सेन्टर अगर इस पोइन्ट पर यह कहने की कोशिश करे कि चूंकि तुम्हारी आर्मी हमने ले ली है इसलिये बचत हो गई है २ करोड़ की, तो हमें इसका पूरा पूरा रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिये और कहना चाहिये कि आर्मी का सम्बन्ध सेन्टर से ही है। आर्मी का खर्चा करना सेन्टर की ड्यूटी है। अगर वे कहें कि पहले राजा लोग भी तो आर्मी रखते थे तो इसका भी उत्तर दिया जा सकता है कि वे पहले स्वतन्त्र थे, स्वतन्त्रता के नाम पर कोई कुछ भी खर्च करे। पहिले अंग्रेजी हुकूमत में १०० करोड़ ही रुपया आर्मी पर खर्च करना पड़ता था, पर स्वतन्त्र होने पर अब २०० और तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करते हैं; स्वतन्त्रता के समय की बात ओर है। राजा लोग उस समय स्वतन्त्र थे। अपनी शान के लिये यह खर्च भी करते थे। इसमें वे अपनी शान समझते थे। पर जायज खर्चा सेन्टर को एक फेडरेशन को इस आर्मी का उठाना चाहिये। सेन्टर पर सारे देश की आर्मी का जिम्मा है। ये सारी बातें इसके उत्तर में दलील के तौर पर कही जा सकती हैं।

इसलिये में यह साफ कर देना चाहता हूं कि सेन्टर यह कहे कि इतनी बचत कर दी इसलिये ३३ लाख रुपया तुम पांच साल तक भुगतते रहो, यह गलत बात है। इसके लिये हम स्ट्रोंग रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिये और इस बात को नहीं मानना चाहिये। अगर सही रिप्रेजेन्टेशन करेंगे तो, मैं समझता हूं, सेन्टर के लोग इतने अनरीजनेबल नहीं है कि हमारी बात ही नहीं मानें। पर यह हमारी कमजोरी है कि हम रिप्रेजेन्टेशन ही नहीं करते और यह बोझा हम पर पड़ रहा है।

इसके बाद लेना चाहता हूं मिनिस्टरों का खर्चा। कल श्री जयनारायण जी व्यास ने कहा कि यह कहा जाता है कि एक मिनिस्टर पर ४ हजार मासिक खर्च होता है, वह गलत है; खर्च कम आता है इतना नहीं आता। उन्होंने कुछ बातें भी बतलाईं। जरूर मैंने यह सवाल किया कि आप यह फरमाइये कि आखिर एक मिनिस्टर पर कितना खर्च आता है। पर इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, यही कहा कि क्वेश्चन टाइम पर जवाब दिया जायगा। एक मिनिस्टर पर सरकार ४ हजार रुपया खर्च करती है यह सरकार की तरफ से बजट की बहस के वक्त में कहा गया था तो बजट के जवाब में ही उन्हें स्पष्ट बताना चाहिये था कि यह गलत है। चार हजार खर्च नहीं करते डेढ़ हजार खर्च करते हैं या पौने दो हजार खर्च करते हैं अथवा ढाई हजार ही करते हैं; जैसा भी था बताना चाहिये था। यह तो कह दिया कि हम खर्च करते हैं पर कितना करते हैं यह बताया नहीं।

मैं इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार के मन्त्री हैं वे हर सवाल का जवाब या तो ठीक तरह से देते नहीं या उसे टालने की कोशिश करते हैं या देते हैं तो वह उत्तर सही नहीं होता। यह आदत अच्छी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि वे स्वयं भी यह आदत छोडें और अपने सेक्रेटरी और कर्मचारियों की भी ऐसी आदतें छुड़ावें। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी यही निवेदन करूंगा कि वे स्वयं भी इसे छोडें और अपने साथी अन्य मिनिस्टरों से भी यह आदत छुड़ावें। वे हर समय सही बात हाउस के सामने लाने से टालमटोल करते हैं, यह हमारा अनुभव है।

अब मैं बताना चाहता हूं कि कितना खर्चा मिनिस्टरों पर होता है।

[श्री गोपीलाल यादव]

एक हजार इनको तनख्वाह मिलती है। कल चीफ मिनिस्टर महोदय ने कहा कि २५० रुपया मोटर अलाउन्स रक्खा गया है, अगर कोई मिनिस्टर सरकारी गाड़ी न रखे तो। इसके अलावा ७५ गैलन की पैट्रोल जयपुर में घूमने के लिये, सेक्रेटेरियेट में आने जाने के लिये या और जगह सैर करने के लिये दिया जाता है। इसके माने हुए ५००) रुपये माहवार टी. ए. और डी. ए. के अलावा मोटरों के लिये नगद दे दिये। इस तरह से १ हजार वेतन का, २५० रुपया मोटर अलाउन्स और २५०, रुपया पैट्रोल का खर्च।

होना यह चाहिये था कि अगर इकोनोमी की आप बात करें तो, अगर पैट्रोल का या ढाई सौ रुपया आप लेते हैं तो आपको टी. ए. नहीं मिलेगा।

७५ गैलन के अर्थ यह हैं कि करीब ढाई गैलन रोज और ढाई गैलन के मानी हैं कि १००मील रोज की सफर अगर छोटी गाड़ी से हो और अगर ४० मील की रफ्तार वाली गाड़ी हो तो ६०-६५ मील हो जाते हैं। अगर कोई छोटी गाडी हो तो ३० मील समझिये, २५ मील समझिये; तो भी ५०-६० मील रोज हो जाते हैं। तो पचास - साठ से ज्यादा कोई मिनिस्टर हमेशा ट्रैवल नहीं करते और इसको हम मुनासिब समझते भी नहीं कि इससे ज्यादा रोज ट्रैवल करें।

इसलिये ७५ गैलन पैट्रोल देने के बाद एक पैसा भी टी. ए. का नहीं मिलना चाहिये। पर टी. ए. सेन्ट पर्सेन्ट ज्यों का त्यों ही रक्खा गया है।

इसलिए पांच सौ हमने इस तरह से मुफ्त में दे दिये और माइलेज टी. ए. का महीने में दो सौ, चार सौ, छ सौ एक मिनिस्टर के अगर हिस्से में आता है तो वह अलग होगा। इस तरह से करीब ५००) रुपया उन्होंने और ले लिये। और पांच सौ रुपया मोटर का मिलाकर इस तरह एक हजार हो गये।

अब रहा डी. ए.। दस रुपया या साढे सात रुपया रोज है या कैसा है? अगर दस रुपया रोज है तो बीस दिन में २००) रुपया हो गया। महीने में बीस दिन तो एवरेज दौरे का पड़ ही जाता है। यह दो सौ रुपया जोड कर कुल १२ सौ रुपया हुआ। और एक हजार तन्ख्वाह अलग।

अब ५००) रुपया माहवार आप कोठी का समझें? इस नमूने की वैल फर्निश्ड कोठी बगीचे के साथ और पानी देने वाले नौकर के साथ ५००) रुपया माहवार से कम में नहीं मिल सकती। मिनिमम पांच सौ रुपया लगाइये माहवार में। तो इस तरह कुल २७ सौ रुपया हो गया।

इसके अलावा इन मिनिस्टरों पर और बहुत से खर्चे हैं। पहरेदार, साइकल सवार, हर वक्त का अर्दली भी रक्खा जाता है और कई धंधे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि बहुत मामूली खर्चा करते करते भी साढे तीन हजार पर टोटल [illegible] पहुंच जाती है। तो साढे तीन हजार महीने का खर्चा एक मिनिस्टर पर हम क्यों करें?

[श्री ग.प.लाल यादव]

इसमें भी एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो ७५ गैलन पेट्रोल आप इन्हें देते हैं उसे १०० गेलन कर दीजिए पर टी. ए. बिल आप मत दीजिये।

दूसरी चीज यह है कि डी. ए. उसके लिए जरूरी है जो एक छोटा मुलाजिम है। वह जब घर से बाहर जाता है तो घर पर जितने में उसको रोटी मिल जाती है बाहर जाने में उससे ज्यादा खर्चा करना पड जाता है इसलिए उसके लिए डी. ए. जरूरी हो सकता है। लेकिन एक मिनिस्टर को जिसको इतनी बडी एमेनीटीज यहां मिलती है, वह जब बाहर जाता है तो वहां भी उसे सब सुविधायें मिल ही जाती हैं। उसे तीस-चालीस रुपये रोज घर पर मिलते हैं तनख्वाह के, तब इससे ज्यादा फिर डी. ए. की क्या आवश्यकता रह जाती है।

इसलिये माननीय मंत्रीजी को या मैं तो यों कहूंगा कि किसी भी अधिकारी को जो कि एक हजार रुपया मासिक से ऊपर तनख्वाह पाता है उनके लिए भी डी. ए. बन्द कर दें।

इस तरह से आप बहुत काफी खर्चे में कमी कर सकते हैं।

इसके अलावा करीब कुछ दूसरी स्टेटों में और विभाजन से पूर्व पंजाब जो कि आबादी में राजस्थान के बराबर पड़ता था तब भी वहां कुल ५ मिनिस्टर रक्खे गये थे, अब भी ६ मिनिस्टर ही रक्खे गये हैं। तब आज यहां दस-दस, ग्यारह ग्यारह मिनिस्टर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल पांच आदमियों से भी शान के साथ आज गवर्नमेन्ट चल सकती है; बशर्ते कि आप घूमने-फिरने का काम बन्द करदें।

इन मिनिस्टरों का बहुत बड़ा टाइम पार्टी प्रोपोगेन्डा में जाता है। वह समय अगर वे शासन चलाने में लगावें तो सुधार हो सकता है।

मैं मेरे मित्रों से अपील करूंगा कि जो यह कहा जाता है कि ये दौरे शासन के लिये होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। यह मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और हरेक आदमी जानता है। ये दौरे महज पार्टी प्रोपागन्डा के लिये होता है। अगर ऐसा ही है और इसी तरह करते रहना है तो पांच मिनिस्टरों में से एक को पार्टी प्रोपोगेन्डा में रहने दीजिए। (हंसी) बाकी तो पूरा टाइम लगाकर काम करें। पर अगर सबके सब इतना खर्च पार्टी प्रोपोगेन्डा के लिये करेंगे तो इस प्रान्त के गरीब लोगों पर बड़ा भारी बोझ होगा इसे तरह से पांच मिनिस्टर रखकर आप मिनिस्टरों के खर्चे में बहुत बडी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा डिविजनल डिपार्टमेंट को तो आप निश्चित तौर पर खतम कर दीजिये। इससे कोई फायदा आपका नहीं हो रहा है आपके सेक्रेटरी के आफिस से सीधा कॉरेस्पोन्डेन्स कलक्टर के आफिस से भी हो सकता है। कलक्टरों को जो पावर्स अभी आपने दे रक्खे हैं वे और बढा दीजिये। अभी के तमाम कागज उठाकर देख लीजिये तो जिन पर कलेक्टर ने जो राय दी है सेन्ट परसेन्ट उसी को कमिश्नर ने पास कर दिया है और कमिश्नर इन्हीं कागजों को आपको फॉर्वर्ड कर देता है जो कलेक्टर ने भेजे

[गोपीलाल यादव]

हैं अपनी राय के साथ कमिश्नर के पास। ऐसी सूरत में पांच परसेन्ट भी ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें कमिश्नर को करना पड़ता हो या उसका सीधा संबंध हो। केवल शान को बढ़ाने के लिये हमारे यहां डिविजनल ऑफिसर्स भी हैं। इस बोझे को ढोते रहना हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कतई उपयुक्त नहीं है। आप इस पर गौर से विचार करिये। मैं नहीं चाहता कि आप इसको तुरन्त तोड़ दें। आप कम से कम मेरी बातों को सुनकर यह देखें कि उनके काम में और कलेक्टर की राय में कितना फर्क है और क्या आपको तब भी उनकी आवश्यकता महसूस होती है ? अगर आप फिर भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आवश्यकता नहीं है तो हटा दीजिए।

इसके अलावा आप जागीरी डिपार्टमेन्ट पर बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं। १६-१८ सी. ओज. रक्खे हुए हैं। आपके नायब तहसीलदार बेकार बैठे हैं। आप इनके काम को उनसे लीजिये। तहसीलदारों से लीजिए, इस महकमे को हटा जरूर दीजिये। बाकी नीचे की मशीनरी है उसका काम आप डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी से ले सकते हैं।

इस तरह से और कई खर्चे कम करना चाहिये और इनको कम करने से काफी बचत हो सकती है।

अब मैं आपके सामने लोअर पेड सरवेन्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इन लोगों की एक अजीब कहानी है जिसके लिये अगर कुछ कहा जाय तो लोग यह कहेंगे कि सरवेन्ट्स को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हैं। आज वह समय नहीं कि किसी को भड़काने की आवश्यकता हो, आज हरएक आदमी भड़का हुआ है, हरएक आदमी के दिल और दिमाग है। चाहे गली में जाकर देखिये, या सड़कों पर, आफिस में यह सुनते हुए आप पायेंगे कि हमारे मिनिस्टरों को तो इतनी तनख्वाह मिलती है और हमको बहुत कम, उनको इतना टी. ए. मिलता है और हमको एक ही रुपया मिलता है; इससे हमारा कैसे गुजर चल सकता है ? ये सेठ साहूकार महलों में रहते हैं हमारे पास रहने के लिये झोंपड़ी भी नसीब नहीं। ये चीजें आज हो रहीं हैं, ये भावनायें आज उनकी हैं; इसमें भड़काने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम इस बिमारी का इलाज नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे और हम देश को खतरे में डाल देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोअर पेड सरवेन्ट्स के लिये कुछ इन्तजाम जरूर किया जाय। आप एक चपरासी को १०० रुपया देने में इसलिये संकोच करते हैं कि १५० रु० वाला २०० रु० मांगेगा या और कुछ होगा। इसके लिये आप कम से कम चीप शोप्स (सस्ती दुकानें) खुलवा दीजिये। इसके लिये २०-३० लाख रुपये का प्रोवीजन कर दीजिये। उस दुकान से आप उनको गेहूं रुपये का आठ सेर दीजिये, एक सेर का घी दीजिये, उनको रुपये की तीन सेर चीनी दीजिये और तनख्वाहें चाहे आज जो मिल रही हैं वही मिलती रहें; ताकि एक दम गड़बड़ पैदा न हो। अगर आप इस तरह से भी न करेंगे तो इनमें असंतोष फैल जायगा और असंतोष बढ़ने पर असंतोष का क्या नतीजा होता है यह आपसे छिपा नहीं है। इसके अलावा जो असंतोष का नतीजा होगा वह यह होगा कि ये लोग हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे, जिससे बड़ा भारी नुकसान होगा। आप यदि उनको ज्यादा पे करेंगे तो उसका रिटर्न भी आप को ज्यादा मिलने लगेगा। वह इस तरह कि आज कोई भी आदमी, हजारों में एक भी ऐसा नहीं होगा जो यह कहे कि मेरी चिटठी या मेरा तार पोस्ट आफिस में पड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि हजारों लाखों

[श्री गोपीलाल यादव]

चिट्ठियां समय पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, सैंकडों-हजारों तार रोजाना वक्त पर मिल जाया करते हैं, लेकिन आपके महकमें का क्या हाल हो रहा है ? आपके महकमें में एक दरख्वास्त भेजिये और उसका जवाब छः महीने तक आपको नहीं मिलेगा। आप इसके लिये कह सकते हैं कि दरख्वास्त के लिये आप पैसे नहीं देते। दरख्वास्त पर जो टिकट लगाया जाता है वह इसीलिये लगाया जाता है कि उसका जवाब तुरन्त मिले। आपको भी अपने हरएक महकने को पोस्ट आफिस या रेलवे के महकमें के लेवल पर लाना चाहिये। क्या कारण है कि आपके महकमों में इतनी एफिशियन्सी नहीं जितनी कि एक पोस्ट आफिस और रेलवे में होती है ? मैं तो इसका एक ही कारण समझ पाया हूं, वह है आप लोगों की अयोग्यता और अदूरदर्शिता; इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता । मिसाल के तोर पर मैं एक-दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस का था उसका पुलिस से झगड़ा होगया और पुलिस ने उस पर केस बनाया। उस मुकद्दमे में उस कार्यकर्ता को ५०) रुपये जुर्माने की सजा हुई और उसने उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के कोर्ट में की। उसकी अपील मंजूर होगई लेकिन जुर्माना तो उसको उसी वक्त जमा करना पडा नहीं तो उसको एक मास कैद की सजा होने का हुक्म था, इसलिये बेचारे ने रुपये उसी समय जमा करा दिये। आखिरकार डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट से जब वह बरी कर दिया गया तो वह रुपया जो उसने खजाने में जमा कराया, सही बताऊं, उसको लेने के लिये जब तक दो साल तक भरतपुर में रहा नहीं मिला। उससे बातचीत होने पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इन पचास रुपयों के लिये इतनी बार भरतपुर से आना पडा कि मेरे इसमें करीब १००) रुपये से ज्यादा खर्च हो गये। यह है आपके शासन का नमूना। अब भी शायद उस चीज को तीन साल होने आये, उसको वह पैसा मिला या नहीं मैं नहीं, कह सकता।

इसी तरह से एक और छोटी सी चीज बतादूं जो मेरे साथ हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री गोपीलाल यादव—आप मुझे कितना समय देंगे। मेरा ऐसा कहना है कि इस पर मेरा ही एक कट मोशन है। इसलिये मुझे कम से कम आध घंटा तो दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Ordinarily 15 minutes are given but I have given to you more time. It is going to be half an hour.

श्री गोपीलाल यादव—मुझे १०-५ सजेशन्स और देने हैं मेरा इरादा हाउस का टाइम वेस्ट करने का नहीं है।

इसके अन्दर हुआ क्या कि कमिश्नर की मार्फत कलेक्टर को कहा गया कि इनको रुपया दे दिया जाय। फिर कलेक्टर ने जवाब दिया कि फाइल आपके पास भेजी हुई है वह मेरे पास भेज दी जावे ताकि मैं देखकर यह बता दूं कि किस हेड में से रकम दी जावे। फाइल भेजी जाने ही वाली थी कि मैं वहां पर पहुंच गया मैंने फाइल रुकवा दी। मैंने कहा कि आप ही हैड देख लीजिये। यह एक साल पहले की बात है, अब न मालूम उसका आगे क्या हुआ होगा। यह एक नमूना पेश किया है कि

[श्री गोपीलाल यादव]

किस तरह से शासन चल रहा है। अगर हम एफिशियेन्सी लाना चाहते हैं तो यह जो अननेसेसरी कॉरेस्पोण्डेन्स हुआ करती हैं उनको रोका जाना चाहिये। इसके साथ साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिमों के संबंध में उनकी एफिशियेन्सी के संबंध में आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि जितनी शासन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही जिम्मेदारी इन छोटे मुलाजिमों की भी है। आप हमेशा उनको बराबर समझें, लेकिन आप उन्हें बराबर समझते कहां हैं? क्या आपने कभी उनको टी पार्टी में निमन्त्रित किया जब कि टी पार्टी करते हैं? आपने कभी अपने दफ्तर के क्लर्क को भी बुलाने की कोशिश की? आप उन्हें कभी नहीं बुलाते। यह ढंग भी आप शुरू कीजिए ताकि उन लोगों के दिल में यह भावना पैदा हो कि उनके साथ बराबरी का वर्ताव होता है। नतीजा यह निकलेगा कि उनके दिल में यह भावना पैदा होगी कि वे मिल कर शासन का काम करें।

आपको टीम स्प्रिट से काम करना चाहिये। अपने यहां पर कुछ टीमें बना दीजिये जिनमें क्लर्कस् और आप मिलकर बराबर के मेम्बर्स हों, और किसी क्लर्क को जो अच्छा खिलाडी हो उसको कैप्टिन बना दें और उसके अन्डर में आप काम करें और आप उसके ऑर्डर का पालन करें; ताकि सेक्रेटेरियट के लोगों में यह भावना आ जाय और शासन को वे बेगार समझने के बजाय अपना समझकर चलायें।

अब मैं एक चीज किसानों के संबंध में कहना चाहता हूं जो कि मेरी आखरी बात है। किसानों पर शासन का बोझ बहुत बढा है। उसको कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। पहले यह था कि इन्टर स्टेट ड्यूटीज (Inter State Duties) कम करेंगे, जो एक पैसा भी आज तक कम नहीं हुआ। फलस्वरूप किसानों पर सरसों की पैदावार पर बहुत अधिक बोझा है?

अब मैं आपको एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह कानून बनाया हुआ है कि किसानों को अपनी पैदावार का १/६ हिस्सा देना चाहिये और कहा गया है कि १/६ से उनको कम देना पड़ता है। लेकिन जिस जमीन के सेट्लमेन्ट की दर से १) रुपया देना पड़ता है उसी जमीन के १/६ के हिसाब से किसान को ३०) और ४०) रु. देने पडते हैं और ३०), ४०) रु० देने के बाद भी ऊपर से कस्टम ड्यूटीज लगा रहे हैं। वे इस बोझ को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भरतपुर और अलवर के लैन्डलार्ड्स को तो वह १) रुपया दिलाते हैं और दूसरे इलाकों में वह ४०) रुपया दिलाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि इधर तो यह नहीं है उधर कस्टम का बोझ है, उधर एग्रीकल्चर इनकम टेक्स वगैरह के हिसाब से बहुत सा बोझ आप उन पर लाद रहे हैं। क्या यह किसानों का बोझ कम कर रहे हैं? मुझे तो ताज्जुब हुआ कि किसानों की तरफ आपका ध्यान नहीं होकर उनके हित के विरुद्ध ध्यान जा रहा है? अभी एक आदमी ने मुझे बताया है कि ७ मार्च के गजट में एक ऑर्डर आया हुआ है कि टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स Tenants Protection Ordinance सरकारी जमीनों पर से हटा लिया गया है इसके क्या मायने हैं? आप एक तरफ तो उनकी रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ करोड़ों बीघा जो सरकारी जमीन है उस पर से उसे हटाकर केवल उन मुलाजिमों के रहम पर छोड़ना चाहते हैं जो उनको खा जायेंगे। उनको बेदखल करेंगे और वापिस कब्जा पाने के लिये उन्हें बड़ी बड़ी रिश्वतें देनी पड़ेंगी। इससे ज्यादा बेइमानी और क्या हो सकती है कि एक तरफ तो लैन्डलार्ड्स से कहा जाता है कि तुम इस तरह

Page No.38

[श्री गोपीलाल यादव]

से बेदखल नहीं कर सकते हो चाहे तुम्हारे पास २० बीघा ही जमीन हो। आप बेवा को भी माफ नहीं करते हैं लेकिन सरकार की जमीन पर से बेदखली जारी कर दें तो इस तरह से आप किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहे हैं जिसक कि बहुत सख्त जरूरत है। आपका एक लक्ष्य हो जाना चाहिये कि किसानों को आप इसी दृष्टि से देखेंगे और इस तरह से नहीं देखेंगे जैसा कि आप अभी कह रहे हैं। जब तक यह चीज नहीं हो तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लो पेड सर्वेन्ट्स और किसानों की तरफ कोई आपने अभी ध्यान नहीं दिया है। आपको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपना कट मोशन प्रस्तुत करके बैठता हूं।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I had given notice of a cut motion yesterday.

श्री अध्यक्ष—It is not ripe.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No. According to Rules two clear days notice should be given. But it is also provided in the Rules : "unless the Speaker in his discretion may permit the moving of a motion....."

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then will you permit me to speak on the cut motion This was submitted yesterday.

श्री अध्यक्ष—Order please ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में श्रीमान् गोपीलाल जी यादव ने जो कट मोशन दिया है उसमें २-३ बातें उन्होंने कही हैं...

श्री दिलीपसिंह—ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या कट मोशन के ऊपर दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—It is not necessary that on all cut motions all Members should speak. I gave opportunity to members to speak on the General Discussion and there are cut motions of their also and after the general discussion and sufficiency of discussion it is within the discretion of the Chair to allow a particular member to speak or not.

Page No.39

श्री हरिकृष्ण व्यास—I refer to particular Rules, Sir. There is a provision in the Rules.

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I have your permission....

श्री जसवन्तसिंह—If there is a rule that any Hon'ble Member can speak on a cut motion moved by another Member, then the question of privilege comes in and I most respectfully submit that whr ve there is a question of privilege of the Hon'ble Members it should, as far as possible, be honoured and as far as the House and the Opposition is concerned, we assure you, Sir, that in every way possible we will co-operate and curtail our speeches and would try to finish as early as possible. But wherever the question of rights of the Members come, I submit, Sir, that it is a very serious thing and therefore I want to bring it to your notice and we would request that opportunity should be given to us to speak. We have been informed that every Member has a right to speak. Whether the debate is lengthened or shortened, is immaterial. It is our right which is material and we will never allow our right, Sir............

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Should ' speack, Sir?

श्री अध्यक्ष—Let me say a few words about (this referring to the remarks of Shri Jaswant Singh).

I assure the Members of the House that I will give each and every member full opportunity to discuss the Budget. I do not want to curtail any privilege of theirs. They have the privilege, they have the right to discuss each and every point. But we have to see that a Member wishing to speak on each and every item is entitled to speak on each and every item when any cut motion is moved, and it is for the Chair to see whether a repeated opportunity is given to him on every cut motion. It is a right to speak, but within it there are certain limitations and those limitations are to be exercised by the Chair. But if the House wants, the Chair has not the least thing in mind to curtail the discussions, but so far as the cut motions are concerned, there are various cut motions and I think if I allow a particular member who has moved a cut motion, then too the discussions will be sufficient, and if one Member moves a cut motion and another goes on to support it, of course he has a right to do so, but the debate will be too much prolonged.

We now come to demands on which there are various cut motions and I may assure the House that I will allow each and every member

Page No.40

[श्री अध्यक्ष]

who moves the cut motions on these demands to speak and if the debate is not much lengthened if the discussion is not sufficiently done, then other members will also be allowed to speak.

I have allowed Mr. Gopi Lal Yadav sufficient time, i.e., more than half an hour for this, and if the Leader of the House, i.e., the Minister-in-charge want to reply, he should give it.

श्री गोपीलाल यादव—On a point of information, Sir. माननीय अध्यक्ष, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर किसी डिमान्ड पर कट मोशन नहीं है तो क्या उस पर हाउस का कोई सदस्य बोल सकेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—Yes, he can speak subject to limitations.

श्री गोपीलाल यादव—यानी इस कट मोशन का जवाब देने के बाद भी जनरल डिमान्डस् पर डिबेट चलेगी और उस समय कोई आदमी कुछ बोल सकता है? संबंधित मंत्री कट मोशन का जवाब देदें उसके बाद में जनरल डिबेट एडमिनिस्ट्रेशन पर जारी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—No.

श्री जसवन्तसिंह—Then, Sir, the point is that this is a very important item and there is no other cut motion on this item. Therefore, it is necessary for the House to discuss it threadbare. There is no intention on the part of the House and particularly on this side that they should prolong the debate unnecessarily, but if one or two speakers feel it necessary and want to speak on this subject, which is a very important subject, I respectfully submit that you should see your way, Sir, to allow him to express his view, in view of the importance of the subject; otherwise naturally we feel that there is no necessity of speaking and that our privilege has been curtailed which is not proper, as far as our rights are concerned.

श्री कानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I also gave notice of a cut motion on this very subject In fact I gave notice on three or four demands. All the others have been incorporated in the agenda, but on this particular demand my name has been omitted. I do not know why this error has been done by the office.

श्री अध्यक्ष—There is a specific rule about these cut motions. It is Rule 176 which says that notice of motions shall be given two clear days before the day on which such item comes up for discussion. So I think the Hon'ble Member will recollect the date on which he has given the notice and if he has done so, two clear days before, they would come up.

[श्री अध्यक्ष]

As regards the general observations on this particular item, i.e., demand under Head General Administration, I would call the attention of the Members to the general discussion which is a part of the Budget and I would rather appeal that they will not repeat the same things which they have said in the general discussion, as I have been observing that most of the arguments and most of the things are the same which have been discussed on the Rajpramukh's speech and on the general discussions and which are likely to be repeated on this occasion also. So if the Members want and if the House so desire I have no objection in prolonging this debate, but it is within the discretion of the Chair to allow a particular Member to speak or not.

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष. . . : . . .

श्री अध्यक्ष—Order ! I do not allow.

श्री एच. के. व्यास—Sir, you have just said that every Member.....

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री एच. के. व्यास—Will you permit me to make a submission, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री एच. के व्यास—My request to you Sir, you may hear me first and then you may permit me or not. I have a submission to make. I have a ground which I have to bring to your notice.

श्री अध्यक्ष—Your request is to allow you to speak on this ?

श्री एच. के. व्यास—No, my request is that you should hear me first. I am asking your permission, Sir. Then you may allow me to speak or not.

श्री अध्यक्ष—You have had an opportunity to speak on the General discussion and now there is no cut motion of yours. I do not allow.

श्री एच. के. व्यास—You said just now that if a Member wants he can speak. I would submit......

श्री जयनारायण व्यास—(Standing up) I am in the possession of the House, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Yes, unless any other Member wants otherwise.

श्री एच. के. व्यास—Do I take that a discrimination has been made against me ?

श्री हिम्मतसिंह (कुनाड़ी)—माननीय अध्यक्ष. . . . .

श्री एच. के. व्यास—I, rise to a point of order again. If one particular Member of the House may be allowed to speak, then I, who caught your eye first, should also be allowed to speak. Will I..........

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हिम्मतसिंह—मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इस पर ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। बजट की बाबत तो कुछ थोड़ा समय मिला जिसमें अर्ज किया। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये ज्यादा समय न लेकर में अपना भाषण संक्षेप में ही समाप्त करूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष, चावल जब पकाया जाता है उस समय सब चावलों को मसल कर नहीं देखा जाता की चावल ठीक पक गये या नहीं। सिर्फ एक चावल से नजर आ जाता है। मैंने जो इस संबंध में चावल का दाना देखा उससे आपके सामने रखना चाहता हूं और उससे आपको मालूम हो जायगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चल रहा है और आया इसमें कोई, काम करने की जरूरत है या नहीं और जो सर्विसेज में आदमी हैं वे, जिस एफिशिएन्सी से काम करना चाहिये काम कर रहे हैं या नहीं, उनको घटाने या बढाने की आवश्यकता है या नहीं।

कुछ समय पहले मैंने एक पत्र किसी मिनिस्टर महोदय को लिखकर किसी विषय पर भेजा था। उसका मुझे महीनों तक जवाब नहीं मिला। फिर उस विषय पर रजिस्ट्री द्वारा पत्र भेजा, उसका भी मुझे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई जवाब नहीं मिला। फिर सेशन का समय आया तो मैंने मंत्री महोदय से स्वयं अर्ज किया क्योंकि हाउस में ऐसी परिपाटी चली आ रही है और मिनिस्टर साहेबान बार बार यह कहते हैं कि आप हमसे मिल लिया करें क्योंकि वे पत्र का जवाब देना नहीं चाहते और चाहते हैं कि लोग उनसे पर्सनली मिल कर कहें। मगर बार बार जयपुर में तो इसी काम के लिये तो आया नहीं जाता। लेकिन फिर भी जब मैंने पर्सनली अर्ज किया उस समय उन्होंने कहा कि उस विषय पर ऐसा हुक्म दे दिया गया है। मुझे उनसे मिल कर संतोष हुआ लेकिन जब मैं सेशन के बाद घर पहुंचता हूं तो मुझे घर पर ६ महिने बाद जवाब मिलता है कि आपका पत्र आया और जो विषय पत्र में लिखा था वह विचाराधीन है। मैंने सेक्रेटरी साहब से लिखा कि आपके कथन को सत्य मानूं या मिनिस्टर के कथन को सत्य मानूं ? आखिर कार उसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यह एक नमूना है आपके एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशिएन्सी का जिसको मैंने आपको बताया है। यदि इसी तरह यह एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा ?

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष,

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री एच. के. व्यास—क्या मैं यह समझूं कि जो कायदा सदन के दूसरे सदस्यों के बोलने के लिये है वह · · · · · · ·

श्री अध्यक्ष—It is applicable to all.

श्री एच. के. व्यास—अभी तक तो मैं एक भी कट मोशन पर नहीं बोला हूं। इसलिये मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा यह रूल, जिस समय सिलेक्ट कमेटी का सवाल हाउस के सामने आया था उस समय रिलेक्स दो बार किया गया और ५ दिन का नोटिस नहीं होते हुए भी मौका दिया गया। यह बात हाउस के रेकर्ड पर है जो रेकर्ड की गई थी। मैं बोलने के लिये इजाजत चाहता हूं। मुझे क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है मैं यह जानना चाहता हूं? क्या मुझे बोलने की इजाजत है?

श्री अध्यक्ष—No.

श्री गंगासिंह—अध्यक्ष महोदय, इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सरकार का ध्यान एक विषय पर ही आकर्षित करता हूं।

राजस्थान को बने करीब चार साल हुए हैं मगर अभी तक राजकीय सेवाओं का एकीकरण नहीं हो पाया है, इसके लिये हमें बड़ा अफसोस है।

अध्यक्ष महोदय, इस एकीकरण के लिए आर. ए. एस. की लिस्ट बनी और हमारे सामने आई और जब यह देखा गया कि कुछ व्यक्ति जिन्हें अधिकारी लोग आर.ए.एस. में लाना चाहते थे, नहीं आए हैं तो सरकार द्वारा बाद में उन्हें हार्ड केसेज के नाम से आर. ए. एस. की लिस्ट पर लिया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे सामने तरह तरह की लिस्ट एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद फिर तीसरी आती है। इससे कभी किसी जगह किसी स्थान पर नियुक्ति करनी होती है तो माननीय मंत्री जिस किसी को जगह देना चाहते हैं वह व्यक्ति यदि पहली लिस्ट में आ जाता है तो उसे ले लिया जाता है और अगर वह पहली लिस्ट में नहीं आता है व दूसरी लिस्ट में उसका नाम होता है तो दूसरी लिस्ट का आश्रय लेकर उसे ले लिया जाता है। इसलिये हम देखते हैं कि मंत्रियों के कृपापात्रों की अच्छी अच्छी जगहों पर नियुक्ति हो जाती है।

उपरोक्त आधार पर किये गये एकीकरण में देखा जाय तो उपयुक्त आदमी को उपयुक्त जगह नहीं रक्खा जाता है, यानी जिस जगह के लिये जो आदमी उपयोगी होता है उस जगह के लिये वैसे आदमी की नियुक्ति नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एकीकरण के लिये मुकर्रर हुई राणावत कमेटी की ओर दिलाऊंगा। मंत्री महोदय ने जब यह देखा कि एकीकरण के संबंध में चारों तरफ से शिकायतें आ रहीं हैं तो उन्होंने राणावत कमेटी मुकर्रर की और उसके मुताबिक हाई कोर्ट के जज राणावत को चेयरमेन रक्खा और दो दूसरे आदमियों को मुकर्रर किया जिसमें से एक तो पी. एस. सी. के चेयरमेन और दूसरा चीफ सेक्रेटरी को रक्खा। इन तीन आदमियों की कमेटी ने मिलकर आर. ए. एस. में लेने के लिये एक

Page No.44

[श्री गंगासिंह]

स्टेन्डर्ड कायम किया और उसको गवर्नमेन्ट ने मंजूर किया और उसके मुआफिक कार्यवाही शुरू हुई । इस कमेटी ने अपने निश्चित निर्णयों के माफिक निर्देश दिये और लोगों से इस संबंध में जो जो ओब्जेक्शन थे मांगे गये और उनको ध्यान में रखते हुए सीनियोरिटी कायम की गई ।.......

श्री जयनारायण व्यास—On a point of information, Sir. May I just rise on a point of information, Sir. We are discussing Demand No. IX and there are three items A, D and H, whether will be allowed, discussion will be allowed on these items only or general discussion which can cover any item of the General Administration.

श्री अध्यक्ष—Members will keep in view that they will limit their discussions only within the scope of the Demands that are placed before the House and if the Hon'ble Members want to speak on different subjects, they should look into the different Demands when they come up for discussion.

श्री गंगासिंह—इस तरह हम देखते हैं कि एकीकरण के लिये जो कमेटी सरकार की ओर से मुकर्रर की गई है उसकी भी सरकार ठीक समय पर रिपोर्ट नहीं प्रकाशित करती जिससे जनता में और राज्य के कर्मचारियों में कई तरह की शंकायें पैदा हो जाती हैं। ऐसी शंकाओं का निराकरण करना सरकार का काम हो जाता है। अतः सरकार को चाहिये कि वह एकीकरण कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित करे।

अब मैं सेक्रेटेरियेट में जो अपोइन्टमेन्ट और ट्रान्सफर्स होते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वास्तव में सेक्रेटेरियेट में ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जाना चाहिये जो उस काम में दक्ष हों। पर खेद के साथ कहना पडता है कि सेक्रेटेरियेट में अपोइन्टमेन्ट के लिये काबलियत का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। नियुक्तियों में बराबर सिफारिशें चलती हैं और इसी के फलस्वरूप हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मिनिस्टरों के लडकों व सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मिनिस्टरों के रिश्तेदारों की नियुक्तियां राजस्थान में अच्छी अच्छी जगहों पर हुई हैं व राजस्थानियों का हक मारा गया है।

सेक्रेटेरियेट में जो ट्रान्सफर्स हो रहीं हैं उनका भी बडा अजीब हाल है। जिस शख्स ने अपनी तमाम जिन्दगी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में निकाली उसका ट्रान्सफर सप्लाई ऑफीसर बना कर किया जाता है, जिसने सारी उम्र कलेक्टोरेट का काम किया उसकी ट्रान्सफर की जाती है सेटलमेन्ट ऑफीसर की जगह पर, जिसने सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट में काम किया हो उसका ट्रान्सफर एसी जगह किया जाता है जहां वह काम नहीं कर सकता।

तो इस तरह एपोइन्टमेन्ट और ट्रान्सफर्स ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं जिससे हमारा बहुत सा रुपया फालतू खर्च हो रहा है।

श्री हनवंतसिंह (जैसलमेर)—माननीय अध्यक्ष, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कहना है। राजस्थान सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन पर मेरे बहुत से मित्रों ने तारीफ की है। मैं भी कुछ तारीफ करना चाहता हूं। मैं जैसलमेर का हूं। जैसलमेर एक बहुत ही लम्बा इलाका है, १६५२ मील लंबा इलाका है। वहां डिस्ट्रिक्ट थी। पहले महाराजा के जमाने में १८ तहसीलें थीं। बाद में राजस्थान बनने पर सिर्फ ५ तहसीलें रखी गईं। वे भी अब सिर्फ २ रह गई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट वहां यह जो तहसीलें हैं उनको भी तोड़ देने के बाद क्या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है? यह एडमिनिस्ट्रेशन का एक नमूना है। गरीब आदमी जैसलमेर से चलकर जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वहां आये तो उसको १००) रुपये खर्च होंगे! यह एडमिनिस्ट्रेशन का एक नमूना है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को हजारों रुपयों की तनख्वाह दी जाती है और गरीबों को इस तरह से परेशान किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो भी कुछ कमी की जाती है वह जैसलमेर में ही की जाती है, यह हमारी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का एक दूसरा नमूना है।

श्री अध्यक्ष—मैंने एतराज जो किया था, माननीय सदस्य उसके बारे में समझे नहीं। यह डिमान्ड है वह विशेष मद के अंतर्गत चाही जाती है। वह जो बजट दिया गया है उसमें ग्रान्ट नं० ९ के हैड्स दिये गये हैं। माननीय सदस्य जो बोलेंगे वह ऐसी बातों की आलोचना करेंगे जो उन हैड्स के अंतर्गत आयेंगी। वे ये हैं:—

"Ministers of Rajpramukh; Secretariat staff of Rajpramukh; Secretariat; Secretariat of His Highness the Rajpramukh; Ministers; Other charges; Aircraft; Civil Secretariat; Public Service Commission; Board of Revenue; Chief Accountant; Local Audit Fund;

इनके अलावा जो बोला जावेगा वह दूसरी बातों के बारे में बोला जायगा।

श्री गोपीलाल यादव—Administration is there, Sir.

श्री अध्यक्ष—I Only wanted to draw his attention.....

श्री हनवन्तसिंह—मैं यही बताने खड़ा हुआ हूं कि किस तरह का न्याय यह हमारी सरकार दे रही है। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिमान्ड नम्बर ९ हमारे सामने है जिसके बारे में हमारे दोस्त श्री एच. के. व्यास ने शुरू में एतराज रखा था कि जो ३४ लाख की मांग की गई है वह बजट में जो प्रोवीजन रखा गया है उससे टक्कर नहीं खाती। माननीय मन्त्रीजी ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिये मेरे दिल में भी शंका है कि आखिर बात क्या है? मैंने इसे देखा तो बजट में इसका टोटल ४२,७४,००० आता है, वोल्यूम दो में देखा तो टोटल ३२,८७,९०० टोटल आता है और बजट मेमोरेन्डम में देखा गया तो वहां ४३,५७,००० टोटल आता है। गोया तीनों ही किताबों में अलग अलग रकम दिखाई गई हैं। मद नम्बर ९ में तीनों की रकमों का टोटल मेल नहीं खाता। इस लिये मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय सदन के सामने इसका खुलासा करें।

Page No.46

[श्री नाथसिंह]

इस डिमान्ड में जिन बातों के लिये मांग की गई है उसकी दो-तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक तो मांग पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ११ हजार की है । राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा बेकार महकमा हो रहा है जो न तो कोई कम्प्लीट एग्जामिनेशन लेता है और न हजारों की तादाद में जो बेकार (unemployed) घूमते हैं उनकी कोई सुनवाई ही करता है । इसके बारे में सरकार यदि ठीक नियम बनाये और आयन्दा अच्छा काम करे, सुचारू ढंग से चले तो बेरोजगारों की समस्या कुछ सुलझ सकती है ।

अब मुझे लोकल फन्ड के बारे में कहना है । लोकल फंड ऑडिट के माने यह समझा हूं कि म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायतें वगैरह हैं उनका वक्तन फवक्तन ठीक ढंग से ऑडिट हो सके ।

मैं अर्ज करूंगा कि इस तरफ तो सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती । मसलन मैं एक पंचायत का जिक्र करता हूं जो तहसील नोखा, जिला बीकानेर में पांचू ग्राम में है । इस पंचायत के कई वर्षों से फाटक (Cattle pound) के गांव में रुपये जमा हैं । जिसके पास रुपये जमा हैं वह न तो पंचायत को हिसाब बताता है और न यह बताता है कि रुपये कब से और कितने जमा हैं और उनका क्या हुआ । सरकार की तरफ से इसका निरीक्षण या ऑडिट कोई नहीं करता है । इसी तरह से बहुत सी पंचायतों के रुपये लोग हड़प कर लेते होंगे । यदि सरकार के रुपये इस तरह से ऑडिट के इन्तजाम के लिये खर्च किये जाते हैं तो स्वायत्त शासन संस्थाओं का ऑडिट भी ठीक तरह से होना चाहिये वरना सरकार द्वारा यह मांग फिजूल है । इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । इसके साथ साथ इस मांग के मिसलेनियस खाने में १० हजार रुपयों की मांग और रक्खी है । जिसके बारे में बजट में मेमोरेन्डम में लिखा है कि डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट वाई चीफ मिनिस्टर अर्थात् चीफ मिनिस्टर साहब को तमीजी अख्तियार दिया गया है कि वे इस रकम को जिस प्रकार चाहें वैसे व्यय करें । यह चीफ मिनिस्टर साहब के दोस्तों की परवरिश का, कॉंग्रेसपार्टी वालों के लिये प्रोविजन रखा गया है । ऐसे तमीजी अख्तियार रुपयों के बारे में देना उसूल के खिलाफ है । मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन इन बातों पर गौर करे और इस मांग को ठुकरा दे ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने........

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

श्री भैरूंसिंह—मैंने कट मोशन पेश किये थे ।

श्री अध्यक्ष—वे लेट पेश किये गये थे ।

श्री हरिकृष्ण—मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है ?

Page No.47

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—सभी मेम्बर्स को इजाजत दी जाती है तो मुझे ही क्यों नहीं दी जाती ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! सब को इजाजत नहीं दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने सबसे पहले बोलने के लिये अपना नाम पेश किया था। मैं अपने हक पर कुठाराघात के खिलाफ सदन से वाक आउट करता हूं। आप इस प्रकार मेम्बर्स के हकों को दबा नहीं सकते।

(श्री हरिकृष्ण व्यास सदन से बाहर चले गये)

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, अभी जो श्रीमान यादवजी ने कट मोशन पेश किया है उस सिलसिले में कुछ भाषण और भी हुए हैं। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ भाषण बिल्कुल ही विषयान्तर थे इसलिये उनका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जो विषय हमारे सदन के सामने है उसके ऊपर जो प्रकाश डाला गया है मैं उसका थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री गोपीलालजी ने दो तीन बातें कही हैं। उनमें से एक बात तो यह है कि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख को जो भत्ता और अलाउन्सेज व वेतन मिलता है उसमें कट करना चाहिये। उन्होंने एक बात और कही है कि जो प्रिवीपर्स महाराजप्रमुख को मिलता है उसे बन्द किया जाय। मैं सूचना देना चाहता हूं कि महाराजप्रमुख को कोई प्रिवीपर्स नहीं मिलता है। उदयपुर के महाराणा को प्रिवी-पर्स मिलता है। उदयपुर के महाराणा और महाराजप्रमुख दो अलग अलग हस्तियें हैं। महाराजप्रमुख की उनके शान के माफिक हमको इज्जत करनी चाहिये। उनके यहां बहुत से लोग जाते हैं, जिनको उन्हें एन्टटेन करना पड़ता है। मसलन थोड़े दिनों पहले भारत के प्रेसिडेन्ट वहां गये थे और उनके महमान बने थे। और भी कई लोग वहां जाते हैं जिनकी खातिर की जाती है। साथ ही साथ एक और बात है जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। इस हाउस का बड़ा ट्रेडिशन है। इस हाउस में महाराणा प्रताप पैदा हुए थे और जौहर भी इसी हाउस में हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि महाराणा वृद्ध अवस्था के हैं। उनको हमें इज्जत देनी चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पोइन्ट ओफ एक्स्प्लेनेशन, सर, मैंने महाराजप्रमुख के पद के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। मने तो कहा था कि उनको प्रिवीपर्स काफी मिलता है महाराणा उदयपुर की हैसियत से, इसलिये महाराज प्रमुख की हैसियत से नहीं मिलना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—प्रिवीपर्स महाराणा उदयपुर को मिलता है महाराजप्रमुख को नहीं मिलता।

दूसरी बात आपने यह कही है कि प्रिवीपर्स में कमी होनी चाहिये। इस बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि प्रिवी पर्स में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। ३३ लाख रुपये की कमी हो गई है और आगे चल कर और भी कमी होगी।

[श्री जयनारायण व्यास]

तीसरी बात आपने यह कही कि मिनिस्टरों ने केल्क्युलेशन करके नहीं बताया। मिनिस्टर कोई केल्क्युलेटिंग मशीन तो है नहीं कि एक बात आपने कही और उसी समय केल्क्युलेशन करके आप को बता दे। श्री गोपी लाल जी ने जो केल्क्युलेशन करके बताया है वह ठीक नहीं है और लोगों को गलत फहमी में डालने वाला है। मिनिस्टरों की एक हजार की तनख्वाह बताई और बताया कि २५०) रुपये का अलाउन्स मिलेगा या मोटर मिलेगी। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जो अपनी मोटर रखता है उसको ७५ गैलन पेट्रोल मिलेगा और जो मोटर सरकारी रखता है उसको २५०) रुपया मोटर के नहीं मिलेंगे। जो सरकारी मोटर रखते हैं उनका खर्चा ७५ गैलन का नहीं लगता। जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं रेल से या मोटर से उनको एक्चुयुल खर्चा मिलता है। आपने कहा कि डेली अलाउन्स नहीं मिलना चाहिये चाहे वे होटल में ठहरें या कहीं ठहरें। उनको यह पता नहीं है कि कितना खर्चा करना पड़ता है ठहरने वाले को। इसकी ओर तवज्जह देने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। अब मैं घूमने फिरने की वजह बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पार्टी के लोगों से मिलने के कारण घूमते हैं। यह गलत बात है। लेकिन यह भी सही है कि जहां जाते हैं वहां पार्टी के लोग भी मिलने आते हैं और उनके अलावा दूसरे लोग भी बहुत आते ह। मैं जब बाहर जाता हूं तो सैकड़ों आदमी अर्जियें देने आते हैं। इस तरह से ४०००) और ३७००) रूपयों का जो हिसाब लगाया गया है वह बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया है। ट्रेवलिंग जरूरी होता है। जहां जरूरी नहीं होता वहां नहीं जाते हैं।

आपने कमिश्नरों के कमी की बात कही। लेकिन जब तक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर लेंगे तब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के coordination के लिये कमिश्नर्स की जरूरत है। जब यह समझा जायगा कि अब कमिश्नर्स की जरूरत नहीं है तब शायद यह पोस्ट खत्म कर दी जायगी। कलेक्टर्स को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। मैं सिद्धान्ततः इस बात को ठीक मानता हूं। हम धीरे धीरे शासन का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं; मसलन हमने कलेक्टर्स को कई ऐसे अधिकार दे दिये है जिनमें सेक्रेटेरियेट तक कागजों को भेजने की जरूरत नहीं है। वे ही उन्हें तय कर देते हैं। हम धीरे धीरे उनको सत्ता देकर विकेन्द्रीकरण की कोशिश कर रहे हैं।

जागीर डिपार्टमेन्ट संबंधी उनकी सलाह उपयोगी नहीं है क्योंकि वे हर स्टाफ से हर तरह का काम लेना चाहते ह, परन्तु यह संभव नहीं है। तहसीलों में भी अभी तक काम की कमी नहीं है।

आपने दूसरी बात लो पेड स्टाफ के बारे में कही और कहा कि उनमें असन्तोष है और हरेक आदमी भड़का हुआ है। अगर वे यह कहते हैं कि हरेक आदमी भड़काया हुआ है या भड़काया जा सकता ह तो ज्यादा अच्छा होता। उनको यह कहकर भी भडकाया जा सकता है कि एसेम्बली के मेम्बर्स को भत्ता और वेतन बहुत अधिक मिलता है और तुम को नाम मात्र का वेतन मिलता है। लेकिन हरेक आदमी की अपनी मर्यादा है। नीचे का जो तबका है उसका स्तर धीरे धीरे बढाया जारहा ह, और बढेगा। लो पेड स्टाफ का जीवन स्तर बढ़ाने की कोशिश की है और सरकार करती रहेगी।

अब दूसरे जो मेम्बर साहबान हैं उन्होंने कोई खास बात मुझे नहीं कही। कुछ बातें श्री गोपीलाल जी यादव ने कही थीं। उन्होंने कहा था कि क्लर्क को केप्टिन बना दें और आप खुद भी उनके साथ चलें।

[श्री जयनारायण व्यास]

ठीक है, केप्टिन तो बना दें किन्तु खेलने का भी तो वक्त होना चाहिये। हम टीम में दाखिल हो जावेंगे किन्तु खेलने का भी, वक्त निकालना पड़ेगा। उन्होंने किसानों से सेटलमेन्ट सम्बन्धी वसूली की बात कही और खासतौर पर १/६ बांटा जो वसूल किया जाता है उसके लिये कहा। उन्होंने कहा १/६ वसूल किया जाता है जब कि सेटलमेन्ट का १) रुपया देना पड़ता है। मैं आपसे कहूंगा कि सेटल्ड एरिया में भी इतना कम देने की नौबत आगई है, और यहां तक नोबत आगई है कि दुनिया में हम ही कम लेने वाले हैं। १/६ वाजिब है। ऑपोजिशन के लोग जो अभी यहां हाजिर नहीं हैं खुद ही मानते हैं कि १/६ उनको नुकसान देने वाला नहीं है।

श्री हिम्मतसिंहजी ने कहा कि पत्र का जवाब नहीं दिया गया। तो मैं कहूंगा कि ये ऐसी बातें हैं जो वेग सी हैं और मैं इसके वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री गंगासिह जी ने आर. एस. एस. के सम्बन्ध में कहा था। ये बातें उन्होंने जनरल डिस्कशन के वक्त भी कहीं थीं और मैंने उनका जवाब जनरल डिस्कशन पर जो स्पीच दी थी उसमें दे दिया था। अतः अब इस सम्बन्ध में मैं वापिस जवाब नहीं देना चाहूंगा।

पंचायत के सिलसिले में श्री कार्नसिहजी ने जो बातें कहीं, मेरा ख्याल है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट के कट मोशन पर वे सुझाव दें तो अच्छा होगा।

अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से डिमाण्ड रखी गई है उसी तरह से इसको पास कर दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष**—So I put the motion to vote. The question is that the cut-motion moved by Shri Gopi Lal Yadav be accepted.

(अस्वीकृत)

The Cut motion is negatived

(विराम)

Now the question is, that a sum not exceeding Rs. 34,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1953, in respect of Demand No. IX, Major Head 25A and D- General Administration.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अभियाचना संख्या १४—पुलिस

श्री **टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)**—Sir, I beg to move, "that a sum not exceeding Rs 3,33,89,000 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XIV, Major Head-Police".

Page No.50

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Shri Khet Singh.

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है:—

"That the demand No. XIV, Major-Head 29—Police, be reduced by Re. 1/ (to discuss the inadequacy of boarding and lodging facility given to the R.A.C.)"

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस विभाग की तीन शाखाएं हैं। एक राजस्थान पुलिस, दूसरी राजस्थान सी. आई. डी. और तीसरी शाखा जो अभी अभी नई बनी है, राजस्थान आर्मड् कॉन्स्टेबुलेरी। यह आर. ए. सी. की शाखा भारत और पाकिस्तान के बीच के हिस्से की यानि राजस्थान के बोर्डर की रखवाली करने के लिये बनाई गई है, जहां तक कि मैं समझ सका हूं। इसकी तादाद छः हजार से ऊपर हो चुकी है और दिन व दिन इसकी स्ट्रेन्थ को और भी बढाया जा रहा है। किन्तु अभी तक इसके लिये यह निर्णय नहीं हुआ है कि यह फोर्स परमानेन्ट बनेगी या टेंम्परेरी पीरियड के लिये। इसके अलावा इन फोर्सेज में जो ओफिसर्स काम कर रहे हैं उनकी सीनियोरिटी की लिस्ट भी बनी हुई नहीं है और न यह तय किया गया है कि कौनसा अफसर सीनियर होगा और कौनसा जूनियर होगा। जो लोग नए सिरे से आ रहे हैं उनको भी उसी तरह से फिक्स अप किया जा रहा है। कई मेजर्स जो आर्मी से आये थे उनको लेफ्टिनेन्टस् बना दिया गया और कई लेफ्टिनेन्ट्स को मेजर बना दिया गया। अर्थात् मेजर्स थ उनको लेफ्टिनेन्ट बना कर जो लेफ्टिनेन्ट थे उनको मेजर बना कर परस्पर सीनियर और जूनियर कर दिया गया। इस प्रकार सीनियोरिटी तय नहीं होने से कई वेकेन्सीज हैं वे भी रुकी पड़ी हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—On a point of Order, Sir, the Hon'ble member is raising points which are not called for by his cut-motion. His cut-motion relates only to the boarding and lodging facilities given to the R.A.C.

श्री खेतसिंह—Mr. Speaker, Sir. This is a token Cut motion and I can speak on any anything.

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Token cut to discuss a particular aspect.

श्री अध्यक्ष—Firstly you have left your original seat which ordinarily you should not. Token cut does not mean that you can speak on anything outside the scope of the Demand presented before the House. So the Hon'ble Member will keep in view that he has to speak only on the points which are called by the Demands or say specific heads.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—On the specific points raised by the cut-motion.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं जो सजेशन्स दे रहा हूं वे बहुत ही महत्व के हैं।

श्री अध्यक्ष—They are. I do not challenge your suggestions but I would have liked that you ought to have tabled as many cut-motions as you would have liked. It was perfectly in your competence to table as many cut-motions and raised discussions over those points. But the points raised by the Hon'ble Minister in charge for Police is that you have moved the cut-motion in order to raise discussion over the inadequacy of boarding and lodging facilities given to the R.A.C. and under the Rules of the Debate the Hon'ble Member is not entitled to go beyond the scope of the cut-motion. If you wanted to raise discussions over other matters, you had every right to move other cut-motions also, which you had a right to move before the House.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, इससे साफ जाहिर है कि आर. ए. सी. में कुछ कमियां हैं जिनको माननीय मन्त्रीजी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बोर्डिंग और लोजिंग के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा।

आर. ए. सी. की बोर्डर पर कई टुकडियां पड़ी हुई हैं जिनके लोजिग का कोई इन्तजाम नहीं है। जैसे जैसलमेर और बाढमेर के बोर्ड्स पर आर. ए. सी का केम्प लगा हुआ है। वहां ओफिसर्स को न तो टेन्ट मिले हुए हैं और न ही उनके लिये टेम्परेरी हट्स बनाई गई हैं। वे अक्सर वहां के रहने वाले किसी चौधरी अथवा ठाकुर से आवश्यक वस्तुएं मंगवाकर ले लेते हैं और भिखारी की तरह पड़े हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि वे इन लोगो के लिये अच्छा इन्तजाम करें ताकि वे बोर्डर की हिफाजत कर सकें और उन्हें खाने पीने को समय पर मिल सके। उनके राशन और रहने का प्रबन्ध करना तो गवर्नमेन्ट का फर्ज है, चाहे वे उनको और सुविधायें न दें। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय उनके लिये अच्छा प्रबन्ध करेंगे।

साथ ही फोर्थ बटालियन के कुछ आदमियों से मिलने का मुझे मौका मिला। उनका कहना है कि उनके यहां कोई डॉक्टर नहीं है। अगर वे बीमार हो जाते हैं तो उनके पास डॉक्टर या कंम्पाउन्डर न होने से उनके इलाज का प्रबन्ध नहीं होता। इसके लिये भी माननीय मन्त्रीजी ध्यान दें। आर. ए. सी. के मुतल्लिक बहुत कुछ कहना है। इस समय तो जितना कहना था कह दिया है, बाकी कटमोशन के समय कहूंगा। इतना कह कर मैं बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष—We can take all these cut-motions, which are before us, as moved and the Hon'ble members concerned should make only a speech.

[इस अभियाचना पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव हैं:—

2. **Shri Santosh Singh Kachhawana to move:—**

"That the demand for grant No. XIV be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of protection provided by Police to the villagers against the dacoits)".

3. Shri Keshri Singh (75) to move:—

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Rs. 100/- (to discuss inefficiency and corruption in Police Department)".

4. Shri Himmat Singh (61) to move:

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Rs. 100/- (to discuss the general inefficiency)".

5. Shri Ganga Singh (41) to move:—

"That the Ddemand for Gran No. XIV be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to tone up the administration of Police Department and also to discuss the lack of adequate security arrangements in Jodhpur Division)".

6. Shri M. Ibrahim (101) to move:—

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Re. 1/- (to discuss the excesses of Police on the Public)".

7. Shri H. K. Vyas to move:

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced to Rs. 1,50,00,000/- (to discuss the falure of the Government in not reducing expenditure on this repressive organ, to root out corruption from this Department and its failure to reduce expenditure on high officials and pay living wage to the constables and its failure to provide protection against dacoits, kidnapping of persons and thefts)".

8. Shri Shyam Lal Goyal (144) to move:—

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Re. 1/- (to discuss insufficient provision for anti-corruption department)".

9. Shri Tejmal Bapna (149) to move:—

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Re. 1/- (to discuss that the Police is full of corruption and it has failed to safeguard the Public in general)".

10. Shri Abani Kumar Mukerjee (1) to move:—

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Rs. 100/- (to discuss the juctifiability of insurring unnecessary expenditure on the maintenance of border Police)".

11. Shri Gurdyal Singh Sandhu (49) to move:—

"That the Demand for Grant No. XIV be reduced by Re. 1/- (to discuss the inefficiency of R.A.C. and Police)."-]

Page No.53

श्री संतोषसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पुलिस के विभाग पर मेरा कट मोशन है। उसमें काफी खर्चा बताया गया है। फिर भी माननीय अध्यक्ष, मेरा यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो किसान देहातों में रहता है उस पर पुलिस की कोई देख रेख नहीं है और आये दिन गांवों के रहने वाले किसान डकैतों के मारे दुख पाते हैं।

जहां तक हमने देखा है राजस्थान में पुलिस का सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वह बड़े बड़े अफसरों पर होता है। इसके बाद में मध्यम श्रेणी के लिये होता है जो शहरों में रहते हैं। बिचारे देहातों के लिये और खासकर किसानों के लिये तो कतई कोई खर्चा नहीं होता। इसके पक्ष में मैं आपको दो-चार उदाहरण दूंगा कि कैसे कैसे जुल्म किस किस जगह डकैतों ने किसानों के साथ किये हैं और पुलिस उनकी कुछ भी हिफाजत नहीं कर पा रही है।

पहले तो मैं एक पुलिस की चौकी का हवाला दूंगा, वह है भोपालगढ़ की पुलिस चौकी। वहां भोपालगढ़ में एक किसान का गेहूं का खेत था। रास्ते के लिये झगड़ा था, चारणों में और किसानों में। किसान ने अपने खेत के चारों ओर बाउन्ड्री बना रक्खी थी पर जबर्दस्ती चारणों ने उसके खेत में उगे हुए गेहूं पर बैलगाडियों को घुमा कर रास्ता बना लिया। उन किसानों ने बहुत कुछ रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके क्योंकि चारणों का मजमा ज्यादा था। लड़ाई का मौका था और आपस में मारपीट का अन्देशा था। उन्होंने जाकर पुलिस चौकी में पुकार की; वहां जो अफसर आदि रहते हैं उनसे शिकायत की। पर उन्होंने कहा कि अगर रुपया दो तो हम इन्तजाम कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की। पुलिस वालों ने कोई भी सहायता उनकी नहीं की और उधर चारणों ने जबरन बैल गाडियों से गेहूं के खेतों को रौंद कर रास्ता बना लिया। इसके बाद में उन लोगों ने एस. डी. ओ. और कलेक्टर के पास शिकायत की। केस चल रहा है अभी। मालूम नहीं इस समय क्या हो रहा है?

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और बताऊं कि विलाडे के पास खारिया मीठा कुआ एक गांव है। वहां चार पांच महीने पहिले एक डकैती हुई थी, दिन के वक्त तीन से छः बजे तक। डकैतों ने आराम से गांव को लूटा और काफी माल लूट कर ले गये। वहां से करीब ही पुलिस थाना था तीन मील पर। उन्हें खबर होते हुए भी वे समय पर नहीं पहुंचे और इस तरह से इसके अभाव में डकैत गांव वालों को लूट कर चले गये। पुलिस ने आज दिन तक उनका कोई पता नहीं लगाया है। इसकी वजह से गांव वाले गांव छोड़कर बड़े बड़े आस पास के गांवों में या शहरों में जाकर बस गये हैं। इस तरह से गांव आज खाली हो रहे हैं।

तीसरी मिसाल में आपको पीपाड़ के पास में एकरीयां गांव है वहां की देता हूं। वहां एक बेरा जिसको बार्मणिया बेरा कहते हैं। वहां पर १०-३-५३ को रात के ११ बजे कुछ किसान अपने मकानों के बाहर मैदान में चारपाइयों पर सो रहे थे। उस समय इन किसानों पर चार डाकुओं नें लाठी प्रहार कया जिसकी वजह से २ किसान बहुत बुरी तरह से घायल हो गये। बाकी किसान मामूली चोटें लगने पर बच कर भाग गये। इसका भी पुलिस थाना करीब ही है, पीपाड़ सिटी में। लेकिन थानेदार साहब सुबह

[श्री सन्तोषसिंह]

पहुंचते हैं । दो आदमी जो वहां घायल हुए थे उनको जोधपुर अस्पताल में लाया गया इसका भी किस्सा में अगले कट मोशन पर कहूंगा ।

कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के किसान के साथ पुलिस द्वारा कोई बचाव का इन्तजाम नजर नहीं आता ।

इसके बाद में एक मिसाल सिवाना तहसील के गांव कापड़े की और दूं । वहां दिन के ३ व ४ बजे के बीच डकैत आये और बहुत सा माल ले गये । अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं है ।

एक गांव और है छीपला इसी तहसील में । वहां पर भी बड़ी डकैती हुई । वहां पर भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची । वहां ९ घरों में चोरियां हुई. चौधरियों को मारा पीटा और उनको धमकी देकर धन लेकर चले गये ।

इसके बाद में चौमूजा समदड़ी के पास एक गांव है । वहां के दो घर व्यापारियों के लुट गये और वह भी डकैती दिन में ही हुई । उसका भी आज तक पता नहीं ।

मियां का बाड़ा समदड़ी के पास ही है । वहां पर भी डकैती हुई । डकैत आये और कहा कि अगर तुम पैसा दे दो तो मार पीट नहीं होगी, नहीं तो जान से मार देंगे । इस पर किसी तरह से चार सौ रुपया देकर छूटे ।

इसके बाद में कंवारवाड़ा तहसील सिवाना में और डकैती हुई । घर लूटे गये ।

इसके बाद में सिवाना में किरोडी के गांव में राजपूतों के ४ ऊंट जबरन खोल कर ले गये ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, इतनी मिसालों से साफ जाहिर होता है कि पुलिस का इतना भारी खर्चा होते हुए भी हमारे किसान भाइयों की किसी तरह की रक्षा का प्रबन्ध राज की तरफ से नहीं है ।

आज दिन भी किसान अपनी जान की जोखिम लेकर अपने खेत में जाता है । इसलिये इस बारे में जो मांग की गई है वह उचित नहीं है और मन्जूर नहीं की जानी चाहिये ।

महाराज श्री केसरीसिंह (कापरेन)—अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेन्ट जन-साधारण की रक्षा के लिये है और अगर पुलिस, रक्षा करने के बजाय जनता की भक्षक बन रही है तो बोलिये फिर उसे बचावेगा ही कौन ? अगर बाड़ ही खेत को खाने लग जावे तो बोलिये खेत की रखवाली कैसे होगी ? इन कुछ मिसालों के तहत पुलिस की कुछ कारगुजारियों का नमूना आपके समक्ष पेश करता हूं ।

पुलिस ने राजस्थान में ही नहीं सारे देश में अपना मतलब ही कुछ और समझ रक्खा है : पुलिस ने अपना सबसे बड़ा मतलब या कर्तव्य यही समझ रक्खा है कि जितना हो सके उतना जनता को चूसे । पर सही माने में अगर देखा जावे तो पुलिस का मतलब यह है कि जनता को सही रास्ते पर लावे और उसको बदमाशों से बचावे । आप लन्दन की मिसाल लीजिये । वहां की पुलिस जनता के लिये

[महाराजा श्री केसरीसिंह]

बड़ी उपयोगी है। आप अगर वहां रास्ता भूल जावेंगे तो पुलिस के किसी भी कॉन्स्टेबल के पास जाकर पूछ सकते हैं। आप बोलिये में फलां जगह का रहने वाला हूं और मेरा यह पता है, में रास्ता भूल गया: आप कृपया मेरी मदद करियेगा । तो वह आपको रास्ता बतावेगा । पर अगर आप किसी राजस्थान के पुलिस अधिकारी के पास जावें तो, अधिकारी की बात छोड़ो, अगर किसी मामूली सिपाही के पास भी जावें तो वह भी यही कहेगा कि में क्या जानूं, रास्ता ढूंढ लो अपने आप। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस को जन-सेवा अपना कर्तव्य समझना चाहिये।

Police should always be helpful to the Public.

अगर पुलिस ने बूंदी जिले में जो डकैतियां हुई हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये कुछ काम नहीं किया तो हो सकता है बूंदी में बहुत बड़ा आंतक फैल जाय। बासी में डकैती हुई उसका कुछ पता नहीं लगा। वहां काफी नुकसान हुआ था।

ग्राम बरूंधन के अन्दर ६-३-५३ को डकैती हुई। उसके लिये मैंने मिनिस्टर महोदय को भी लिखा और जो शिकायत थी वह भी साथ में पेश की। उसमें उनकी शिकायत थी कि १० हजार का नुकसान हुआ है। पर मिनिस्टर साहब तो अपने डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर मेरे पत्र के उत्तर में जवाब देते हुए कहते हैं कि पांच हजार का ही नुकसान हुआ है। जिसके घर में माल का नुकसान हुआ है और शरीर पर चोट लगी है, अगर वही दर्द नहीं बता सके तो दूसरा तो क्या बता सकेगा ? गृह मन्त्री महोदय तो वाकये के स्थान पर से १३० मील की दूरी पर बैठे हैं। वहां की हालत वे क्या बता सकते हैं ? यह तो उन्हीं पुलिस अधिकारियों का काम है जो वाकये पर रहते हैं और जिनके सामने घटनाएं घटती हैं। उन्हीं को सही सही बात बतानी चाहिये। इसलिये माननीय मिनिस्टर साहब को भी यह नहीं सोचना चाहिये कि जनता बढ़ा चढ़ा कर अपना नुकसान बता रही है, किन्तु वास्तव में जो नुकसान हुआ है वही बताया गया है दोष सरकार की पुलिस का है जो सही बात उसे नहीं बताती है। मन्त्रीजी को पुलिस की इत्तला पर ही मुनस्सिर नहीं रह कर जनता की भी पुकार का खयाल करना चाहिये।

उनकी पुकार यह भी है कि कई ऐसे भी अच्छे अच्छे गांव हैं जहां पुलिस थाने नहीं हैं। थाने छोटे छोटे गांवों में हैं। वहां से हमारे गांव में आना चाहिये क्योंकि वह उस गांव से बड़ा है और सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। इसके लिये मिनिस्टर साहब ने कहा कि विचार किया जावेगा. पर राजस्थान सरकार का विचार तो हम पांच वर्ष में भी नहीं पूरा होता देखते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो आउट पोस्ट होते हैं उनमें दो तीन सिपाही रहते हैं जिनके पास केवल लाठियां ही होती हैं। लाठियां राइफलों का मुकाबला कहां तक कर सकती हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि राजस्थान पुलिस की लाठियां राइफलों का मुकाबला भी कर सकती हैं। डकैत लोग राइफल्स से लैस होकर आते हैं। तब हमारे ये पुलिस के जवान अपने क्वार्टरों में घुसे रहते हैं और मौके तक जाने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे मौके पर जब हैड क्वार्टर से मदद आती है तो उसमें देरी हो जाती है और इस तरह से वे जनता को राहत नहीं पहुंचा सकते

[महाराज श्री केसरीसिंह]

अभी हाल में ही देवगांव जिला भीलवाड़ा में २०-३-५३ को एक डाका पड़ा था उसमें पचास हजार रुपय का नुकसान हुआ। सरकार न मालूम उसके लिये क्या कर रही है? भीलवाड़ा क्षेत्र से जो कांग्रेसी सदस्य आये हैं उन्होंने इस विषय पर रोशनी डालना क्यों नहीं पसन्द किया। उनको अवश्य रोशनी डालनी चाहिये। वे जनता के वोटों से आये हैं, न कि कांग्रेस के दो बैलों के नमूने से।

श्री तेजमल बापना—माल मुलजिम सहित पकड़ लिया गया।

श्री केसरीसिंह—डिस्ट्रिक्ट बूंदी के अन्दर जागीरदार में से दो प्रतिशत रुपया चौकीदारी के नाम से वसूल किया जाता है। पैसा भी लिया जाता है और जनता की रुखाली (देख-भाल) के नाम पर लिया जाता है मगर उनकी रुखाली उस पैसे से न की जाकर उससे घाटा पूरा किया जाता है। चौकीदारों को तीन रुपया माहवार देते हैं। आप सोच सकते हैं कि तीन रुपये माहवार में चौकीदार कितना काम कर सकता है, कितना मरने के लिये वह तैयार रह सकता है, यह सोचने की बात है। यहाँ तक कि चौकीदार भी तो हर गांव में नहीं रहते। हर गांव में जहां से जागीरदारों से पैसा लिया जाता है वहां चौकीदारों का न होना, बहुत ही सोचनीय बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चौकीदारों का इन्तजाम उन सभी गांवों में होना चाहिये जहां से रकम वसूल की जाती है। इन चन्द शब्दों के साथ में अपना कट मोशन प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कट मोशन पुलिस-ग्रान्ट के लिए प्रस्तुत किया है उसके लिये अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि पुलिस विभाग में करप्शन फैल रहा है और पुलिस करप्शन के बारे में काफी बदनाम है। यह तो सबको मालूम है और सब लोग इसको रिअलाइज करते हैं। मैं सिर्फ पुलिस की इनएफिशियेन्सी के बारे में कहने का साहस कर रहा हूं। इसे चाहे आप एफिशियेन्सी कहें या और कुछ। हमारे कोटा के वहां के डी. आई. जी साहब ने सिनेमा से निकलते हुए एक स्कूल के लड़के को चांटा मार दिया। यह बात वहीं तक सीमित नहीं रही बल्कि उस लड़के को वे अपने घर भी लाये और वहां पर भी उसकी खूब मरम्मत की। धन्यवाद है उनकी श्रीमतीजी को जिन्होंने उस बेचारे को उनसे बचाया और छुड़ाया। यह है एक डी. आई. जी: साहब की एफ़िशियेन्सी का नमूना। अब आप ही सोच सकते हैं कि सुपरिन्टेन्डेन्ट, थानेदार या हैड कान्स्टेबिल की एफिशियेन्सी क्या हो सकती है? इसी तरह की पुलिस की एफिशियेन्सी का एक और नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह है कि हमारे होस्टल का एक किस्सा। किसी एक एम. एल. ए. की घड़ी चोरी चली गई। उसका इल्जाम होस्टल में एक वेटर जो दूध देने आता है उस पर लगाया गया कि वह घड़ी ले गया ह। उसको थाने म ले जाया गया और वहां जाकर क्या बर्ताव पुलिस वाले करते हैं यह तो सब जानते ही हैं, उसको खूब पीटा गया। एक कहावत है कि दिये के तले अन्धकार रहा करता है। यह सही है किन्तु हमारे यहां तो दिये का जमाना नहीं, यहां इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं उसके नीचे भी अन्धेरा रहा करता है। अन्धेरा रहना तो नहीं चाहिये किन्तु अन्धेरा रहा करता है। वहां थाने में ले जाकर उसको केवल मारा पीटा ही नहीं बल्कि उसको इलेक्ट्रिक शोक्स भी लगाये गये। बाद में घड़ी किसी ने लाकर मेम्बर साहब के कमरे में रख दी। फिर भी पुलिस ने अपनी एफिशियेन्सी बतलाई

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

कि उन्होंने उस बेचारे को जलील किया और मारा। यह है हमारी पुलिस की एफिशियेन्सी का दूसरा नमूना। पुलिस की एफिशियेन्सी के बारे में एक मिसाल और भी देना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा डे लाइट मर्डर्स भी किये जाते हैं। एक जगह कोई बन्दूक चोरी चली गई थी, उसकी फिराक में पुलिस गई। रास्ते में देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है। पुलिस ने सोचा कि होसकता है कि उसने ही बन्दूक की चोरी की हो। इसलिये पुलिस ने बगैर उसे जगायें-पकडे, सीधी गोली मार दी सोते हुए के। यह भी एक एफिशियेन्सी का नमूना है।

अगर इस तरह के जुल्म पुलिस करती है तो कहना चाहिये कि यह एफिशियेन्सी का प्रमाण नहीं है। आज दुनियां चिल्ला रही है कि पुलिस का कितना अधिक जुल्म है। एक अपने गांव का किस्सा कहता हूं। एक पागल व्यक्ति सा दिन में ही चोरी करके चला गया और गांव वालों ने उसका पीछा किया और पकड़ भी लिया। उसकी थाने में रिपोर्ट भी कर दी गई। थानेदार साहब और पुलिस के सिपाही आये। वह (चोर) शक्ल में तो कुछ पागल सा नजर आता था और वेष साधु का सा बनाया हुआ था, लेकिन मुमकिन हो चोर भी हो। गांव के बीच में उसके साथ जो मारपीट की है सबके सामने कि यह भी एक पुलिस की एफिशियेन्सी है। इस तरह के जुल्मों के विषय में कहां तक अर्ज किया जाय ?

एफिशियेन्सी राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी की देखें। राजस्थानी तो जैसे सब मर गये। राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी में भरती करने के लिये हमें गढ़वाल से आदमी बुलाने पड़ते हैं। यहां तक ही सन्तोष नहीं है। अखबारों में नोटिस जारी किया जाता है और वहां की सर्विसेज एक्स्चेन्जेज को भी लिखा जाता है कि राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी की भरती के लिये वहां से आदमी भेज दिये जायं। गढ़वाली, मेरा ऐसा ख्याल है कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी में काफी तादाद में हैं, और लगातार चले भी आ रहे हैं। एक आदमी मुझको मिल गया था। वह गढ़वाली था। और गढ़वाल से राजस्थान में नौकरी के लिये चला आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई कहां जा रहे हो ? तो कहता है कि मैं राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी के लिये भरती होने जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल में जो बात आई अर्ज करता हूं कि वह किस हद तक सही है कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी में गढ़वालियों की भरती की जा रही है, और राजस्थानियों के लिये कोई स्थान नहीं है। इस हाउस के सामने बजट के सिलसिले में यह तकरीर की गई थी, यह कहा गया था कि राजस्थान के अच्छे अच्छे उपयोगी आदमियों को जगह भी देते हैं, किन्तु बाहर के आदमियों को बुला कर वह यह कहते हैं कि एफिशियेन्सी के लिये बुलाये जाते हैं। तो सिपाहियों के लिये भी हमारे यहां जगह नहीं है ? फिर ऊंचे दरजे, उच्च पद के लिये क्या कहा जाय ? अच्छा हो कि राजस्थानियों को यू. पी. और बंगाल वाले एबजॉर्ब कर लिया करें और उनको हम हमारे यहां एब्जॉर्ब कर लें। तो फिर आपस में कोऑपरेशन अच्छा बढेगा और राजस्थान वालों को उत्साह मिलेगा कि हमारी भी कुछ कद्र होती है। किन्तु मैं कहता हूं कि जब हमारे घर में भी हमारी कद्र नहीं है तो फिर बाहर तो कौन कद्र करेगा। यह तो मिनिस्टर महोदय ही हमारी कद्र करायेंग तो होगा। मैं विशेष न कह कर अपने भाषण को यहीं समाप्त कर देता हूं।

श्री मोतीराम (गंगानगर)—मेरी भी बारी आनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष—श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह—अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पुलिस के लिये कोई नवीन बात नहीं है और इसके लिये जो कुख्याति पुलिस ने हासिल की है वह भी एक नवीन बात नहीं है । यह भ्रष्टाचार जो पुलिस डिपार्टमेन्ट में पहले था वह यों का यों इस प्रजातान्त्रिक युग में मेन्टेन किया जा रहा है । इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुःख है । मेरा यह कटौती का जो मोशन है उसका अभिप्राय यही है कि पुलिस रक्खी अवश्य जाय, परन्तु जिस पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार बदइन्तजामी है उसके लिये जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी कमी अवश्य होनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिविजन में क्या क्या हो रहा है यह मैं आपके सम्मुख पेश करना चाहूंगा । इस डिपार्टमेन्ट में किस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है और उस भ्रष्टाचार को किस तरह पहले की तरह ही मेन्टेन किया जा रहा है, यह मैं बतलाने जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सब-इन्सपेक्टर पुलिस जो कि ट्रेनिंग पाये हुए होते हैं उनको पुलिस का कोई एक्सपीरियन्स नहीं है, परन्तु तो भी उन्हें पुलिस थाने का इंचार्ज बना दिया जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि हमारे जो केसेज़ पुलिस थाने के अन्दर दर्ज होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं होने के कारण अदालत के अन्दर वे नाकामयाब हो जाते हैं और मुल्जिम को बरी हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सब-इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस में से उनको ही इंचार्ज पुलिस स्टेशन बनाया जाय जोकि इन्वेस्टिगेशन के कार्य में नवीन आदमी नहीं हों ताकि ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन पुलिस केसेज के हो सकें ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा पुलिस को बधाई दी जा रही है और जिसके कारण पुलिस के लोग कहते हैं कि हमारे द्वारा जो सिक्योरिटी अरेन्जमेन्ट्स हैं वह प्रशंसनीय हैं । परन्तु अध्यक्ष महोदय, जो सिक्योरिटी अरेन्जमेन्ट्स किये गये हैं और जो साधन सिक्योरिटी के इस प्रॉविन्स के लिये हैं उन साधनों को देखते हुए सिक्योरिटी अरेन्जमेन्ट्स के लिये पुलिस के कर्मचारी बधाई के पात्र नहीं हो सकते । अध्यक्ष महोदय, हमारे जो सिक्योरिटी के साधन, वायरलैस, ट्रंक्स, एम्युनिशन्स हैं उनको देखते हुए मुझे अभी अभी यह आश्चर्य हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि जो डकैतियां हो रही हैं वे अभी खत्म क्यों नहीं हो सकी हैं । हमारे पास जो जो साधन हैं उनको देखते हुए और डकैतों के पास में जो साधन हैं उनको देखते हुए मुझे यह आश्चर्यजनक घटना मालूम होती है कि अभी तक डकैत जनता को तंग कर रहे हैं व डाके डाले जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस समय जो पुलिस का कार्य हो रहा है वह दिखावटी ज्यादा है व ठोस कम हो रहा है । छोटे छोटे मुकद्दमों के मुलजिमों को पुलिस कर्मचारी मार कर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने डकैतों को मार दिया व वास्तविक डकैतों का मुकाबला तक नहीं कर रहे हैं । पुलिस के अफसर कार्य करने के इच्छुक नहीं, वे तो प्रशंसा के इच्छुक हैं । ऐसे अनेक

[श्री गंगासिंह]

उदाहरण हैं जहां पर डकैत जिस रास्ते पर जाते हैं उस रास्ते को पीछा करने के लिये न लेकर, दूसरा रास्ता वे लेते हैं जिससे कि मुकाबला कभी हो न सके।

अध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में वित्त मन्त्रीजी ने कहा था कि पुलिस के अन्दर बड़ी रकम पहले से ज्यादा दी है। इसके यह कारण बताये जाते हैं कि इस राजस्थान के अन्दर बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो रेतीले हैं, जहां पर डकैत पनाह पा रहे हैं या डकैत रहते हैं, उन्हें वहां समाप्त करना है। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात पर कि आज जिस तरह से, जिस मेथड से पुलिस इस रेतीले भाग में काम कर रही है, वह डकैतों को मारने के लिये पर्याप्त नहीं है। मैं आपके जरिये कह देना चाहता हूं कि जीपें व मोटरें व अन्य अच्छे अच्छे साधन होने के कारण डकैत मारे नहीं जायेंगे। जो रेतीले टीबे हैं, जहां पर डकैत रहते हैं उनकी साइन्टिफिक स्टडी करके प्लानिंग किया जावे। वैसी हालत में डकैतों का दल जल्द खत्म हो सकेगा, नहीं तो कदापि वे खत्म नहीं हो सकेंगे।

इसके अलावा जोधपुर डिविजन के अन्दर जो २ डकैतियां होती है और डकैती के कारण जो मर्डर्स हो रहे ह, और खासकर नागोर के २ गांवों का वर्णन करूंगा; कुछ ही महीने पहले झाडेली व आकोडा गांवों के अन्दर मर्डर्स हुए ह, और जो डकैतों द्वारा लूट हुई है वह भी बडी खेदजनक बात है, पुलिस एस. पी. वहां पर जब पहुंचते हैं तो एक रोज तो वे करीब २ दिन भर तक वहां स्टेटमेन्ट लेते रहे। जब पीछा करते है, तो सुना जाता है कि गांव में करीब २ एक घन्टे का फासला उन डकैतों और पुलिस एस. पी. के बीच में रहा था। फिर भी पुलिस एस. पी. उन डकैतों का मुकाबिला नहीं करते हैं। कुछ समय पहले की ही घटनाए हैं।

दूसरी बात में आपके सामने यह लाना चाहता हूं कि हमारे कुछ कर्मचारी जिनको सर्विसज् से सस्पेन्ड किया जाता है उनकी ठीक तरह से जांच नहीं की जाती और पुलिस के दूसरे कर्मचारी जो लोगों को धमकाते हैं, और डराते हैं उन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ लोग कुछ कहने का साहस नहीं करते।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस केसेज की पैरवी ठीक तरह से नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से जो पैरोकार मुकर्रर हैं और होते हैं वे मामूली पढ़े होने के कारण कानून को समझ नहीं सकते या वे पेरोकार ऐसे होते हैं. जो बहुत बूढे हैं, जो कानून के सेक्शनों को समझने में असमर्थ हैं या वे पेरोकार ऐसे हैं जो बिलकुल नये हैं और जिनको कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिये कोर्ट में केसेज खारिज हो जाते हैं। दूसरी ओर मुलजिम पार्टी अच्छे से अच्छे वकील करती है जिसके फलस्वरूप सच्चे मुलजिमान छूट जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जुल्म ज्यादा बढता है। इसलिये जो पेरोकार आपकी तरफ से मुकर्रर किये जावें वे कम से कम एल. एल.बी. पढे लिखे और ठीक तरह से तजुर्बेकार होने चाहिये।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान, पुलिस को जो एन्टीकरपशन का काम सौंपा गया है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह काम बिलकुल ठीक नहीं हो रहा है। पुलिस ऑफिसर्स किसी से अपनी रंजिश निकालने के लिये इसका दुरुपयोग करते हैं और झूठे २ चालान कर देते हैं।

[श्री गंगासिंह]

अब में आपका ध्यान पढियारा डकैती केस की ओर दिलाना चाहता हूं और इस संबन्ध में मैं आश्चर्यजनक भविष्यवाणी करना चाहता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में कभी भी और राजपूताना के इतिहास में भी कभी इस प्रकार की डकैती नहीं हुई। इस डकैती में २६ लाख का डाका पड़ा और उसमें से ६ लाख की प्रोपर्टी बरामद भी हो गई। मगर इस केस में जिस प्रकार पोलिटिकल ग्राउन्ड की आड में कार्यवाही की जा रही है और शहादतों पर दवाव डाला जा रहा है व गैरोकार पर दबाव डाला जा रहा है उसको देखते हुए यह आश्चर्य नहीं कि जो शहादतें हुई है वे बिगड चुकी हैं और यह निश्चित सत्य है कि ६ लाख के माल के बरामद हो जाने के बावजूद भी डकैत बरी हो जावेंगे।

इतना कह कर में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहम्मद इब्राहिम--जनाबे सदर, पुलिस के बारे में मुझसे पहले बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। दरअसल पुलिस की बहुत जिम्मेदारियें और जवाबदारियें हैं। हम लोग जो यहां इकट्ठे होते हैं, हमारी भी बहुत जवाबदारियें और जिम्मेदारियें हैं क्योंकि पब्लिक के हित के सारे काम इस हाउस द्वारा होते हैं। हमारे मुल्क की शांति और व्यवस्था का ज्यादा काम और भार पुलिस के हाथ में है, मगर आज पुलिस की ज्यादतियों की वजह से हमारे यहां यह अशांति नजर आती है। इस तरह से इस चीज को अगर हकूमत महसूस करती है कि यह हाउस इन सब बातों के लिये जवाबदार और जिम्मेदार है जो सारी जनता की नुमाइन्दी करता है तो इस तरफ हाउस को ध्यान देना चाहिये। आप जानते हैं कि एक मरीज ऐसा होता है जो बेहोश होता है मगर उसकी ऐसी हालत होती है कि दवाई ले सके तो उसको दवाई दी जाती है और जब वह बेहोशी से ठीक हो जाता है और दवाईपानी पीने लग जाता है तो हमें उम्मीद हो जाती है कि मरीज की हालत कुछ अच्छी हो रही है और वह ठीक हो जाएगा और जब हालत ज्यादा खराब होती है तो यह उम्मीद हो जाती है कि मरीज बचने वाला नहीं। यह सब बातें बताने के बाद में यह बताना चाहता हूं कि पुलिस ने अब तक जो जो ज्यादतियें कीं उनकी कोई जांच नहीं करता और न उनकी जांच होती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार ने पुलिस के मामलों पर अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं अपने मिनिस्टर महोदय से, जो इस महकमें के इन्चार्ज है, अर्ज करूंगा कि इस तरफ खास तोर से ध्यान दें और इन्तजाम करें। पुलिस अच्छी तरह से ईमानदार हो तो मुल्क का बहुत अच्छा इन्तजाम हो सकता है। मगर पुलिस में बहुत रिश्वतखोरी चल रही है। मैं आपको पुलिस के रिश्वत का हाल बताना चाहता हूं, जो मैंने खुदने देखा है। पासपोर्ट का ऐसा महकमा बना दिया गया है और इससे हम उम्मीद करते हैं कि जनता को ज्यादा फायदा होगा और जनता को पासपोर्ट आसानी से मिल जावेगा। मगर कोई भी पासपोर्ट लाने के लिये जाता है तो उसको बहुत दिक्कतें उठानी पडती हैं। मुझे अलवर के एक रहने वाले ने बताया कि इसमें भी बहुत रिश्वत चलती है। हालां कि अजमेर आदि (दिल्ली) में पासपोर्ट एक महिने के अंदर अंदर मिल जाता है लेकिन यहां पर जब वह पुलिस के पास जाता है तो उसको पुलिस वाले ६ महिनों तक वापिस नहीं करते। इसी प्रकार जब पुलिस का कोई भी सिपाही गांव में चला जावे और लोगों को धमकावे और डरावे तो वे उसको रिश्वत देकर उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। मैंने एक सिपाही को भरतपुर के जिले में देखा। वह

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

नम्बरदार के साथ जाता है और कहता है कि अपने खेत से किसान लकड़ी नहीं काट सकता और न पत्ता भी तोड़ सकता है, ऐसा सरकार का हुक्म है और अगर काटे जायेंगे तो चालान कर दिया जावेगा। यदि कोई किसी को ऐसी बात कहता है तो गैर वाजिब है क्योंकि उसको अपने खेत से अपने हल के लिये या किसी दूसरे जरूरी काम के लिये लकड़ी काटने का हक है। मगर जब वह सिपाही कहता है कि तुम नहीं काट सकते और काटने की जरूरत है तो वह चोरी से काटेगा और इसके लिये उसको रिश्वत देनी होगी। हमारे सिपाही और पुलिस के आदमी को चाहिये तो यह था कि जो कानूनन हुक्म हो किसान के लिये उसे न रोके और दूसरी बात के लिये रोक सकता है। हमें जंगलात के महकमे से मांग करनी चाहिये कि जो किसान वृक्षों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, खुद ही नहीं काटना चाहते मगर जब उनको जरूरत होती है तो उनको काटे जाने की इजाजत जरूर मिलनी चाहिये। यदि किसान पेड़ों को काटता है तो फिर वह उन्हें बच्चों की तरह से क्यों पालता है ?

श्री खेतसिंह—क्या माननीय सदस्य जंगलात के कट-मोशन पर बोल रहे हैं या पुलिस पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि वे पुलिस की ज्यादतियों के बारे में ही बोलें। फोरेस्ट के बारे में या किसी दूसरे विषय पर नहीं बोल सकते।

श्री मोहम्मद इब्राहिम—अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर बोलने की मंशा है और उसी पर बोलूंगा दरख्तों का मामला ऐसा है जिस पर भी बोलना ही है। पुलिस दरख्तों के मामलों में दखल देती है, ऐसा होना नहीं चाहिये।

दूसरे सूबों में पुलिस ने बहुत कुछ तरक्की की है। दिल्ली में, पंजाब में और पंजाब के गुरगांव जिले में मैंने खुद ने देखा है कि पुलिस का कप्तान गांव २ घूमता है। वहां वह जनता को जमा करके कहता है कि हम जनता के सेवक हैं और यदि कोई सिपाही तुम से रिश्वत मांगे तो तुम हमारे पास आवो। कप्तान के डर से थानेदार गांव गांव दौरा करते हैं। जब वह दौरे पर जाता है और घर से निकलता है तो जेब में चने डाल कर चलता है। घोड़े के लिये दाना लेकर चलता है। इस तरह से इन्तजाम करना चाहिये। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे इन्सान नहीं कर सकता। आदमी अगर चाहे तो कर सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत इन्तजाम किया है, मगर वह पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय तो पुलिस की ज्यादतियें मिट सकती हैं। हम समझते हैं कि हमारी मौजूदा गवर्नमेन्ट ने कई महकमों में बहुत कुछ किया है और आयन्दा दूसरे महकमों में भी सुधार करने में कामयाब होगी। मैं इन बातों को कहकर अपना कहना खतम करता हूं।

श्री एच० के० व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ तीन बातें इस सिलसिले में कहना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि यह जो खर्चा है ३ करोड़ का, मेरा ख्याल है कि इसे कमसे कम आधा किया जा सकता है। रक्षा, सुरक्षा और शान्ति की व्यवस्था को खतरे में डाले बगैर भी यह आधा किया जा सकता

[श्री एच. के. व्यास]

है। इसका तरीका भी मैंने कट मोशन में प्रस्तुत कर दिया है। जो डिटेल्स हमको दिये गये हैं उन पर गौर करें तो पता चलेगा कि उच्च अधिकारियों की तनख्वाहों के सिलसिले में इस मद का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। यदि सुरक्षा और व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि जितना पुलिस फोर्स आज है उतना ही रखा जावे और इस मद में खर्चा रखा जावे तो एक चीज की जाती है कि उच्च अधिकारियों के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसको एक दम से आधा करके उसमें से इस मद की आधे से ज्यादा रकम बचायी जा सकती है। तो मेरे इस प्रस्ताव को रखने का पहला कारण यह है।

दूसरा कारण यह है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि इसको खत्म करने में सरकार रत्ती भर भी कामयाब नहीं हुई है बल्कि यह दिनों दिन बढता जा रहा है। मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं उस चीज की ओर जो पिछले ६-७ महीनों से बहुत बड़ी तादाद में रियासतों में हो रही है। दफा १०७ में और १०९ में धड़ाधड़ हजारों कार्यवाहियां हो रही हैं प्रत्येक जिले में और ऐसा मालूम होता है कि पुलिस के अधिकारियों ने तय यह कर लिया है कि आमदनी का जरिया १०७ और १०९ में कार्यवाही करके बढ़ाया जावे, चाहे वह अलवर, बीकानेर या जयपुर शहर हो। मैंने एक दो बार इस प्रकार की घटनाओं की सूचना संबंधित मंत्री महोदय को दी जिनमें प्रमुख नागरिक और जन-संगठन के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की गई। राजस्थान किसान सभा के सेक्रेटरी को शाम के साढ़े सात बजे १०७ 'फा में थाने में बिठा दिया गया और उनसे कहा गया कि ५० रुपये दो तो छुटकारा हो सकता। इस प्रकार के केसेज की फेहरिस्त देना न तो आवश्यक है और न उससे कोई फायदा ही होगा। आज राजस्थान में इन दो दफाओं के मातेहत जितनी घटनाएं हो रही हैं वह लोगों से पैसे ऐंठने के लिये हो रहीं हैं।

तीसरी चीज जो इस सिलसिले में कहना चाहूंगा वह यह है कि आज ३ करोड़ से ज्यादा खर्चा होने के बावजूद भी क्या यह कह सकते हैं कि प्रान्त की जनता को सुव्यवस्था मिल गई, डाकुओं से सुरक्षा मिल गई? जो लोगों को, बच्चों को, उडा उडा कर ले जाया जाता है वे घटनाएं राजस्थान के इतिहास में मौजदा राजस्थान सरकार के राज्य में क्या कम हो गई हैं? यह बात सही है कि कई डाकू मारे गये, पकड़े गये हैं, पर पिछले कुछ महीनों से इन डाकुओं ने एक विशेष तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। वे मनुष्यों को और बच्चों को उडाकर ले जाते हैं, उनके रिश्तेदारों से रेन्सम का पैसा मांगते हैं, और १५-२० हजार रूपया रेन्सम लेकर छोडते हैं, खुले आम चिट्ठियां देते हैं। जो लोग डाकुओं के पास से छूटकर आये हैं उन्होंने सरकार को इत्तलायें दी हैं। इस तरह की घटनायें कम नहीं हुई हैं। यह हुआ है कि जो प्रमुख-प्रमुख व्यक्ति एक डेढ़ साल से लापता हैं उनका पता अभी तक नहीं लगा है। डा० सोनी जो जोधपुर अस्पताल में डाक्टर थे उनको मरीज दिखाने के लिये ले जाया गया। जिस व्यक्ति ने षडयन्त्र रचा और जो वहां एक होटल में ठहरा था वहां यदि तुरन्त कार्यवाही की जाती तो शायद पता चल सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया। डा० सोनी आज डेढ़ साल से लापता हैं परन्तु कोई निश्चित सूचना न तो आम लोगों को, न संबंधित व्यक्तियों को इस विभाग ने दी है। बड़े दुःख की बात है कि माननीय उप-मुख्य मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि डा० सोनी के परिवार को

[श्री एच. के. व्यास]

तनख्वाह दी जा रही है। मैंने मालूम किया तो पता चला कि उनके परिवार वालों को कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही है। बल्कि इस संबंध में अर्जी दी गई वह भी मंजूर नहीं की गई है। तीसरा कारण मेरे इस प्रस्ताव को पेश करने का यह है कि राहत पहुंचाना तो दूर पुलिस दमन करती है, बिना वार्निंग दिये लोगों पर लाठी चार्ज करती है और १०७ और १०९ में लोगों के खिलाफ कार्यवाहियें करती है। चोरियों से राहत मिलती है, डकैतियों से राहत मिलती है और लोगों को उड़ाने से राहत मिलती है, यदि ऐसा ही सरकार समझती है तो वास्तव में पुलिस का यह कार्य सराहनीय है।

इन्हीं शब्दों के साथ में सदन की राय के लिये यह मोशन पेश करता हूं।

श्री श्यामलाल गोयल:--(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना:—अध्यक्ष महोदय, पुलिस के महकमा संबंध में इस सदन में काफी सदस्यों ने अलग अलग घटनाओं का आपके सामने बयान किया है। आज पुलिस डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ा हुआ है इसका पूरा पता तो तभी चल सकता है जब कि कोई इन्क्वायरी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के संबंध में बिठाई जाय और जिस जगह की इन्क्वायरी कराई जाय उस जगह के संबंधित अधिकारी पहले वहां से हटा दिये जायं तभी आपको पूरा पता चल सकता है। मैं एक बहुत बड़ी घटना का आपके सामने बयान करूंगा। अभी कुछ महिने पहले तितोली ग्राम पर डाका पड़ा था और उस घटनास्थल पर भीलवाड़ा जिले के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पहुंचे। उनको बताया गया कि डाकू अभी २ गये हैं, आप पीछा कीजिये, शायद पकड़ने में कामयाब हो सकें। लेकिन जहां तक वाका है उनका उधर जाना तो दरकिनार रहा वे अपनी खातिरदारी और मेहमानदारी में लग गये और डाकू किधर के किधर गायब हो गये। आज भीलवाड़ा जिले में इस तरह की काफी वारदातें हो रही हैं। यह मैं अवश्य कहूंगा कि अभी २ एक डाका कोटरी के पास पड़ा था उसमें माल सहित डाकू, अधिकारियों की सतर्कता से पकड़े गये थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर आम तोर से कुछ राहत पब्लिक को मिलती हो। आज भीलवाडा डिस्ट्रिक्ट में सरे आम डकैती, रेप, मारपीट की वारदातें रात-दिन होती रहती हैं। पुलिस उनकी तरफ ध्यान देना तो दूर रहा उल्टा उनको प्रोत्साहन देती है। फिर उन मुलाजिमों को पकड़ कर सजा कौन दिलावे।

भोजन प्रतिबन्ध का एक ऐसा मौका इस डिपार्टमेन्ट को मिला है कि जिसके जरिये रोजाना इस विभाग वाले हजारों रुपये हड़प जाते हैं। आज ४-५ वर्ष से कन्ट्रोल्ड कोमोडिटीज का कार्य चल रहा है, बहुत से लोग तो समझ गये हैं और कंट्रोल्ड कामोडिटीज का अधिक उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी अन-कन्ट्रोल्ड कॉमोडिटीज का उपयोग करने पर भी पुलिस वाले उन पर मुकद्दमे चलाने की धमकी देकर परेशान करते हैं। मैं ऐसे पचासों केस बता सकता हूं, यदि इस बारे में सरकार जानकारी करना चाहे। भीलवाड़ा जिले में बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं। उनसे किस तरह से लोगों को राहत मिले, यह सोचना है यही मेरा निवेदन है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का महकमा है। उसके किसी अधिकारी पर शक किया जाना हमारी कमजोरी है और शर्म की बात है। वास्तविक बात यह है कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है। किस प्रकार इसे रोका जाय, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट

Page No.64

[श्री तजमल बापना]

के लिये, मुझे बहुत समय हो गया है ऐसा ध्यान में लाते हुए सरकार के कि एक इन्सपेक्टर या एक अफसर भीलवाड़ा भेजा जाय। वहां रामराज्य चल रहा है कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। कई सब इन्सपेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें सस्पेन्ड किया गया है और वे वापिस उसी स्थान पर रख दिये गये हैं। इन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाया जाय। लोगों को राहत मिल सकें, ऐसा प्रबन्ध किया जाय।

श्री कानसिंह—जिस प्रकार हमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग के बारे में शिकायत थी उसी प्रकार बजट के आंकड़ों को देखने से वही शिकायत इस मांग के बारे में भी है।

श्री टीकाराम पालीवाल—It is a separate cut motion.

श्री अध्यक्ष—No.

श्री कानसिंह—बजट एस्टीमेट्स के पेज ८१ पर जो मांग है वह ३०७०० है और बजट मेमोरेन्डम की टोटल लगाने से वह ३०४०० आती है और जो मांग हमारे सामने रखी गई है वह ३३३.८९ की है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जिन आंकडों में फरक आता है उनके बारे में अपना ध्यान देकर उन्हें ठीक करें और यदि मैं गलती पर हूं तो मुझे समझाने की कोशिश करें। पुलिस के बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। एक-दो बातें मैं भी पेश करना चाहता हूं। कुछ अर्से ....

श्री टीकाराम पालीवाल—यह कौनसा कट मोशन है ?

श्री कानसिंह—मैं कटमोशन का समर्थन कर रहा हूं। मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—मेम्बरों को बोलने का अधिकार है, लेकिन वे कोनसे कट मोशन को सपोर्ट करना चाहते हैं ?

श्री कानसिंह—मैं सभी को सपोर्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—Then it will be a general debate again.

श्री कानसिंह—मैं श्री गंगासिंह जी के कट मोशन को सपोर्ट करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल—His cut motion has not been moved.

श्री अध्यक्ष—All cut-motions are deemed to have been moved.

श्री कानसिंह—(भाषण जारी रखते हुए):—अभी डकैती का जिक्र करते हुए मेरे मित्र श्री गंगासिंहजी ने बहुतसी बातें कही थीं। उस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस ने उसमें किस कदर जुल्म और ज्यादती की थी। इस पडिहारा डकैती के सिलसिले में पुलिस ने एक झबरसिंह, जहां तक मुझे याद है, को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके साथ इन्सानियत के

[श्री मानसिंह]

खिलाफ बहुत बेजा सलूक किया। उसको बहुत मारा-पीटा और जोर जुल्म किया जिससे वह हवालात में ही जान से मर गया। चूरू के बहुत से लोगों ने दरख्वास्तें दीं, पब्लिक ने बहुत कुछ एजीटेशन किया लेकिन कोई डाक्टरी मुआयना उसकी लाश का नहीं कराया गया। उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसकी लाश मांगीं पर उनको लाश तक नहीं दी गई।

श्री **चन्दनमल वेद**—यह आप कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री **कानसिंह**—यह चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ थाने का जिक्र है। शायद आपको मालूम नहीं है और यदि मालूम भी है तो इसमें कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का हाथ था, इसलिये खामोश हैं। मैं अर्ज करूंगा कि पुलिस इस कदर की ज्यादतियां करती हैं। इसमें जिन जिन अधिकारियों की ज्यादतियां थीं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भी मारपीट में शामिल था पर एस. पी. कान में उंगली डालकर बैठे रहे और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसलिये मैं कहूंगा कि मन्त्री महोदय यदि अब भी कोई कार्यवाही करना चाहें तो वे एक तरफा कार्यवाही न करें। डिपार्टमेन्टल कार्यवाही में भी विरोधी पक्ष के एक-दो सदस्य अवश्य सम्मिलित होने चाहियें ताकि हम आपको बता सकें कि क्या क्या ज्यादतियां इस मामले में हुई हैं।

इसके अलावा भी श्री हरिकृष्ण व्यास ने १०७ और १०९ दफा जाब्ता फौजदारी का जिक्र किया है। मेरे लायक दोस्त कहना भूल गये हैं कि १०७ और १०९ की कार्यवाही तो अदालत में होती है। पुलिस तो चालान ५५।१०९ में देती है, फिर अदालत बाद जांच १०९ जा० फौ० के तहत जमानत का हुक्म देती है। पुलिस अन्धेरगर्दी में चालान करती है यह बिलकुल सत्य है। पुलिस तो चाहती है कि एक दफा तो चालान कर दिया जाय उसके बाद फिर देखा जायगा। तो इससे क्या होता है कि वे मुकदमे सेन्ट परसेन्ट खारिज हो जाते हैं और सेन्ट परसेन्ट लोग छूट जाते हैं।

मौसर के मामलों में तो पुलिस ने अजीब ढोंग मचा रखा है। लखपति व करोड़पति या मालदार आदमी जो होते हैं वे तो मौसर करने की इजाजत ले लेते हैं और गरीब आदमियों से, जो ऐसी इजाजत हासिल नहीं कर सकते, पुलिस वाले छीना झपटी करके उनसे रुपया मार लेते हैं। अतः पुलिस की जो ज्यादतियां हैं वे कतई बन्द हो जानी चाहिये। इन थोड़े से शब्दों के साथ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हुआ मैं अपनी जगह लेता हूं क्योंकि समय का तकाजा है।

श्री **भैरूसिंह (दांता रामगढ)**—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक कट मोशन दिया था किन्तु शायद वह इस समय माननीय अध्यक्ष और सदन के सामने नहीं है। अब मैं सदन के सदस्यों की जानकारी और माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये, अगर अध्यक्ष महोदय इजाजत दें, तो मैं मेरा कट मोशन पढ़ कर सुना दूं। मेरा कट मोशन इस प्रकार है.—

"That the Demand....

श्री **अध्यक्ष**—No cut-motion has been received from you.

Page No.66

श्री भैंरूसिंह—मैंने तो शाम को दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—You can make a speech. I can allow you.

श्री भैंरूसिंह—मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Is he making a speech on some particular cut-motion.

श्री अध्यक्ष—He shall confine himself to some one of them.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ)—मैं इस डिमान्ड के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I think the Hon'ble member can speak on some specific point only.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—मैं इस सम्बन्ध में खास-खास बातें अर्ज करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—Order ! I will like to ascertain the views of the House as to what procedure should be adopted. I was under the impression and took the procedure that all cut-motions should be taken as moved and the Members concerned who wanted to make a speech on them should do so. In this case there are some 8 cut-motions and they have been moved and after that if we adopt the procedure that if one cut-motion is moved and the Members want to support or say something on those cut-motions they can speak but of course the House has a choice to adopt that method. If that method is not adopted and if we take the present form that all those Members who have moved the cut-motions may make a speech and the other Members may also speak in a general way: who want to speak on more than one cut-motions. What the procedure the Hon'ble Members will like to adopt, I will like to know ?

श्री जसवंतसिंह—I would suggest this. Time is of the essence, and we must curtail the speeches no doubt remembering that later on members will also have further chance. Taking this into consideration each cut-motion may be moved by those Hon'ble Members who have given notice and after that one or two speakers on this side and one or two on the Government Benches may speak. But so far as the opposition is concerned I can say that only one or two members will by the way speak, on each cut-motion and thus we can save much of the time. Each cut-motion is to be moved and then one or two speakers of our side and similar number on the Government side may be allowed and the Debate should be proceeded in this manner.

Page No.67

श्री टीकाराम पालीवाल—Fully I agree with the views of the opposition. That is a proper view. Each has to be discussed separately and the Hon'ble Members desiring to speak on this side on the motion in favour or against........

श्री अध्यक्ष—One cut-motion at a time to be discussed.

श्री टीकाराम पालीवाल—And I think, I take it, I mean most of the cut-motions have been discussed. Since no body spoke on it, only the last cut-motion is before the House for discussion.

श्री अध्यक्ष—So you (Shri Bhairon Singh) can make your choice as special case because in the next Demand one cut-motion at a time will be moved (addressing Shri Bhairon Singh). If you want to speak ....

श्री टीकाराम पालीवाल—Again general discussion : if this choice is given to Members will it not mean that any one may speak on any cut-motion ? Just now cut-motions were moved, they were discussed and now only the last cut-motion is before the House for discussion.

श्री अध्यक्ष—If we adopt the same thing as decided just now then that will be the procedure. But I took all cut motions moved and I did not allow any other member other than who puts the cut motion to speak. So in this case ......

श्री टीकाराम पालीवाल—Not that you did not allow but no body stood up to speak and if that were the view then Mr. Vyas's speaking could not have been an objection. If that view be taken....

श्री अध्यक्ष--(addressing to Shri Bhairon Singh) So the only choice for you to confine yourself to the last cut motion.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, लास्ट कट मोशन की मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। मुझे तो शिकायत के रूप में कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—क्या आपको कॉपी सप्लाई नहीं की गई थी ?

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—कॉपी सप्लाई तो की गई थी । मैं इस सम्बन्ध में दो तीन कान्क्रीट सजेशन्स (suggestions) देना चाहता हूं । कट मोशन्स से संबन्धित है और मैं आशा करता हूं कि वे सजेशन्स किसी कदर बुरे नहीं होंगे ।

अध्यक्ष महोदय इस पुलिस विभाग में दो मदों पर विशेष खर्चा हो रहा है और वे दो मद ये हैं: (१) आर. ए. सी. और (२) रेलवे पुलिस . ६४ लाख रुपया का आर. ए. सी. के लिये प्रोविजन रखा

[श्री भैंरूसिंह दांतारामगढ़]

गया है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में कई दफा जिक्र आया कि यह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी, डकैतियों वगैरह से रक्षा करती है और खास तौर पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की जहां सीमा मिलती है उसकी सुरक्षा के लिये नियुक्त की जाती है। आधी से ज्यादा फोर्स राजस्थान के बोर्डर्स पर इस समय तैनात है। अध्यक्ष महोदय, यह एक आम चीज है और मानी हुई चीज है कि जो इन्टर्नेशनल security की चीजें होती हैं यानि एक कन्ट्री से दूसरे कन्ट्री की जहां सीमायें मिलती हों उसकी सुरक्षा के लिये जो फोर्स रखनी पड़ती है उसका सारा खर्चा सेन्टर पर होता है। अगर इस पुलिस के जरिये से हिन्दुस्तान की सीमा की रक्षा कराना है तो अध्यक्ष महोदय, इस फौज का सारा खर्चा सेन्टर पर ही होना चाहिये। इसके सम्बन्ध में कई दफा और कट मोशन रख कर भी निवेदन किया गया था ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो फाइनेन्स कमीशन के सामने राजस्थान सरकार ने मेमोरेन्डम पेश किया है उसमें सरकार ने भी इसे महसूस किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह चीज जिस वक्त राजस्थान सरकार का पहला बजट पेश हुआ था उस वक्त भी उठाई गई थी और माननीय गृह मन्त्री द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि प्रयत्न किया जावेगा कि जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन का जिम्मा जो हमारी पुलिस के आया है वह सेन्टर में जावे। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार के सामने कभी भी कॉन्क्रीट सजेशन Concrete suggestion प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे राजस्थान की सरकार इस भारी खर्चे से बचती ।

दूसरी चीज, रेलवे पुलिस के सम्बन्ध में कहूंगा। जिस समय रेलवे का इन्टीग्रेशन हुआ और सारी राजस्थान की रेलवे को केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया तो रेलवे की सारी आय केन्द्र के हाथ में चली गई। उस वक्त तय हुआ था कि जब सारी आमदनी केन्द्र के हाथ में चलीं गई है तो इस रेलवे के Pro!eotion सम्बन्धी सारा का सारा खर्चा भारत सरकार के जुम्मे होगा। पर न जाने क्यों रेलवे पुलिस का खर्चा आज भी राजस्थान सरकार ही दे रही है, जब कि दूसरी तरफ भारत सरकार सारा का सारा रेलवे की आय का रुपया ले लेती है। पुलिस का खर्चा राजस्थान गवर्नमेन्ट पर जो है वह भी कम नहीं है ; वह भी २ लाख ८२ हजार ९०० के लगभग है। जिस मद की सारी की सारी आमदनी का रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास चला गया उस मद का खर्चे का बोझा हम क्यों बर्दाश्त करें ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री **टीकाराम पालीवाल**—On a point of information, Sir, the Hon,ble member is going beside the cut-mot ion.

श्री **भैंरूसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मुझे इन दो ही मदों पर कहना था। कट मोशन को ठीक प्रकार से नहीं देख पाया था, अतः इतना लम्बा कह गया। अपने कथन का सपोर्ट करने के लिये कट

[श्री भैंरूसिंह]

मोशन्स (Motions) के वक्त आगे और भी कहूंगा। इस वक्त तो इन दो ही चीजों पर मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन पर गौर करें।

श्री जसवन्तसिंह—I would like to move a closure because in my opinion sufficient debate has taken place.

श्री अध्यक्ष—Is it necessary to move a closure? The Minister-in-Charge will now reply.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्षजी, एक सजेशन (Suggestion) में देना चाहता हूं कि "पुलिस" शब्द के वजाय शब्द "नागरिक सुरक्षा सेवक दल" रख लिये जावें।

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पुलिस के अनुदान की मांग के सम्बन्ध में कई एक कटौती प्रस्ताव आये और माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न खड़े किये।

मैं यह मानता हूं कि पुलिस का कार्य जितना महत्वपूर्ण है और जितना अच्छा होना चाहिये, जैसा उसका आदर्श होना चाहिये उतने अच्छे और उतने आदर्श तरीके की हमारी पुलिस नहीं है। मैं उन माननीय सदस्यों के साथ शत प्रति शत सहमत हूं कि जो यह मानते हैं और जिन्होंने यह कहा है कि पुलिस एक ऐसा विभाग है जो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन कर सके और जिस स्टेन्डर्ड का कार्य होना चाहिये वैसा ही होने लगे तो सचमुच हमारे विभाग का, विभाग का ही नहीं सारे शासन का रूप ही वदल जावेगा। मैं मानता हूं कि जो आदर्श सेवा पुलिस को करनी चाहिये पूरे प्रकार से उतनी हमारी पुलिस नागरिकों की सेवा नहीं कर पाई है।

लेकिन साथ ही मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पुलिस फोर्स अपने सामने उसी उद्देश्य को जरूर रखती है। यह वात अलग है कि पूरे तौर से वह वहां तक पहुंच नहीं सकी है लेकिन उस ओर चलना जरूर चाहती है और जैसा एक-दो मेरे माननीय सदस्यों ने स्वीकार भी किया है, मैं वहुत ऋणी हूं उनके प्रति, उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि पुलिस में वहुत कुछ सुधार हुआ भी है और पुलिस ने वहुत कुछ अच्छे काम किये भी हैं। मैं यह आशा करता हूं कि जैसा माननीय सदस्य स्वयं भी अनुभव करते हैं, पिछले कुछ दिनों में पुलिस के कामों में और पुलिस के व्यवहार में भी सुधार हुआ है। इसी वात को अभी एक माननीय सदस्य ने कहा भी है। पिछले कुछ दिनों में काफी सुधार हुआ है, काफी अच्छा काम पुलिसने किया है। इसे देखते हुए मुझे कोई निराशा का कारण नहीं मालूम होता। मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में राजस्थान की पुलिस और भी अच्छी प्रगति कर सकेगी। मैं विश्वास करता हूं कि जनता का सहयोग और इस सदन की सद्भावना जैसी कि अभी तक मिलती रही है वैसी ही आगे भी मिलती रही। किसी हद तक तो मेरा यह मानना है कि समयान्तर में हमारी पुलिस एक आदर्श पुलिस वन सकेगी और सम्भवतः वह दूसरी स्टेटों के समान प्रगति कर सकेगी।

Page No.70

[श्री टीकाराम पालीवाल]

यह मानते हुए भी कि हमारी पुलिस में खामी है, मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारी पुलिस दूसरी पडौसी राज्यों की पुलिस के मुकाबले में कोई बहुत पीछे है —कार्य दक्षता में, व्यवहार कुशलता में अथवा नैतिकता में भी । और दूसरे पड़ौसी राज्यों की पुलिस के मुकाबले में बहुत पिछड़ी हुई हैं; ऐसी भी मेरी मान्यता नहीं है ।

लेकिन फिर भी यह मेरे कहने का अभिप्राय नहीं है कि सुधार की जरूरत नहीं है । मैं मानता हूं कि सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत गुंजाइश है ।

मैं अब यहां, जिस बारे में खास खास प्रश्न माननीय सदस्यों ने अभी उठाये हैं उनका भी संक्षेप में थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

पहला कट मोशन श्री खेतसिंह जी का है ।

"That the Demand No. XIV Major Head 29-Police, be reduced by Re. 1/- (to discuss the inadequacy of boarding and lodging facility given to the R. A. C.)"

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को, जिन्होंने यह कट मोशन मूव किया है और सारे सदन को यह जानकारी है, मेरा ख्याल है और सन्तोष होना चाहिये कि जिस खामी की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है उसको पूरा करने का हमने पूरा निश्चय कर लिया है । वह खामी तो वास्तव में मैंने भी अनुभव की है । मैंने स्वयं देखा है कि वह खामी अवश्य है पर ऐसी नहीं जिस रूप में वह कही गई है । ऐसा नहीं है कि रहने के लिये कोई प्रबन्ध ही नहीं है । आखिर सरहद पर जो लोग रहते हैं वहां सभी जगह हमारी सात सौ मील लम्बी सरहद पर सरहद की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के लिये, सिपाहियों के लिये सरहद के हरेक स्थान पर बैरेक्स हों या क्वार्टर्स हों । पक्के तो नहीं बन सकते और न संभव ही है । फिर भी हमने रहने के ये सभी साधन दिये हैं जो समय पर हमारे पास उपलब्ध हो सके हैं । ऐसा नहीं है कि टेन्ट्स उनके पास न हों या उनकी कमी पड गई हो । इसके साथ ही इन सैनिकों ने बहादुरी से भी काम किया है । मैं स्वयं गया हूं बीकानेर और जोधपुर सैक्टर में । वहां पर टैन्ट हैं और ठीक तरह से हैं, मैंने यह स्वयं देखा है और इसमें भी जो खामी है वह भी हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने परिश्रम से पूरा कर लिया है । काफी जगह उन्होंने जमीन खोद कर इम्प्रोवाइज्ड हट्स सरीखे क्वार्टर्स बना लिये हैं अपने लिये । कुछ खामी होते हुए भी उन्होंने स्वयं ने अपने परिश्रम से उसे पूरा कर लिया है और उनकी सतर्कता में कोई खामी आई हो, ऐसा कुछ नहीं है । सामान ठीक समय पर कभी कभी नहीं भी पहुंचे तब भी उन्होंने जिस हिम्मत और कार्य कुशलता और बहादुरी का परिचय दिया है उसकी मैं दाद देता हूं, उनकी कार्य कुशलता की प्रशंसा करता हूं उनकी कर्तव्य परायणता में कोई खामी नहीं आई । साथ ही यह भी कह दूं कि सरकार ने भी कोई लापरवाही की हो उनके प्रति, ऐसी बात नहीं है । पर समयाभाव से कभी समय पर साधन पहुंचने में विलम्ब अवश्य हो गया है और उससे उनको कठिनाइयां हुई हैं । हम इस मामले में अब सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसी कठिनाई न होने पावे ।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इन परिस्थितियों में जितनी सुविधायें हो सकती हैं अवश्य दी जानी चाहिये। भोजन के बारे में यह कहा जाय कि उनको भोजन सामग्री नहीं मिल रही है यह बात नहीं है। सामग्री तो बराबर मिलती रही है किन्तु लाने ले जाने के प्रबन्ध में कई बार सिपाहियों को परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी कई स्थान हैं जहां ट्रक आदि नहीं पहुंच सकते। जहां पर हेवी व्हीकल्स आसानी से नहीं पहुंच सकते वहां पर पुलिस के सिपाहियों को खुद को उठा कर या गधे या घोडों पर लाद कर या बैल गाडी में लाद कर सामान पहुंचाया जाता है। जहां ये भी नहीं पहुंच सकते वहां स्वयं सिपाहियों को अपने कन्धों पर उठा कर सामान ले जाना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारे सिपाही छूई-मूई बनें। उन्हें अपना काम परिश्रम से करना ही चाहिये। खुद भी हार्ड लाइफ पसन्द करते हैं और खुशी से सारा काम करते हैं। एक बात ध्यान में आई थी जो यह थी कि उनके कठिन जीवन को देखते हुए, उनके कठिन कर्तव्य को देखते हुए और उनके वेतन आदि का ध्यान रखते हुए हमने पिछले साल से यह सोचा था और ख्याल किया था कि उनको जो राशन मिलता है वह फ्री मिलना चाहिये। राशन में जो उनको अपने वेतन में से देना पड़ता है नहीं दिया जाना चाहिये और राशन उसको फ्री मिलना चाहिये। यह उनको अब एडीशनल सुविधा होगी, जिसको सिपाही लोग रिअलाइज करेंगे और सदन भी इस बात की स्वीकृति देगा और सदन को प्रसन्नता होगी कि जो हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं उनको हम अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। इस विषय में मेरे इन शब्दों से माननीय सदस्यों को काफी सन्तोष होगा और सदन को भी सन्तोष होगा।

इस डिमान्ड पर दूसरा कट मोशन श्री सन्तोषसिंह का है। उन्होंने अपने कट मोशन में कहा है– "To discuss the failure of protection provided by police to the villagers against the decoits". इस कट मोशन से अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस कट मोशन के पेश करने के रीजन को देख कर मुझे बडा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिये हुआ कि जिस प्रदेश से, राजस्थान के जिस भूभाग से माननीय सदस्य चुन कर आये हैं उस भूभाग की, उस प्रदेश की जो स्थिति आज से एक वर्ष पूर्व थी उस स्थिति की आज की स्थिति से तुलना करने की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वे उस स्थिति और आज की स्थिति पर ध्यान देते तो मैं मानता हूं कि कोई भी ईमानदार साथी यह कभी नहीं कह सकता कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस भाग को छोड़ दीजिये, मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान के दूसरे भागों की अपेक्षा डकैतों का प्रोब्लम जोधपुर डिविजन में ज्यादा रहा है। और जगह प्राब्लम इतना ज्यादा नहीं रहा है और हमारे पुलिस विभाग ने जो काम इस इलाके में किया वह भी खूब किया। सारे राजस्थान में भी किया किन्तु जोधपुर डिविजन में खासतौर से पुलिस ने अच्छा कार्य किया। मैं संभवतः पहले भी आंकड़े बता चुका हूं लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने न तो स्वयं अपनी जानकारी करने की कोशिश की और न अपने आसपास की परिस्थिति का अनुभव करने की कोशिश की और न मेरे बताये हुए आंकडों को ही उन्होंने ध्यान में रखा। उनको फिर दुबारा याद दिलाना चाहता हूं कि अब से एक वर्ष पहले राजस्थान की डाकेजनी की हालत एक खतरनाक हद तक पहुंच चुकी थी और जो स्थिति उन्होंने बतायी कि दिन दहाड़ डाके पड़ते हैं, गांव के लोगों की हिम्मत डाकुओं का मुकाबला करने की टट चुकी है, पुलिस खबर

[श्री टीकाराम पालीवाल]

पाने पर भी ठीक समय नहीं पहुंचती और यदि पहुंचती है तो बाद में या दूसरे रास्ते से पहुंचती है, लोगों को उठाकर डाकू लोग ले जाते हैं और गांव के लोगों में इतना भय फैल गया है कि वे गांव छोड़-छोड़ कर शहरों की ओर भाग रहे हैं; यह स्थिति जो उन्होंने बताई है वह स्थिति आज की नहीं वह स्थिति आज से करीब एक साल पूर्व की है। शायद माननीय सदस्य एक साल पुराना मस्तिष्क लिये हुए बैठे प्रतीत होते हैं। जो एप्रीहेन्शन्स (apprehensions) उनके दिमाग में एक साल पहले थे वे ही आज उनको मालूम होते हैं। आज स्थिति बदल गई है। उस स्थिति में और आज की स्थिति में तिगुना-चौगुना अन्तर पड़ चुका है। राजस्थान में मार्च सन् १९५२ में डकैतियों की कुल संख्या ४८ (अड़तालीस) थी, जनवरी ५२ में ३४ डाके पड़े, फरवरी में ४४, मार्च में ४८ डाके हुए; इसलिए ट्रेन्ड बढ़ रहा था। लॉ-लेसनेस की जो स्थिति माननीय सदस्य ने बतलाई कि लोग गांव छोड़कर भाग रहे ह, लोगों का मोरल गिर चुका था। उस समय की स्थिति में मार्च के बाद में पुलिस ने काम किया। जो ट्रेन्ड बढ़ रहा था, जो डाकों की संख्या बढ़ रही थी, उसी महिने से वे घटने लगे, अप्रेल महिने से घटने लगे। इस प्रकार मार्च में जिनकी संख्या ४८ थी उसके बाद संख्या घटने लगी। अप्रेल में ३४, मई में २९, जून में २२, जुलाई में १५, अगस्त में १७, सितम्बर में फिर २२ होगये, लेकिन अक्टूबर में फिर १६, नवम्बर में १४, दिसम्बर में तेरह। इस तरह से स्टेडी (Steady) फाल हुआ नम्बर ऑफ डेक्वाइटीज़ में। एक महीने में फिर दुबारा राइज़ होने लगा था सेप्टेम्बर में, लेकिन वह टेम्परेरी राइज़ था। वह स्टेडी फाल हो गया। तो करीब-करीब चार गुना फर्क पड़ गया। एक तरफ संख्या ४८ थी बड़ी से बड़ी संख्या और घटते घटते धीरे धीरे यह जो नम्बर बाकायदा घटा है वह इस बात के ख्याल से कि यह कोई इत्तिफाकिया नहीं घटा गया। पुलिस ने जैसे जैसे काम किया, अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे वैसे उसने सख्ती के शिकन्जे से काबू पाया डाकुओं पर। जैसे जैसे पकड़े गये, वैसे डाकुओं की संख्या कम होती गई, वहां डाकेजनी की संख्या भी कम होती गई। यह इसका स्पष्ट सबूत हम देखते हैं। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि डाकेजनी को राहत मिली। मैं समझता हूं कि न मालूम वह क्या चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि डाकेजनी की जो स्थिति थी, मेरे ख्याल से राजस्थान जैसी साइज़ के इतने बड़े दूसरे किसी भी राज्य की स्थिति से खराब स्थिति नहीं है। चाहे राज्य के विस्तार की दृष्टि से देख लिया जाय, चाहे जन-संख्या की दृष्टि से देख लिया जाय, हमारे राज्य की स्थिति किसी भी दूसरे राज्य की जो स्थिति है उससे खराब नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आज, बल्कि एक प्रकार से यह स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले में, सराहनीय है। इसलिये कि दूसरे राज्यों में पुलिस की बहुत दिनों से वेल इक्विप्ड, ट्रेन्ड और वैल आर्गेनाइज्ड फोर्स हैं। हमारे यहां की पुलिस जो कुछ दिनों पहले टुकड़ों टुकड़ों में बंटी हुई थी, अलग अलग थी, एक फोर्स नहीं थी और उनका स्तर ट्रेनिंग वगैरह का भिन्न था। एक तरफ तो करौली और शाहपुरा की छोटी छोटी पुलिस थी, तो दूसरी तरफ अच्छी पुलिस थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर आदि में। लेकिन उन सबका एक जैसा स्तर न उनके काम का था, न वेतन का था और न ट्रेनिंग का। सब जगह की अलग अलग ट्रेनिंग थी। वह एक नई फोर्स बनी राजस्थान में। उस दृष्टि से हमारी पुलिस की नई फोर्स बनी थी। उस दृष्टि से हमारे राज्य में यातायात के साधन बहुत कम हैं, दूसरे राज्यों के मुकाबले में। कई एक कठिनाइयां हैं। अरावली की पहाडियां हैं। आपके रेगिस्तान के धारे, सेन्ड ड्यूस हैं, चम्बल के खादर हैं, रेविन्स हैं। सब चीजें ऐसी हैं जो कि डाकुओं को शह देती हैं। यह प्राकृतिक

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सुविधायें डाकुओं को प्राप्त हैं। डाकुओं के लिये जो प्राकृतिक सुविधायें हैं वे हमारी पुलिस फोर्स के लिये प्राकृतिक बाधाएं हैं। उन बाधाओं को, नई फोर्स होते हुए भी, इतना बड़ा काम, इतने थोड़े महीनों में इन साधनों से किया है वह सराहनीय है।...........

श्री हिम्मतसिंह—विरोधी दल का हमारा अंकुश भी इसका कारण है।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अब तो दूसरे लोगों का अंकुश है। पहले तो आप लोगों का ही अंकुश था।

(अपना पूर्व भाषण जारी करते हुए)

श्री केसरीसिंह ने एक कट मोशन मूव किया है, जिसमें "to discuss in efficiency and corruption in Police Department". उससे सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ हूं। जिस निर्दोष ढंग से (हंसी) श्री केसरीसिंह ने अपनी बातें कहीं। सचमुच में फील कर रहा था कि वह अपनी बात को जैसा वह फील करते हैं, जैसा वह अनुभव करते हैं.........

श्री मानसिंह—(१२ बजे का साइरेन बोलने पर) अध्यक्ष महोदय, भोंपू बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। (हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए)—उन्होंने जो अनुभव किया वह कहा, और उसमें, मैं मानता हूं कि सच्चाई है। सच्चाई इस मायने में कि यह दावा नहीं किया जा सकता, आज मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारी पुलिस करप्शन से मुक्त है या उसमें इन-एफिशियन्सी नहीं है, पूर्णतया एफिशियन्ट है: यह मैं दावा नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि मैं ही क्या दूसरे राज्यों के कोई भी गृहमंत्री यह दावा नहीं करेंगे कि उनकी पुलिस करप्शन से बिल्कुल मुक्त है या पूर्णतया वह एफिशियन्ट है। यह कमी है। इस कमी का उन्होंने अनुभव किया। थोडी सी एक दो बातें उन्होंने कह डालीं, और मेरा खयाल है कि उन्होंने एक प्रमाण साहित्यक भाषा में भी दिया था कि बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो खेत का क्या हाल हो: यह ठीक है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। सरकार यह प्रयत्न करेगी कि पुलिस जितनी एफिशियन्ट होनी चाहिये उससे भी ज्यादा एफिशियन्ट बने, और जहां कहीं करप्शन हो उसको दूर करे और उसमें कमी की जाय।

श्री हिम्मतसिंह जी ने चोथा कट मोशन "To discuss the general in efficiency" रखा था। वैसे मेरे खयाल से तो उन्होंने भी वही बात कही जो कि श्री केसरीसिंहजी ने कही, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए यदि मैं यह कहूं कि श्री केसरीसिंहजी के कहने का ढंग मुझे ज्यादा सुन्दर लगा।......

एक सदस्य—वे खुद भी सुन्दर हैं (हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—यह नहीं कि आपका (श्री हिम्मतसिंह की ओर लक्ष्य करके) ढंग सुन्दर नहीं था लेकिन वह ढंग ज्यादा सुन्दर लगा। (हंसी)..........

श्री हिम्मतसिंह—कोई चीज मीठी होती है, कोई चीज खट्टी होती है।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैंने इसलिये कहा कि कई बातें इस प्रकार से कही गई। मुझे केसरीसिंहजी यद्यपि नौजवान हैं, लेकिन. . . . .

श्री अध्यक्ष—देअर इज़ नो एज़ फैक्टर इन इट। (हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—लेकिन तब भी उनके कहने में संजीदगी मालूम हुई।. . . . . . .

श्री हरिकृष्ण व्यास—you seem to be specially impressed.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—उनकी जिस बात का मुझ पर प्रभाव पड़ा वह सही बात है। वही उन्होंने उसी आशय का कट मोशन रखा, और उन्होंने जैसा अनुभव किया वैसा कहा। उसी आशय का कट मोशन दूसरा आया है और उसमें जो बातें कही गई हैं वे एक मजाक के रूप में कही गई। उन्होंने कहा कि डी. आइ. जी. पी. का यह रोना है। अच्छा साहब रोना है तो हो, लेकिन कहने का ढंग कितना अच्छा है। यह मैं मानता हूं कि उस चीज में कन्ट्रोवर्सी थी। गवर्नमेन्ट ने उस पर जानकारी की तो वह जितनी बढ़ा दी गई थी उतनी बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसा रवैया मुझे लगा कि हरेक चीज जो अच्छी हो उसको मजाक भी समझा जाए और जो मजाक उडाने के लायक हो वह तो मजाक उडाने के लायक है ही। दूसरा जो नमूना उन्होंने होस्टल में घड़ी की चोरी की गई उसके बारे में बताया। उसमें विरोध की सी भावना से आपने कहा, लेकिन मैं नहीं समझा कि आखिर पुलिस क्या करे? अगर पुलिस काम करे और चोरी का पता लगाये तब तो यह कहा जाता है कि लोगों को परेशान करते हैं और निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, बावजूद इस बात के कि यह पुलिस की कार्यवाही करने का परिणाम है कि आपकी घड़ी वापिस आगई; इसका मजाक उड़ाया जाता है और यह कहा जाता है कि बेचारे को तंग करते हैं। और कोशिश करते नहीं हैं तो कहते हैं देखिये साहब एम. एल. ए की घड़ी भी नहीं मिली और किसी की मिले या नहीं, होस्टल तक में चोरी हुई। किसी भी तरह की लानत मलामत हो, वह डालने का आपने इरादा कर लिया है; तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—कुनैन मिक्सचर था।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—फिर कोई आदमी पुलिस की राइफल चुरा करके भाग गया उसको पकड़ने की कोशिश की गई; दौड़ने में मारा गया तो वह भी सहानुभूति का पात्र बन गया। यह सदन में बोलने का क्या स्टैन्डर्ड है। किसी चीज की जांच तो होगी ही। राइफल चुराकर ले जाय, यह चीज सहन करने के योग्य नहीं है। न तो कोई भी गवर्नमेन्ट सहन कर सकती है और न पुलिस ऑर्गनाइजेशन इस बात को सहन कर सकता है, और मेरा खयाल है कि अगर इस प्रकार की कड़ाई के साथ डिसिप्लिन नहीं रखा गया तो इस सदन के लिये वह दिन बहुत दूर नहीं होगा क्योंकि आखरी जिम्मेदारी इस सदन की है। इसलिये यह एक ऐसी

[श्री टीकाराम पालीवाल]

चीज है जिसमें कोई भलाई नहीं हो सकती। अब आ. ए. सी में गढ़वाली लोगों की भर्ती हुई, उसके लिये आपत्ति उठाई गई। इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं हुआ है। मैं नहीं मानता कि हमारे भारतवर्ष में राजस्थान कोई एक भिन्न देश और गढ़वाली दूसरा प्रदेश हैं। यह ठीक है कि भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों में हमें जहां तक हो सके अपने स्थानीय लोगों को ही लेकर काम चलाना चाहिये था, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो इस संघ की दूसरी इकाइयों के लोगों को भी अपने यहां ले लें तो यह कोई अन्याय की बात नहीं है। और अगर इस दृष्टिकोण से चलेंगे तो हमारे यहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा और बजाय उनका हित करने के हम उनका अहित ही करेंगे क्योंकि राजस्थान के सिवाय भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत से राजस्थानी व्यापार, नौकरी और व्यवसाय करते हैं, उनके लिये अहित होगा। इसलिये इसके लिये अधिक जोर देना और खास तोर से सदन में इसको प्रेस करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। यह मानी हुई बात है कि गढ़वाली लोग अपने रहन सहन से, आदतों से, हमारे यहां के लोगों से भिन्न हैं, मगर जहां तक वेतन का सवाल है जिस वेतन पर वे आने के लिये तैयार हैं दूसरे आने को तैयार नहीं। इसके अलावा आर. ए. सी. का एक बहुत छोटा सा विभाग है जिसमें गढ़वालियों की भर्ती की हुई है। इसमें आपत्ति होती है! मैं समझता हूं कि यह चीज ऐसी नहीं है जो सदन के सामने लाई जाती।

श्री गंगासिहजी ने अपने कट मोशन में यह कहा, "To discuss the failure of the Government to tone up the administration of Police Department and also to discuss the lack of adequate security arrangements in Jodhpur Division" इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि अगर सब बातों को कहूं तो पहली बातों को दोहराना होगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि पुलिस का डिपार्टमेन्ट टोनअप हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं कि यह परफेक्ट नहीं है और यह भी कहूंगा कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट नहीं है और न नियर फ्यूचर में ही ऐसी आशा है। लेकिन इसके लिये यह कहना कि यह टोनअप है, ज्यादा होगा। पुलिस ने इतने थोड़े अर्से में जो अशांति का वातावरण था उसको बदल दिया और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा कर दी। इसलिये यह कहना कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन टोनअप है मैं समझता हूं कि ज्यादा होगा। पुलिस में कमियें जरूर हैं लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार हुआ है, शांति और सुव्यवस्था सुधारी है: फिर यह सब हुआ तो कैसे हुआ? क्या यह सब जादू से हो गया यदि पुलिस ने नहीं किया तो?

It has not failed to provide security either in Jodhpur Division or in any other Division.

एक बात मैं जरूर कहूंगा जो मेरे मित्र श्री गंगासिंहजी ने कही। उन्होंने एक गंभीर बात कही और एक पर्टिक्युलर केस जो पढियारा का है उसका हवाला दिया। मुझे मालूम है कि यह एक बहुत बडी डकैती थी और राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी डकैती दूसरी नहीं हुई, यह सही है। मगर यह डकैती कब हुई आप याद करिये? संभवत: यह डकैती जनवरी १९५१ में हुई थी और इसके बाद से तो पुलिस बहुत बदल गई। मैं तो कहूंगा कि सन् १९५२ के मार्च माह

[श्री टीकाराम पालीवाल]

से पुलिस का काम तेजी से शुरू हुआ है और डकैतियां कम हुई हैं और मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि जो आलोचना १९५१ में होनी चाहिये थी उनको आप आज करते हैं ?

श्री खेतसिंह—लास्ट इयर बोलने का मौका नहीं आया ।

श्री गंगासिंह—मैंने तो आपको इस केस के कन्डक्ट करने के बारे में कहा है कि किस तरह से यह केस कन्डक्ट किया जा रहा है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इस पर भी आ रहा हूं । क्योंकि यह केस सब जुडिइस (Sub-judice) है इसलिये ज्यादा कहना नहीं चाहता । फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमारी जनता का नैतिक स्तर और साहस जैसा होना चाहिये, नहीं है । डकैतियों के मामलों में डकैतों को पकड़ने में पुलिस को कई कठिनाइयां आती हैं, लोग डाकुओं को शनाख्त करने के लिये नहीं आते और वे आराम से दूसरी जगह पर बैठना चाहते हैं; लेकिन आपने एक गंभीर बात कही कि इसमें पोलिटिक्स चल रही है । उन्होंने इस बात का जिक्र आज तक मेरे सामने कभी नहीं किया । उन्होंने यह बात किसी भी गवर्नमेन्ट के अधिकारी को नहीं कही और सदन में आकर ऐसी बात कही है । यदि वे आकर कोई ऐसी बात बताते तो ज्यादा अच्छा होता । इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की बात कहना गवर्नमेन्ट की पोलिसी को केवल क्रिटीसाइज करने के सिवाय और कोई दूसरी मंशा नहीं । मैं आज भी कहता हूं कि यदि इस प्रकार की कोई बात हो तो वे बतावें, मैं उसको करूंगा । मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चार्ज के बारे में । अभी भी मैं यह कहूंगा कि उनको यहां खड़ा होकर कहना गवर्नमेन्ट की बदनामी और उसकी पोलिसी को बदनाम करने के सिवाय कोई दूसरा अभिप्राय नहीं था । मैं उनसे यह कहूंगा कि उन्हें हाउस के प्रिविलेजेज़ का दुरुपयोग इस तरह से नहीं करना चाहिये ।

अब श्री इब्राहिम ने जो कट मोशन मूव किया है. . . .

श्री कानसिंह—मैंने कुछ. . . . . . .

श्री अध्यक्ष—Have patience.

श्री टीकाराम पालीवाल—उन्होंने अपने मोशन में कहा है .

"To have the excesses of police on the public".

यदि किसी का माल चोरी जाता है और अगर वह नहीं मिलता है तो पुलिस इनएफिसिएन्ट होती है और अगर बरामद करने में किसी को थोड़ी बहुत तंगी करती है तो उसको कहते हैं कि वह एक्सेस है । मैं यह मानता हूं कि कई वक्त सख्ती ज्यादा हो जाती है । मगर मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि जहां कहीं इस प्रकार के पुलिस ऑफिसरों के ज़्यादती के केस सरकार के सामने आते हैं उस समय सरकार पुलिस के कर्मचारियों को भी सजा देने में हिचकती नहीं है, वह सजा देती है ।

इसके बाद श्री श्यामलालजी का कट मोशन है ।

श्री खेतसिंह—मूव नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—Yes, not moved

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके बाद श्री बापनाजी का कट मोशन है जो इस प्रकार है—

"To discuss that the police is full of corruption and it has failed to safeguard the public in general."

मेरा खयाल है कि जब हम बोलने लगते हैं तो शब्दों का प्रयोग बिना प्रोपोर्शन के ही कर देते हैं। "फुल ओफ करप्शन"; जैसे करप्शन के सिवा और कुछ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल करप्शन नहीं है, करप्शन है; परन्तु उसके रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और करप्शन को रोकने के लिये एन्टी करप्शन का महक्मा खोला गया है जो पुलिस के ही नहीं, दूसरे विभागों में भी जो करप्शन है उसके रोकने की कार्यवाहियां कर रहा है और दूसरे लोगों की तरफ से जो करप्शन होता है उसके रोकने की भी कार्यवाहियां की जायेंगी। करप्शन को रोकने की कार्यवाहियां चल रही हैं। इसके लिये धीरे २ बढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि बहुत जोरों से असर हो रहा है।

श्री एच. के. व्यास—आपने फरमाया कि दूसरे करप्शन करते हैं उनको भी रोका जायगा। तो यह दूसरे करप्शन करने वाले कौन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या आपको शंका है ?

श्री एच. के. व्यास—मुझे दिलचस्पी है, न शंका नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह भी कहा गया कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डाके बहुत पड़े। इतिहास का कोई ऐसा समय मालूम नहीं होता कि जब डाके और चोरी बिल्कुल नहीं हुए हों ? पहले दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान में काफी डाके पड़े थे पर उनको कम किया गया और अब बहुत कम हो गये हैं। Normally they are equal to nil वे नहीं के बराबर हैं। भीलवाड़ा में डाके पड़े पर इसके बारे में उन्होंने मंजूर किया है कि डाकू पकड़े गये, माल भी पकड़ा गया; तो इस तरह तो एक प्रकार से उन्होंने पुलिस की सराहना ही की है। इस तरह कहने के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और सदन से निवेदन करूंगा कि इस मांग को जिस रूप में रखा गया है उसी रूप में मंजूर कर लिया जाय।

(विराम)

एक बात श्री कानसिंहजी ने बताई। इसके आंकड़ों के बारे में उसका भी स्पष्टीकरण कर दूं।

भिन्न भिन्न आइटम्स का पूरा योग ३३३८९००० आता है पर आम तोर से सेविंग्स की संभावना देखी है और हर आइटम में जहां सभव हुआ है, जो प्रोबेबल सेविंग्स की हम सभावना करते थे उसको कम कर दिया गया है और इस तरह ७००००० का नेट सेविंग होता है। पर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से ऐसी इन्स्ट्रक्शन्स आई हुई हैं कि बजट में प्रोबेबल सेविंग्स को कम नहीं किया जाय। इसलिये हाउस

[श्री टीकाराम पालीवाल]

के सामने डिमान्डस रखने में हम सेविंग्स को नहीं लेते और सारे एक्सपेन्डिचर की डिमान्ड रखते हैं। प्रोबेबूल सेविंग्स २६८९००० को कट किया, प्रोबेबूल सेविंग्स को घटाने पर नेट टोटल ३०७००००० आता है।

श्री कानसिंह—सेविंग्स कोनसे पेज पर कम करके दिखाये गई हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रोबेबूल सेविंग्स के जो आइटम्स हैं उन्हें देखकर हिसाव लगाया जा सकता है।

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस डिमान्ड को पूरा का पूरा मंजूर किया जाय।

(इसके बाद सदन की स्वीकृति से समस्त कटौती प्रस्ताव १ से ८ संबंधित सदस्यों ने वापिस लिये)

श्री अध्यक्ष—Now the Question is:—

"That a sum not exceeding Rs. 3, 33, 89, 000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of march, 1954 in respect of Grant No. XIV, Major Head 29 police."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही आज सन्ध्या के ४ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

सभा भवन, जयपुर,　　मनसाराम पुरोहित,
दिनांक २६-३-५३.　　सचिव।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०३ का उत्तर देखिये)

Tehsil :—

Hindon ..	1. Middle School, Hindon. 2. Primary School, Suroth.
Gangapur ..	1. Primary School, Gangapur 2. Primary School, Vagirpur.
Sawai Madhopur ..	1. Middle School, Sawai Madhopur. 2. Primary School, Bhagwatgarh. 3. Primary School, Chouthka Barwara.
Toda Bhim ..	1. Primary School, Toda Bhim.
Khandar ..	1. Primary School, Khandar.
Mehwa ..	1. Primary School, Mehwa. 2. Primary School, Sherpur. 3. Primary School, Mandawar. 4. Primary School, Paota.
Bamanwas ..	1. Primary School, Bamanwas.
Nadoti ..	1. Primary School, Nadoti. 2. Primary School, Gudha-Chanderji (closed). 3. Primary School, Kemla.
Malarnachod ..	1. Primary School, Bonli. 2. Primary School, Malarna.
Karoli ..	1. Middle School, Karoli. 2. Primary School, Mandrail. (closed).

परिशिष्ट २

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

९. (८०।ई. एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६.—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान राज्य के निर्माण के पहिले व बाद बिलाड़ा तहसील में कुल कितनी प्राइमरी, मिडिल और हाईस्कूलें सरकारी व प्राईवेट थीं और हैं ?

२. इनमें कितने कितने छात्र पढते हैं ?

३. इनमें से कितनी चालू और कितनी बन्द हैं ? और जो बन्द करदी गई हैं उसका क्या कारण है ?

४. बिलाड़ा तहसील की जन संख्या को देखते हुए क्या इतनी प्राइमरी व मिडिल स्कूलें काफी हैं ?

५. क्या सरकार का इरादा बिलाड़ा तहसील में और स्कूलों को बढ़ाने का है ?

६. अगर है तो किस किस जगह है और नहीं तो क्यों नहीं ?

७. क्या इन स्कूलों में गरीब छात्रों को पढाने के वास्ते छात्रवृत्तियां सरकार की तरफ से मिलती हैं ?

८. अगर छात्रवृत्तियां देते हैं तो किन किन स्कूलों में किस किस कक्षा के कितने विद्यार्थियों को कितने कितने रुपये माहवार व वार्षिक देते हैं ?

९. अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर:—

१. बिलाड़ा तहसील में राजस्थान राज्य के निर्माण से पहले २ मिडिल स्कूल:—(१ सरकारी व १ प्राईवेट:) व १५ प्राईमरी स्कूल: (१४ छात्रों के व १ छात्राओं का) थे। राजस्थान निर्माण के बाद में मिडिल स्कूल ४: (३ सरकारी व १ प्राइवेट) व प्राइमरी स्कूल २४: (२३ छात्रों के व १ छात्राओं का:) होगये। हाईस्कूल न पहले था, न बाद में।

इनकी छात्र संख्या निम्न प्रकार है:—

मिडिल स्कूल

१.	बिलाड़ा	२०८
२.	भावी	२१८
३.	पीपाड सिटी	२०१
४.	भोपगढ	अप्राप्य

प्राइमरी स्कूल्स

१.	वाला	३२	१३.	रतकुरिआ	२२
२.	लाम्बा	२२	१४.	खरिया धाधसरी	११
३.	वड़ा भांतिया	८	१५.	रैया	५१
४.	बोरूंदा	३७	१६.	रनसि गांव	१०९
५.	बिलाड़ा	२०७	१७	सथीन	४०
६.	हेरिअदाना	५६	१८.	कोसाना	२५
७.	खवासिपुरा	२९	१९.	बूरी	२३
८.	घनमगरा	३६	२०.	राजलानी	३२
९.	खांगटा	४४	२१.	उदालियावास	२३
१०.	खरिआ	११९	२२.	खेर जुरला	६२
११.	उछियारा	५६	२३.	माल को सानी	३५
१२.	पिछपाक	४८	२४.	बिलाड़ा	५३

छात्रायें

(२) सब चालू हैं। बन्द कोई नहीं है।

(३) काफी तो नहीं है, किन्तु कम भी नहीं है। अधिक स्कूल खोले जाने के विषय में राजस्थान सरकार की आर्थिक दशा को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा उपयुक्त धन प्राप्त होने पर ऐसे अन्य मामलों के साथ इस तहसील पर भी विचार किया जावेगा।

(४) प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में छात्रवृत्तियां नहीं मिलतीं किन्तु कुल संख्या के १० प्रतिशत छात्रों की फीस माफ करदी जाती है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

१०. (१२०।एल.एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १०९.—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई मानसिंह अस्पताल के पी.एम.ओ., डॉ० एस० के० मेनन, की उम्र क्या है ?

(२) इनकी कितनी वर्ष पुरानी राज्य सर्विस है ?

(३) इनका वेतन क्या है ?

(४) वेतन के अलावा मंहगाई भत्ता, मकान किराया या अन्य कोई अलाउन्स मिलता है तो सब मिलाकर कितना मासिक मिलता है ?

(५) स्वास्थ्य विभाग में आमतौर पर डॉक्टरों को किस उम्र में और कितनी सर्विस के बाद रिटायर किया जाता है ?

(६) क्या डॉक्टर मेनन की उम्र या कार्यकाल रिटायरमेन्ट के काबिल हो चुका है ?

(७) अगर हो चुका है तो सरकार उनको रिटायर करने में देर क्यों कर रही है ?

(८) इस देर का कारण क्या है ?

(९) डॉक्टर मेनन को क्या सरकार अधिक दिन तक सर्विस में बनाये रखना चाहती है ?

(१०) बनाये रखने की क्या यह वजह है कि इस पद के लिय कोई उपयुक्त डॉक्टर मिल नहीं रहा है ?

(११) अगर उपयुक्त डॉक्टर मिल रहे हैं या है तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले इस पद के अधिकारी डॉक्टरों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है।

(१२) ऐसे उम्मीदवार डॉक्टरों के वेतन, भत्ते और मेनन के वेतन, भत्तों की रकम में क्या अन्तर है ?

उत्तर

(१) डॉक्टर एस. के. मेनन, पी.एम.ओ. सवाई मानसिंह अस्पताल की उम्र २०-४-५३ को ५५ साल की होगी ।

(२) डॉक्टर एस.के. मेनन ने राज्य सेवा १२-९-४२ को शुरू की थी इस लिए इनका सेवा काल १० साल ७ माह ९ दिन हुआ है।

(३) इनका वेतन १८००) रु० माहवार है।

(४) वेतन के अलावा इनको ३००) रु० माहवार स्पेशल वेतन के मिलते हैं। सब मिलाकर इनका वेतन २१००) रु० मासिक होता है। इनकी नियुक्ति की शर्त के अनुसार मकान बिना किराया मिलता है।

(५) सरकारी नीति के अनुसार हर व्यक्ति को अलावा क्लास IV के ५५ साल पर रिटायर किया जाता है ।

(६) डॉक्टर एस. के. मेनन २०-४-५३ को रिटायरमेन्ट की आयु पर पहुंचते हैं

(७) डॉक्टर मेनन को रिटायर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(८) देरी नहीं हुई है ।

(९) यह प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(१०) चूंकि प्रश्न ९ अभी सरकार के विचाराधीन है इस लिए प्रश्न १०, ११ एवं १२ उपस्थित नहीं होते ।

राजस्थान विधान सभा

बाइसवीं बैठक, दिनांक २६ मार्च, १९५३

सदन का कार्य ४ बज कर ५ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अभियाचना सं० २७—अकाल

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That a sum not exceeding Rs. 67,89,000 be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XXVII, Major Head 54—Famine."

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री रघुवीरसिंह (१२१)—Sir, my cut motion is as under:—

"That the Demand for Grant No. XXVII be reduced by Rs. 100/- (to discuss unsystematic way of giving relief)".

अध्यक्ष महोदय, इस फेमिन के विषय में जो कट मोशन मैंने प्रस्तुत किया है उससे मेरा आशय यह नहीं है कि यह रकम खर्च ही न की जाय। फेमिन के ऊपर काफी तादाद में रकम खर्च की जाती है; जैसे इस साल ६७.८९,०००) रुपये खर्च की जानी हैं, गत वर्ष याने ५२-५३ में १३,६८,०००) रुपये खर्च किये गये थे और ५१-५२ में १४,४१,०००) रुपये खर्च किये गये थे। मेरे कहने का खास तात्पर्य यह है कि जो रकम खर्च की जाय वह तरीके से और नियमानुसार खर्च की जानी चाहिये। राजस्थान में इसके लिये ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं है. इसलिये हेपहेजार्डली रकम खर्च कर दी जाती है। इससे गवर्नमेन्ट को नुकसान होता है और बहुत सी जगहों पर जितनी राहत मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती। इस बारे में खास बात यह है कि हमारे यहां फेमिन कोड होना लाजमी है, जिसके नियमों की तहत काम किया जावे। इस कोड की तहत पहले से प्रोग्राम तैयार करके हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील के लिये प्रोग्राम तैयार रहता है और उसके मुताबिक रकम खर्च करना उचित है। हर साल यह प्रोग्राम रिवाइज होना चाहिये और उसमें परिवर्तन होता रहना चाहिये। जहां फेमिन या स्केअरसिटी का मौका आवे तो यह उचित है कि पहले वहां टेस्ट वर्क किया जाना चाहिये और उससे जब यह साबित हो जाके कि दर असल में स्केअरसिटि है तो उस हिसाब से वर्क्स खोले जाने चाहिये।

[श्री रघुवीरसिंह]
इस लिहाज से मैंने यह कट मोशन मूव किया है। यदि मन्त्रीजी इसके अनुसार काम करने को तैयार है तो मैं अपना कट मोशन वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री सन्तोषसिंह—अध्यक्ष महोदय, फेमिन की जो डिमान्ड पेश की है उस पर मुझे इतना ही कहना है कि फेमिन कई तरह से हुआ करते हैं। बरसात की कमी से फेमिन होता है, बरसात बहुत बरसने से भी फेमिन हो जाता है और फसल को ज्यादा सर्दी लगने से या डाव से भी फसल कम होती है और कभी कभी टिड्डी के खा जाने से भी दुष्काल पड़ जाता है। इस तरह से फेमिन होने के कई रीज़न्स होते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्नों के दौरान में माननीय मन्त्री जी से यह पूछा गया कि बिलाड़ा तहसील में टिड्डियों ने फसल बरबाद कर दी थी और उसकी वजह से लोगों के खाने के लिये अनाज नहीं मिला तो उसका उत्तर मुझको मिला कि क्या टिड्डियों के खाने से भी कहीं अकाल पड़ता है? माननीय अध्यक्ष जी, टिड्डियों के खाने से जब अकाल नहीं पड़ा करता है तो सरकार करोड़ों रुपये टिड्डियों को मारने के लिये क्यों खर्च करती है। मंत्रीजी का यदि यह ध्यान है तो लाखों रुपये जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट खर्च करती है और शायद राजस्थान गवर्नमेन्ट भी कुछ खर्च करती है तो यह सारा खर्च नही होना चाहियें और यदि टिड्डियों के खाने से काल पड़ सकता है तो उनसे पीडित लोगों को भी बराबर सहायता मिलनी चाहिये।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है:

"That the Demand for Grant No. XXVII be reduced by Rs. 100/- (to discuss inadequate provision of funds, partiality in appointing Committees, unfair selection of areas on party basis and lack of proper arrangements)".

अध्यक्ष महोदय यह फेमिन का विषय जो हमारे सामने है उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने थोड़ा बहुत कहा है। मैं उन इलाकों का जिक्र करूंगा जो अक्सर फेमिन-ग्रस्त रहते हैं और जहां के लोगों की हालत ऐसी है कि अमूमन अच्छे जमाने में भी उनको पूरा अनाज खाने को नहीं मिलता और फेमिन के वक्त तो उनकी हालत और भी बुरी हो जाती है। साल हाल में सरकार की तरफ से जो फेमिन की रकम बीकानेर जिले में दी गई है वह किसी भी प्रकार इक्विटी और जस्टिस पर आधारित नहीं समझी जा सकती। अभी मेरे पास बीकानेर से एक चिट्ठी आई है। यदि मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनको मुलाहिजा करा दूंगा। गत महीने में अर्थात् माह फरवरी में तहसील कोलायत, जो जिला बीकानेर में है, में फेमिन के सिलसिले में २ हजार रुपये दिये गये थे। इन दो हजार रुपयों का दिया जाना एक पूरी तहसील के लिये कहां तक वाजिब समझा जा सकता है; यह सोचने की बात है। इस पर सदन ही स्वयं विचारे। इसी तरह दूसरी तहसीलों में भी किसी में दो हजार तो किसी में ज्यादा से ज्यादा तीन अथवा चार हजार रुपया दिया गया होगा। बीकानेर जिले में चार तहसील में तो कुल मिला कर, उस जिले में, आठ-दस हजार रुपया एक पूरे माह में लगाना मेरे खयाल से उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यह अकाल पीड़ितों की सहायता निष्पक्ष रूप से नहीं है बल्कि सौतेला व्यवहार है।

[श्री कानसिंह]

और इसके साथ साथ जब से वहां फेमिन डिक्लेयर किया गया है वहां पर न तो टेस्ट वर्क्स खोले गये और न गरीबों के लिये नाज सप्लाई के डिपो खोले गये। वहां पर सरकार की तरफ से तो ऐसा इन्तजाम रहा कि जैसे सरकार का उस इलाके से कोई सम्बन्ध ही नहीं हो, कोई ताल्लुक ही न हो। उस इलाके को एक प्रकार से राजस्थान का अंग ही नहीं समझा गया। इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पब्लिक की राहत के हेतु, भूख से बचाने के लिये उस इलाके को राजस्थान का अंग समझा जाय। महज जन-हित, जन-विकास व जन-कल्याण के नारों से वहां कोई राहत नहीं पहुंचती। जिस प्रकार किसी आदमी के दो माताएं होती हैं और दूसरी को सौतेली मां कहा जाता है उसी प्रकार बीकानेर जिले की जनता के लिये सरकार का सौतेला व्यवहार है। क्या हम सब वहां वाले यही समझें कि बीकानेर के साथ जो सुलूक हो रहा है वह सौतेली मां का सा हो रहा है? हमारी रियासत का जब एकीकरण हुआ और जो समझौता-पत्र बना उसमें यह साफ है कि जब चाहे कोई भी रियासत वापिस निकल सकती है। यदि हमें आप राजस्थान में रखना चाहते हैं तो बराए महरबानी हमारे साथ अच्छा सुलूक रखा जाय और ठीक इन्तजाम किया जाय; नहीं तो हमें जवाब दे दो कि हम तुम्हें शामिल रखना नहीं चाहते, हम अपना इन्तजाम करेंगे। आप से अच्छा शासन पहले भी किया है और अब भी कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा ठीक तरह से इन्तजाम किया जावेगा, महज प्रचार द्वारा ही राहत नहीं पहुंचाई जावेगी।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है:

"to discuss inadequacy of famine relief in certain areas".

मैं यह आक्षेप तो करने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारे साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया गया है लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हमको जितनी सहायता मिलनी चाहिये थी वह न मिली। जो फेमिन रिलीफ अब राजस्थान में दिया जा रहा है उस विषय में जहां तक मेरा ध्यान है यही कसौटी अपनाई गई है कि या तो अकाल है अतिवृष्टि के कारण, या अकाल है अनावृष्टि के कारण। लेकिन मेरा यह ध्यान है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण है एक और हमारे यहां दुर्भिक्ष लाने में, केलेमिटी लाने में, दूसरा कारण है तो टिड्डियों का आक्रमण है। टिड्डियों के कारण जितना नुकसान हमारे उधर हुआ उतना नुकसान तो अतिवृष्टि से भी नहीं होता और अनावृष्टि से भी नहीं होता। बने बनाए खेत खराब हो गये। इसके अतिरिक्त जहां तक अतिवृष्टि का ताल्लुक है वहां तक मैं यह कहूंगा कि इससे धान तो खराब हो जाता है किन्तु घास जरूर हो जाता है, और पानी भी बहुतायत से हो जाता है। जहां अनावृष्टि होती है वहां पानी कम हो जाता है और घास की कमी के साथ साथ अन्न की भी कमी हो जाती है। मैं जहां से आया हूँ, बाढमेर, शेरगढ, और बीकानेर का वह हिस्सा जिसको भूरट डेजर्ट कहा जाता है उस सारे हिस्से में वृष्टि नहीं हुई और यदि कहीं हुई भी या अन्न पैदा हुआ तो उसको टिड्डियां खा गई। उस सारे के सारे इलाके में दाने का काम नहीं। जो सहायता राजस्थान में दी गई उसको कम्पेरेटिवली देखें तो हमें जितनी सहायता मिलनी चाहिये थी उतनी सहायता नहीं मिली। मैं माननीय मन्त्रीजी को बधाई दूंगा कि इस बार उन्होंने काफी रुपया रखा है किन्तु इन रुपयों को रखने से कोई लाभ नहीं होने का है जब तक कि आप इन रुपयों को खर्च करने की नीयत नहीं रखते। एक प्रश्न के

[श्री तनसिंह]

उत्तर में बताया था कि ६५ हजार रुपया बाढमेर और शिव तहसील के लिये नियत हुआ और उसमें से ४४ हजार रुपया खर्च हुआ है और यह भी जनवरी के महीने में। पहले हमें बताया गया था कि जनवरी से पहले दिसम्बर सन् १९५२ तक जो खर्च हुआ वह काफी नहीं था, विशेष तो इन तीनों महीनों में ही खर्च किया गया है। राहत की उस समय जरूरत रहती है जब कि पानी कम होता है, खेती का समय नहीं रहता और आम तौर पर धान न मिलने के कारण लोग गांव के गांव छोड कर चले जाते हैं। गांव छोड़ कर चले जायं और फिर सहायता पहुँचाई जाय तो वह सहायता किस काम की ? वह सहायता पहुँच भी जाय तो भी कोई लाभ नहीं होता है ।

दूसरी बात जिसकी ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि जितनी सहायता फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट की ओर से दी जाती है उस संबंध में दो बातों की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाय। कितने लोगों को इन कार्यों से मजदूरी मिल सकती है, यही देखा जाता है। किन्तु यह नहीं देखा जाता है कि इस काम के करने से स्थायी रूप से कितनी सहायता मिल सकती है। हमारे उधर नाडियों के खुदवाने के लिए काफी रुपया दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि सारी नाडियां खुदवाना बेकार है किन्तु मेरी यह धारणा है कि जिस नाडी में बारह महीने पानी रह सकता है उसको खुदवाना तो ठीक है किन्तु जिन नाडियों में एक एक दो दो महीने पानी रहता है उनको एक एक दो दो हजार रुपया लगाकर खुदवाना बेकार है, यह रुपया व्यर्थ जाता है। इससे तो कुओं को खुदवाया जाय या वे गहरे करवाये जायें तो ये उस इलाके को काफी फायदेबन्द हो सकते हैं। इससे पानी की भी दिक्कत मिट सकती है। यदि यह सोचा जाता है कि हमको तो मजदूरी देने के लिये ही नाडियां खुदवाना है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इन नाडियों के खुदवाने के बजाय तो आप सड़कें बनवाइये क्योंकि हमारे यहां आवागमन के लिये सड़कें नहीं हैं, मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन्स (means of communications) नहीं हैं: आस पास के इलाके के लोग इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वह एक ऐसा इलाका है कि साधारणतया कोई व्यक्ति जाने की इच्छा नहीं रखता है और यदि जाते हैं तो दो महिने बाद ही आने का प्रयत्न करते हैं, साधारण सा शिक्षक वहां जाने की इच्छा नहीं करता है। क्या आप यह सोचते हैं कि कलेक्टर्स, सब-डिविजनल ऑफिसर्स और रेवेन्यू अधिकारी वहां जाकर मुस्तकिल तौर पर टिक सकते हैं ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे लोग अस्थायी रूप से वहां आते हैं और उनकी धारणायें भी अस्थायी होती हैं, जो कुछ उनसे बन पड़ता है वे अपनी राय लिखकर आपको भेज देते हैं और उनकी राय पर ही अमल किया जाता है। यह आप नहीं जान सकते हैं कि वहां की वास्तविक हालत क्या है ? मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस इलाके का दौरा किया, किन्तु शेरगढ़ को छोड कर वे आगे नहीं गए। यदि वे आगे जाते तो उनको मालूम होता कि वहां की हालत क्या है ? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सुआप के इलाके में धान की कमी थी, बहुत से लोग तो अभी भी भुरट खाकर जिन्दा रह रहे हैं, गांव के गांव उजाड़ हो गए हैं। जब उन लोगों को आवश्यकता थी तब तो मदद नहीं दी जा सकी। लाखों रुपया रखा ही रहा। कोई काम की चीज नहीं जब समय के बाद इमदाद पहुंचे ?

[श्री तनसिंह]

इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगली बार जो सहायता पहुंचाई जावे वह समय पर और आबादी के लिहाज से भी पूरी पहुंचाई जावे। एक बात मंत्रीजी ने यह बतलाई कि सिर्फ इलाके को ही देखकर कोई सहायता नहीं दी जाती है, बल्कि आबादी को भी देखा जाता है। इसमें मेरा यह निवेदन है कि अगर आबादी को ही देखा जाय तो आबादी के साथ रूरल और अरबन आबादी का भी ध्यान रखना चाहिये क्योंकि अकाल का असर ज्यादातर र्‌युरल एरिया पर पड़ता है।

यह भी मैं मान लेता हूं कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको ज्यादा सहायता दी गई उनकी आबादी हमारे इधर के हल्कों से ज्यादा है पर फिर भी यदि रूरल और अरबन एरियाज़ की दोनों की तुलना करेंगे तो यकीन होगा कि ज्यादा फ़रक उन दोनों की आबादी में नहीं है। हो सकता है कि दुगुना और ढाई गुना हो। दुगुना और ढाई गुना अन्तर सहायता में रहता हो तब तक तो कोई बात नहीं परन्तु यदि अन्तर इससे अधिक न भी हो फिर भी दो डिस्ट्रिक्ट्स को सहायता न देना बुरा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बात को भी ध्यान में रक्खा जावेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ में अपना कट मोशन उपस्थित करता हूं।

श्री भीमसिंह—यह कट मोशन (to discuss inadequacy and untimely help given by the Government) जो मैंने रक्खा है वह दो चीजों को मद्दे नजर रखते हुए रक्खा है। एक चीज तो मैंने यह देखी है अनटाइमली यह अकाल सहायता की रकम दी जाती है, समय पर सहायता नहीं दी जाती और दूसरी चीज मैंने यह देखी है कि जिस कदर यह रकम खर्च की जाती है उससे अकाल के काम में कोई राहत लोगों को नहीं मिलती। इन दो चीजों को मद्दे नजर रखते हुए इन खामियों को दूर करने के लिए और इस अव्यवस्था को नजर में लाने के लिये यह कट मोशन मैंने रक्खा है।

जो रकम खर्च की जाती है उसका जहां जितना उपयोग होना चाहिये उतना उपयोग नहीं होकर फिजूल खर्च होता है और इधर उधर होकर वास्तव में जिस मद में जितना खर्च होना चाहिये उसमें कमी पड़ जाती है। इस दृष्टि से मैंने इसे इनएडिक्वेट (Inadequate) समझा है।

टाइम पर खर्च नहीं करने के लिये जो बात मैंने कही उस के बारे में निवेदन करता हूँ। राजस्थान में अक्सर बरसात न होने से ही अकाल पड़ते हैं और कहीं कहीं करीब करीब आधी बरसात होने से पड़ते हैं। ऐसी हालत में करीब अक्टूबर के महीने में अकाल के आसार नजर आ जाते हैं और करीब उसी वक्त यह महसूस कर लिया जाता है कि किन किन हल्कों में अकाल होगा और अक्टूबर तक तो ऐसी हालत हो जाती है कि मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर के इलाकों में, जहां बरसात का पानी ही इक्ट्ठा करके अपना और मवेशी का पानी का काम चलाते हैं, गरमियों तक रहना मुश्किल हो जाता है। पीने के पानी की भी समस्या बन जाती है। अक्टूबर और नवम्बर के महीने में ही वे अपना इलाका छोड़ कर चल देते हैं: गंगा और जमुना के किनारे की तरफ और कुछ मालवे के इलाके की तरफ।

[श्री भीमसिंह]

इस साल और गई साल भी देखा गया कि दिसम्बर तक तो कलेक्टर्स और कमिश्नरोंकी रिपोर्ट यहां पहुंचती हैं कि वे कहां कहां अकाल महसूस करते हैं और इसीके माफिक फिर अलग अलग विभागों के लिए मांगें जनवरी और फरवरी तक मन्जूर होती है और वह रकम मार्च में जाकर फिर खर्च होती है जब कि उस इलाके के अधिकतर आदमी मालवे की तरफ और यमुना-गंगा के किनारों पर पहुंच जाते हैं। उस समय राजस्थान सरकार और उसके महकमे के लाग उस रकम का खर्च करने के लिये उस इलाके में पहुंचते हैं जब कि वहां कोई आदमी नहीं होता, वीरान होता है।

इसको फिर हम दुरुपयोग नहीं तो सदुपयोग कैसे कहें ? पर फिर भी होता क्या है ? रकम तो खर्च की ही जानी है। ऐसी हालत में अपनी कारगुजारियां दिखाने के लिये कलेक्टर क्या करता है कि जो भी बचे-खुचे आदमी वहां मिलते हैं उन्हीं के नाम पर खर्च कर डालता है। ऐसी हालत में रकम का वास्तव में दुरुपयोग ही होता है। इस वास्ते मैं अर्ज करता हूं कि सरकारी अधिकारियों की अयोग्यता और सुस्ती के कारण इस रकम का दुरुपयोग होता है।

अब दूसरी चीज, इनएडीक्वेसी (Inadequacy) क्यों कर है, इस पर अर्ज करता हूं।

जैसे आपने इस रिलीफ की मद में ३० लाख और १५ हजार रुपये रखें हैं। इन तीस लाख और १५ हजार में से १६ लाख १५ हजार तो पी. डब्ल्यू. डी. के जरिये और १३ लाख ८५ हजार रेवेन्यु विभाग के जरिये खर्च करने को रक्खा है।

मैं समझता हूं कि यह पी. डब्ल्यू. डी. की रकम तो ऐसी है जिसका वाकई कुछ उपयोग होगा क्योंकि फेमिन के टाइम में जो सरकार रकम खर्च करती है वह दोनों दृष्टि से ठीक है। पहला तो यह कि रिलीफ भी मिले और इसके साथ साथ उस रकम से ऐसा कोई पायेदार काम हो जो आगे जाकर सरकार को भी लाभदायक हो और जनता का स्थायी लाभ हो। मोटा भाग इस रकम का इसलिये खर्च किया जाता है।

दूसरा हिस्सा उन आदमियों के लिये खर्च किया जाता है जो आदमी गंगा किनारे के या मालवा की तरफ जाने वाले होते हैं, रास्ते में उनके पानी-चारे और रहने-ठहरने का प्रबन्ध इससे किया जाता है।

बाकी की रकम रेवेन्यु विभाग द्वारा रेवेन्यु के काम के लिये अक्सर खर्च की जाती है।

गई साल यह रकम रखी गई थी रेवेन्यु के जरिये खर्च करने के लिये। उसको इस बुरी तरह से बरबाद किया गया कि इसी कारण पी. डब्ल्यू. डी. के जरिये पायबन्द काम जो होना था उसमें कमी रही।

इसके लिये अर्ज करने जा रहा हूं कि किस तरह से यह रकम बरबाद की गई।

दो-तीन मद में बांटी गई यह रकम रेवेन्यु द्वारा कुछ गांवों में जोहड़ वगैरह खोदे जाने के लिये। जोहड़ खोदे गये और वे रेत से भर गये। सारी मेहनत बेकार गई और पैसा भी बरबाद हुआ। खुदाएं,

[श्री भीमसिंह]

तब भी वैसी ही बातें और न खुदावें तब भी वैसी ही बात। पानी नहीं बरसा तो वह भरेगा नहीं क्योंकि अकाल पानी नहीं बरसने से ही तो हुआ है। जो खड्डा ६ फीट गहरा है उसे खोद कर भले ही आप ६०-७० या बीस-पचीस फीट भी कर लीजिये, पर पानी उसमें आवेगा नहीं। हर सूरत में वह तो गढा का गढा ही रहा। अगली साल बरसात से भरने की उम्मीद में अगर हों तो, जब तक बरसात आवेगी तब तक वह रेत से भर कर फिर वही सूरत में रह जावेगा। हमारे इधर का इलाका काफी रेतीला इलाका है। तो इस तरह यह रकम बरबाद करने में नहीं रही तो किस काम में आई।

सच्चाई है इसमें भी। होता क्या है कि इन जोड़ों के लिये भी रकम उन्हीं गांवों में और उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कांग्रेस के लोग हैं और जिन्होंने उनको वोट दिये हैं।

मैं झुन्झनू जिले की मिसाल रक्खूंगा। इसको आप अगर मुलाहिजा करेंगे तो मालूम होगा कि जो रकम इस अकाल सेवा समिति के जरिये गये समय दी गई वह उन्हीं को दी गई है जहां से, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के आदमी रिटर्न हुए हैं। किसान सभा या रामराज्य के आदमी जहां से आये उस हल्के में एक पाई भी नहीं दी गई। इसके लिये कुछ गांवों की लिस्ट मुलाहिजा कराऊंगा।

अकाल सेवा समिति भी केवल एक पार्टी के लोगों की बना दी गई। इसमें उन्हीं लोगों को रक्खा गया जो कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले थे। इन्होंने इन गांवों में मदद देने का नाम भी नहीं लिया, उसकी एक सूची मैं आपके सामने पेश करूं।

रामपुरा, हरिपुरा, खारिया शिरियासर, शेखसर, मोरोदा ये पांच छः ऐसे गांव थे जो अकाल ग्रस्त थे। इन गांवों की हालत देख कर कलेक्टर ने भी यह आश्वासन दिया कि यहां के जोड़ों की मरम्मत की जावेगी और इसका खर्चा सरकार देगी। गांव वालों ने इस आश्वासन पर जोड़े खुदवाये। पर बाद में कलेक्टर महोदय के कानों में यह बात डाली गई कि यह किसान सभा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इनको जोड़ों की मरम्मत के रुपये भी नहीं दिये गये। शेखसर को टाला गया क्योंकि यहां ५०० वोटों में से ३३ वोट ही कांग्रेस को मिले थे। ऐसी हालत में शेखसर को टालने की बात होती ही। जब पैसा नहीं मिला तो करीब हजार पन्द्रह सौ काश्तकारों ने झूंझनू जिले की कचहरी के सामने हल्ला मचाया। तब इनको बाद में कुछ पैसा दिया गया। इस तरह से यह देखने की बात है कि यह रुपया किस धांधली से दिया गया।

दूसरा है हरिपुरा, जो सरहद मरादास के अन्दर है। उसमें एक चौधरी गुगनसिंह है उसको ५००) रुपया अकाल सेवा समिति की तरफ से कुआ खोदने को दिया गया। उस रुपये में से एक पाई भी कुआ खोदने के काम में नहीं लिया गया। यह रुपया दिया गया था झूंझनू अकाल सेवा समिति की ओर से। वहीं का एक व्यक्ति चौधरी लक्ष्मण सिंह कोशिश करके चूरु अकालससमिति की ओर से ५००) रुपया लाया। वहां कुए का काम हुआ ; लक्ष्मण सिंह जो रुपया लाया उससे। इसके बाद में गांव वालों ने उस रुपये के लिये एजिटेशन (agitation) किया, कलेक्टर को रिपोर्ट भी की ; पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां के किसान सभा के नेता हैं चौधरी घासीराम जी। उन्होंने

[श्री भीमसिंह]
काफी प्रयत्न किया, पर एक पाई नहीं दी गई उन गांव वालों को। गुगनसिंह से कोई हिसाब नहीं भी लिया गया।

इसी माफिक दूसरी मिसाल अर्ज करूंगा झुंझुनूं के पास एक गांव है कालेरा का बासकी। उसकी आबादी है २००-२५० आदमियों की। उसी के पास लूणा करके एक गांव है जिसकी आबादी है ६०० आदमियों की। अकाल दोनों जगहों पर था। आसपास में भी करीब पांच-छैः गांवों में अकाल था। सब गांव वालों ने कहा कि अकाल सेवासमिति से कि हमें मदद मिलनी चाहिये। वहां सिर्फ बास कालेरा को अकाल समिति ने मदद की क्योंकि उसकी २००-२५० की आबादी होते हुए भी कांग्रेस को उन्होंने वोट दिये थे और लूणा गांव में ६०० आदमियों की आबादी होते हुए भी ज्यादा वोट नहीं दिये थे। उस गांव को २ हजार रुपये स्कूल बनाने के लिये दिये और २ हजार ही कुए बनाने के लिये दिये। एक ही गांव में जिसकी आबादी २००-२५० से अधिक नहीं उसमें ४ हजार खर्च कर दिये। पर लूणा में ६०० की आबादी होते हुए भी एक पाई भी नहीं दी गई। इस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ।

इसका परिणाम यह हुआ कि जो पैसा सड़कों वगैरह में खर्च किया गया होता तो उससे कुछ लाभ भी होता। फेमीन के समय सरकार इसीलिये पैसा खर्च भी करती है कि लोगों को धन्धा मिल जावे और इस तरह से खाने पीने की परेशानी से वे बच सकें और उधर सरकार का सड़कों आदि के बनाने से स्थायी लाभ हो जावे। इस तरह से अगर खर्च किया जाता तो जिनको जरूरत होती उनको काम मिलता और राहत मिलती।

मंडावा के पास एक गांव है मीठवास। उस गांव में अकाल के नाम पर कुछ रुपया बांटा गया। उसका हुआ क्या ? वहां पर जो कुछ लोग कांग्रेस को वोट देने वाले थे उनको रकम मिल गई।

ऐसे गांव भी हैं जहां हरिजनों को, गरीब काश्तकारों को एक पाई भी नहीं दी गई। जब उन लोगों ने कहा कि यह रकम तो सारे गांव के लिये दी गई है ; इसलिये नहीं कि आप अपने घर में कुआ खुदवा लें तो उसके लिये कहा गया कि आपने तो रामराज्य को वोट दिये, यह रुपया रामराज्य सरकार ने थोड़े ही दिया है यह तो कांग्रेस की सरकार ने, हमारी सरकार ने दिया है ; हमारी रकम है तुम्हारे बाप की नहीं। जब वे लोग कलेक्टर के पास गये, अपना रोना रोया। लेकिन वहां से भी उनको निराश लौटना पड़ा। इन चीजों को मिनिस्टर महोदय के ध्यान में लाने के लिये यह कट मोशन रखा था।

श्री **मोहनलाल भटनागर**—Mr, Speaker Sir, I presume that the Minister concerned is going to give a satisfactory reply to my cut motion. Hence I do not want to move my cut motion.

श्री **मोतीचन्द**—My Cut motion is "That the Demand for Grant No. XXVII be reduced by Re. 1/- (to discuss the question of famine in Rajasthan)."

[श्री मोतीचंद खजांची]

माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अकाल सम्बन्धी कार्यों के लिए जो राशी रक्खी गई है वह उचित रूप से व्यय नहीं हो रही है। सन् ५२–५३ में करोब १ करोड ६ लाख ३९ हजार रुपया अकाल निवारण कार्य में खर्च किया गया था लेकिन जिन इलाकों में इस राशि की आवश्यकता थी, जहां पर अकाल ने, अत्यन्त भयंकर रूप से फैलकर लोगों को ग्रसित कर लिया उन इलाकों पर सरकार की कृपा दृष्टि कम रही। और दूसरे इलाकों में जहां अकाल सूक्ष्म रूप से था औरजिस जगह संबन्धित अधिकारियों के कुछ संबन्धी विशेष रूप से थे उन इलाकों पर ज्यादा व्यय किया गया। बीकानेर जिले में लगातार तीन वर्षों से अकाल पड़ता आ रहा है और वह भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वहां की जनता और जानवरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसी हालत में जो कुछ भी वहां व्यय किया जा रहा है वह बहुत ही अल्प है। वहां की जनसंख्या करीब पांच लाख है और उसके आसपास की जनता जो अकाल से पीड़ित है, इतनी थोडी सी रकम से उनका किस प्रकार उद्धार किया जा सकता है, यह एक अत्यन्त सोचनीय विषय है। समय पर इस कार्य को नहीं किया गया और इस कार्य को ठीक ढंग से चलाने की भी कोई कोशिश नहीं की गई। इस राशि में से बहुत सारी रकम पी. डब्लू. डी. की एजेन्सीज की मार्फत सड़कों आदि के निर्माण के लिए खर्च होती है। सडकें आदि बनाने का काम शुरू भी किया गया किन्तु यह काम इतनी देरी से शुरू किया गया और इतनी कम राशि रक्खी गई कि वहां की जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब तक बीकानेर जिले को सिर्फ ६-७ लाख रुपये के आसपास रकम मिली है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि कम से कम वन-फोर्थ तो अवश्य मिलनी चाहिये। जो इलाका इतना बदकिस्मत है कि वहां की जनता को ३०० फीट गहरे कुओं से पानी मिलता है और कुओं के अभाव में जल को एकत्रित करके लोग अपना काम चलाते हैं, उस इलाके की जनता के लिये इस प्रकार ध्यान न देना सरकार के लिये उचित कार्य नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार हनुमानगढ़ तहसील जिसमें करीब १६० गांव हैं वहां पर सिर्फ २५ हजार रुपया व्यय किया गया; जहां दो वर्ष से लगातार अकाल पड़ता चला आया है।

सरकार ने मिस्लेनियस की मद में जो १८ लाख ५ हजार रुपया रखा था उसमें से वाटर वर्क्स के लिये १० लाख ६८ हजार रुपया व्यय किया गया। इसके लिये बीकानेर के लिये बहुत न्यूनतम राशि रक्खी गई। इस प्रकार थोड़ी राशि रख कर वहां की जनता के लिये बड़ी भयंकर स्थिति पैदा कर दी गई है। मेरा कट मोशन रखने का मतलब यही था कि माननीय मन्त्री महोदय भविष्य में इस इलाके की तरफ उदार दृष्टि रखेंगे और उपयुक्त और न्यायपूर्ण कदम उठायेंगे।

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker Sir, I beg to move, "That the Demand for Grant No. XXVII be reduced by Re. 1/- (to discuss inadequacy of famine relief, Sectarian and partisan appointment of famine Committee".

माननीय अध्यक्ष, अकाल के सिलसिले में जो प्रस्ताव रखा गया है उससे मैं इस सदन को, इस सरकार के मन्त्रियों को यह बतलाना चाहता हूं कि अकाल के प्रश्न पर सरकार की लगातार

[श्री एच. के. व्यास]

बहुत इनएडीक्वेट (Inadequate) नीति रही है । पिछले अक्टूबर में जब संदन की बैठक हो रही थी उस समय जब इस प्रश्न पर बहस हुई तब मन्त्री महोदय न एलान किया कि परिस्थिति बहुत चिन्ताजनक नहीं है और कहा कि बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने बातें रखी जा रही हैं। इसके बाद जब हालत छुपाये नहीं छुपी तब अक्टूबर के अन्त में एक बहुत हल्का सा एलान किया गया कि कुछ कुछ क्षेत्रों में हालत चिन्ताजनक है। और इन पिछले तीन चार महीनों में एक के बाद एक बात का एलान करते करते सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि राजस्थान के दो डिवीजन काफी बड़ी तादाद में तथा तीसरा क्षेत्र कुछ हद तक अभावग्रस्त क्षेत्र हैं । आम तौर पर बातचीत करते समय हम अकाल का जिक्र करते हैं लेकिन सरकार के अधिकृत एलानों की डिक्शनेरी में "अकाल" शब्द का इस्तेमाल होना कुछ दिनों से वर्जित हो गया है। 'अभावग्रस्त' क्षेत्र नाम का एक नया शब्द इजाद किया गया है, महज इसलिये कि जितनी जिम्मेदारी सरकार को इस 'अकाल' शब्दको महसूस करके उठानी चाहिये वह उस जिम्मेदारी से अपने आपको बचाने के लिये यह "अभाव ग्रस्त क्षेत्र" का नया शब्द क्वाइन किया गया है । हमें अखबारों के बयानों से ओर लोगों से प्राप्त सूचना से साफ यह मालूम हो रहा है कि आज करीब २० लाख की आबादी इस अकाल से कुछ न कुछ हद तक कम या ज्यादा पीड़ित है और इस २० लाख की आबादी के इस बड़े भारी अंग के लिये जो अकाल सहायता का न्तजाम किया जा रहा है वह इतना ना काफी है कि जा रकम उसके लिये मन्जूर की जा रही ह वह उस अकाल के मुकाबले में कुछ नहीं के बरावर है। केवल उस रकम की ओर आंख उठाने भर से पता चलेगा कि कितनी ही ठीक तरह से खर्च करें और समय पर खर्च करें ता भी जिस भंयकर परिस्थिति का उन इलाके के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उन्हें राहत मिल नहीं सकती।

पहली मेरी शिकायत यह है कि आज भी सरकार अपने जिम्मेदारी से बचने का रुख अपना रही है। जितनी भंयकर परिस्थिति उन इलाकों के अन्दर हा गई है उसको समय पर सम्हालकर अपने काम का सबूत हमारे सामने पेश नहीं करती है।

दूसरी बात जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा वह यह कि जो कोई भी कार्यवाही मद में खर्च करने के सिलसिले में की गई है वह कायवाही इस ढंग से की गई है कि जिससे राहत मिलना तो दूर रहा, कई कई जगह तो शुरू शुरू में कन्फ्यजन (Confusion) फैला। मैं बीकानेर और जीधपुर के बारे में निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि चाहे तारानगर से शुरू होने वाली सड़क का मामला हो, चाहे नोहर से चलने वाली सडक का मामला हो, जहां जहां अकाल के काय खोले गये ह वह जनवरी महीने में शुरू होकर महीने सवा महीने चला और बन्द हो गया। तनख्वाह नहीं मिली वहां के मजदूरों को और नतीजा यह हुआ कि सहायता के नाम पर जो कुछ कार्यवाही हो रही थी वह कार्यवाही लोगों को राहत पहुचाने के बजाय कई मीलों दूर से आये लोगों को निराश लौट जाना पड़ा यह तो बात हुई इस अकाल सहायता के वितरण के सिलसिले म ।

मैं इस प्रकार का दूसरा नमूना पेश करना चाहूँगा जिसका ताल्लुक सहायता से नहीं लेकिन जिसका ताल्लुक सरकार के उन कार्यों से है जोकि अकाल के लिये करना आवश्यक है और कुछ हद तक किये भी गये

Page No.93

[श्री एच. के. व्यास]

हैं। अकाल में लगान वसूली की बन्दी का हुक्म सरकार ने निकाला है और अभावग्रस्त क्षेत्रों म आम तौर पर नवम्बर के महीने में यह एलान सरकार ने करना शुरू कर दिया कि हम अभी सस्पेन्शन (Suspension) करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue collection) का। लेकिन उसके बाद हुआ वही जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जिक्र किया और जिसका जवाब मुझे उस दिन नहीं मिला और उम्मीद करता हूं कि कम से कम आज तो उसका जवाब मिलेगा। उस घटना को फिर से दोहरा देना चाहता हूं; इसलिये दोहरा देना चाहता हूं कि वह कोई मामूली घटना नहीं है। एक ओर तो सरकार यह एलान करती है कि हम रेवेन्यू कलेक्शन का सस्पेन्शन करते हैं और दूसरी ओर सरकार के मातहत काय करने वाले कमिश्नर महोदय एक हुक्म निकालते हैं और हुक्म इस प्रकार का वेग निकालते हैं कि भादरा के ठाकुर की अर्जी पर विचार किया गया और यह आर्डर दिया जाता है कि लगान की वसूली करा दी जाय। उस आर्डर में वे नहीं लिखते हैं कि वह एक गांव के लिये लागू होता है या सब इलाके के अन्दर। बल्कि वह आर्डर सब कलेक्टर्स के पास भेजा गया, सब तहसीलदारों के पास भेजा गया। इस बात का एक और हुक्म निकाला कि गांव में डोंडी पिटवाकर वसूली करा दी जाय। गांवों में जागीरदारों द्वारा किसानों से जबरदस्ती जगह जगह वसूलियां हुई। आज भी वह मामला वहां का वहां पड़ा है। उन संबधित अधिकारो के बारे में न तो कुछ कार्यवाही की जा सकती है और न होगी, लेकिन किसानों से वसूली होगई। मैं तो यह कहता हूं कि ऐसी हालत में सहायता की बात हम क्यों कहते हैं। इस अभावग्रस्त क्षेत्र में सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति का इलाका जो है वह चूरू का इलाका है। उस इलाके में अकाल सहायता के कार्य शुरू करना तो दूर, वहां के लोगों को राहत पहुंचाना तो दूर रहा, उल्टा उनसे लगान बन्दी का हुक्म जो सरकार ने एलान किया था, अमल में नहीं लाया गया और उनसे, किसानों से जबरदस्ती वसूली करने के लिये जालसाजी की गई है। वह अधिकारी आज भी अपनी जगह कायम हैं। यह अकाल सहायता का कार्य नहीं है, आंख मिचौनी करने का कार्य है।

दूसरी जो मिसाल मैंने आपको उस दिन दी थी और जिसका ताल्लुक गंगानगर जिले से है वह यह है कि एक ओर जहां लाखों रुपये की मंजूरी सदन से चाही जाती है, दूसरी ओर खर्च करने की देखभाल करने के स्तर की मिसाल जो है वह दिखाता हूं। उस दिन उस बात का जवाब मुझे नहीं मिला था। नाहर तहसील के अन्दर सरकार की ओर से एक कमेटी मुकर्रर की गई है, वैसे तो सारे राजस्थान में इस प्रकार की कमेटियां मुकर्रर की गई हैं और माननीय अध्यक्ष, म याद दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि नवम्बर महीने में राजस्थान किसान सभा का शिष्टमंडल मिला था तो उसने जोर देकर मांग की थी कि अगर आप अकाल सहायता में भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, अगर आप पक्षपात रोकना चाहते हैं, अगर आप पार्टीबाजी को रोकना चाहते हैं तो सब पार्टीयों के, संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को स्थान होना चाहिये, अकाल कमेटियों में। उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी। लेकिन वह आश्वासन केवल मौखिक आश्वासन ही रहा। उसके बाद जो कमेटी बनी तो उस कमेटी के अन्दर सिर्फ एक पार्टी के या यों कहें कि वह इलाके के प्रथम दर्जे के कांग्रेसी कार्यकर्त्ता हैं उनके पिछलग्गू लोगों से भरी गई है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि उन कमेटियों में अकाल सहायता का कार्य होना तो दूर रहा उन कमेटियों के जरिये खुल्लम-खुल्ला पक्षपात हो रहा है। एक गांव के

[श्री एच. के. व्यास]

दो अलग अलग हिस्से करके, समझ लीजिये, एक उत्तर और दक्षिण दो अलग अलग अंग हैं। वे नजदीक नजदीक एक दूसरे के लगे हुए हैं। एक हिस्से ने जिसमें कांग्रेस को वोट दिया है उसको तो अकाल सहायता के लिये पैसा दिया गया है किन्तु दूसरे हिस्से ने जिसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया उनको यह कहकर कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया है इसलिये अकाल सहायता नहीं मिलेगी। उन लोगों ने लिखकर शिकायत की है, लेकिन जांच करना तो दूर रहा उनकी अर्जी तक लेने में कलेक्टर ने इन्कार किया है और कहा कि चूंकि मंत्री महोदय कह गये हैं कि वे अकाल सहायता समिति के इशारे पर काम करें इसलिये वह कमेटी जैसे आदेश देगी उसके मुताबिक काम करूंगा। यह पक्षपात जो होता है वह तो हो ही रहा है। नोहर तहसील में जो अकाल सहायता कमेटी है उस कमेटी को सरकार कन्सेशन देती है, ट्रान्सपोर्ट के लिये वह कमेटी घास लाकर बाजार में बेच रही है। उसकी वह कीमत आम लोगों से १ रु. १२ आने के हिसाब से लेती है। एक दूसरी संस्था जिसको सरकार कन्सेशन नहीं देती है वह है गौशाला उसको घास बेचने की इजाजत नहीं है। वह गौशाला भी उसी स्थान से घास खरीदती है जिस स्थान से कांग्रेस पक्ष वाली कमेटी खरीदती है। गौशाला के हिसाब में यह दर्ज है कि उनको १ रु. २ आने मन पड़ा है। यह उनके रेकार्ड में दर्ज है, उनके रजिस्टर में दर्ज है; लेकिन वह घास बाजार में अकाल सहायता कमेटी की ओर से बिक रहा है १ रु० १२ आने मन के हिसाब से। यह कमेटियां बनाई जा रही हैं राहत पहुंचाने के लिये, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह अकाल कमेटियां अकाल सहायता नहीं लाखों इन्सानों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। माननीय मंत्री महोदय यह जांच करेंगे तो पता चलेगा लेकिन मैं यह कहूंगा कि जहां लाखों इन्सानों की जान का सवाल है, जहां लाखों प्राणी मर रहे हैं, जहां लाखों लोग अपने इलाके छोड़कर चले गये हैं और जहां अपनी जिन्दगी चलाने के लिये एक-दो अन्न के दाने पेट में पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है, उस इलाके के सैंकड़ों आदमियों की जानों के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर सख्त कार्यवाही नहीं की जायगी तो मैं कहूंगा कि यह अकाल सहायता के काम के प्रति सरकार की ओर से गैर जिम्मेदारी बरती गई है। इन्हीं कारणों को सदन के सामने और मंत्री महोदय के ध्यान में लाने के लिये यह कट मोशन रखा है।

श्री चन्दनमल बैद—माननीय अध्यक्ष, मेरा भी दुर्भाग्य है कि मैं भी उसी इलाके से आया हूं जहां अकाल है। जब अकाल की ग्रान्ट सदन में पेश हुई है और मैं इस पर नहीं बोलूं तो यह मेरे इलाके के साथ अन्याय होगा।

मैं अपने पूर्व वक्ताओं के साथ इस बात से सहमत नहीं हूं कि अकाल सहायता पर जितना खर्च हुआ है वह नाकाफी है और उसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ है। मैं यह कहूंगा कि काम सब जगह हुआ है और हो रहा है और जहां तक चूरू जिले का प्रश्न है मैं यह कह सकता हूं कि हर तहसील में २० हजार से लेकर ४० हजार रुपयों की मंजूरी दी है और नवम्बर से लेकर आज तक कुओं की मरम्मत तथा जोहड़ों से मिट्टी निकालना, खुदाई आदि कार्य किये गये हैं। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों को बनाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कोई अड़चनें नहीं, जितना काम होना चाहिये हो रहा है और सड़कों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिये पूरा इन्तजाम नहीं। जो लोग १०-१५ कोस से चलकर मजदूरी पर आते हैं उनके लिये झोंपड़े

[श्री चन्दनमल वैद]

और पानी का इन्तजाम जितनी सहानुभूति और तेजी से होना चाहिये, नहीं हो रहा है। इसके अलावा जिन एजेन्सियों द्वारा इन मजदूरों को धान दिया जाता है वे एजन्सियां १॥), २) रु. मन उनसे मुनाफा लेती हैं। यह मुनाफा लेना वाजिब नहीं मालूम होता। मैं माननीय मंत्रीजी से यह अर्ज करूंगा कि या तो वे सरकारी राशन की दुकानें खोलने का प्रबन्ध करें या जो मुनाफा दिया जा रहा है उसका घाटा सरकार अदा करे। रुपयों का वह बोझा गरीब किसानों पर नहीं पड़ना चाहिये और यदि इस तरह से उन एजन्सियों को मुनाफा दिलाया गया तो उनको सहायता नहीं, तकलीफ होगी।

इसके अलावा मैं दो-तीन और बातों का जिक्र आपके सामने करूंगा।

एक बात श्री कानसिंहजी ने कही कि बीकानेर जिले में बहुत कम रुपया खर्च किया गया है। मैं नहीं जानता कि राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिले में कितना रुपया खर्च के लिये दिया है। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर कम दिया है तो राजस्थान सरकार ने अन्याय किया है। मैं उनका ध्यान बीकानेर महाराजा के उस भाषण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने ता० ३-३-५३ को बीकानेर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में दिया। उन्होंने कहा "सादूंल वाटर सप्लाई फंड तथा पब्लिक वेल फेयर फंड में से हमने नोखा, मगरा तथा लूणकरणसर में ३ लाख १२ हजार रुपये अब तक सहायतार्थ दिये हैं।"

जब एक दूसरी एजेन्सी द्वारा पहले से वहां काम हो रहा है वहां यदि सरकार ज्यादा काम न करके दूसरी जगह जहां कि काम नहीं हो रहा है खर्च करती है तो मैं यही कहूंगा कि सरकार ने न्याय ही किया है। चूरू जिले में इन फंडों की तरफ से अभी तक कोई खास खर्च नहीं हुआ है इसलिये वहां पर ज्यादा खर्च किया जावे तो मैं समझता हूं कि वाजिब और न्याय है।

एक बात की तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जितने जिलों की अकाल सहायता के लिये कमेटियां बनी उनमें केवल एक ही पार्टी के आदमियों के लिये जाने के संबंध में अभी जो कहा गया है वह गलत है। इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि ऐसा कहना वास्तविकता की तरफ से आंख चुराना होगा। अकाल सहायक कमेटियां जो बनी हैं उनमें मेरे दोस्तों को मालूम होना चाहिये कि दूसरी पार्टियों के आदमी भी माकूल सख्याओं में हैं। चूरू जिले में जो कमेटी बनी है उसमें किसान सभा के बहुत बड़े लीडर चोधरी जीवनरामजी हैं और जागीरदारों की तरफ से कुं० खींवसिंहजी भी मौजूद हैं

श्री कानसिंह—बीकानेर की कमेटी में कौन कौन हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं चुरू के बारे में कह रहा हूं मुझे बीकानेर के विषय में मालूम नहीं है। उसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिये। यह कहा जा रहा है कि कमेटियों में कांग्रेसी ही कांग्रेसी हैं। जब कमेटियों में जागीरदारों के प्रतिनिधि भी हैं और किसानों के भी प्रतिनिधि हैं तब यह कहना कहां तक ठीक है ? फिर भी यह कहना कि एक ही पार्टी के लिये पैसा लगाया जाता है, यह ठीक नहीं है। अब यह कहा जाता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये उनको अकाल सहायता दी जाती है और बाकी को नहीं और गॉव के जिस हिस्से के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये उनको अकाल सहायता दी जा रही है बाकी को नहीं, यह तथ्यों को मरोड़कर रखना है और कुछ नहीं। मैं यह कहूंगा कि यह

[श्री चन्दनमल बैद]

पता लगना ही मुश्किल है कि गांव के किस आधे हिस्से के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये और किसने नहीं दिये, जिससे कहा जा सके कि उस हिस्से को सहायता दी जा रही है और दूसरे हिस्से को सहायता नहीं दी जा रही है। मैं यह मानता हूं कि ऐसा कह कर तथ्यों को बहुत तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है, जो उसी प्रवृत्ति का द्योतक है जिसका एक बार पहले मैं जिक्र कर चुका हूं।

मैंने मेरी जो जानकारी इस संबंध में थी, सदन के सामने रखी है और माननीय मंत्री महोदय से, प्रार्थना करूंगा कि जिस सहानुभूति के साथ व तेजी व संजीदगी के साथ अकाल का काम लिया जा रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से संजीदगी और सहानुभूति के साथ २-३ महीने तक उन्हें इस काम को और जारी रखना चाहिये।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने जो कट मोशन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस कट मोशन पर मेरा सदन का ज्यादा समय लेने और बोलने का विचार नहीं था, लेकिन मिनिस्टर महोदय की ओर से एक महानभाव ने वकालत करते हुए जो कुछ कहा और इस अकाल सहायता में सबसे ज्यादा फायदा उठाया उस पर मुझे बोलने की आवश्यकता हुई।

श्री चन्दनमल बैद--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--I will request the Hon'ble Members not to waste their jokes on persons who do not like them.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)--अध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता के बारे में जिस दिन से यह सदन कायम हुआ है उसी दिन से हम बराबर यह बात कहते आ रहे हैं कि अकाल सहायता का जो काम हो रहा है यह पार्टी बाजी पर हो रहा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह बात कहने में लोगों को कुछ खारी मालूम होती है लेकिन वास्तविकता को छुपा नहीं सकते। यह बिल्कुल फैक्ट है कि अकाल सहायता या और कोई इसी प्रकार का काम जैसे लोन दे तो वगैरह के होते हैं उन सब में एक ही मेजरमेन्ट ओफ स्टिक काम में लाई जाती है और वह है पार्टी बाजी का आधार। अगर कोई आदमी पार्टी विशेष का समर्थक होता है या समर्थक द्वारा प्रपोज किया जाता है, उसको सहायता दी जाती है। मेरे मित्र जो चूरू वगैरह की तरफ से आये हैं उन्होंने इस बात को दोहराया है और वे बराबर यही कहते आये हैं कि इस इलाके में जो कमेटी बनी है और जो कुछ पैसा खर्च किया जाता है वह चन्द कांग्रेसियों के कहने पर खर्च किया जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों को ऐसा आतंकित कर रखा है कि वे मेम्बरों के कहने के अलावा दूसरों की सुनने के लिये कतई तैयार नहीं। यहां तक सुना गया है अध्यक्षजी, अगर कोई बेचारा सरकारी कर्मचारी उनके हुक्म की अवहेलना करने की धृष्टता करता है तो उसको वहां से २४ घण्टों के अन्दर अन्दर तबादला हो जाता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है।

एक सदस्य--क्या ऐसे केसेज हुए हैं?

श्री कानसिंह—There have been cases.

श्री मानसिंह—यह कोई बडी बात नहीं है कि इस प्रकार की पक्षपात की नीति को न अपनावें अकाल सहायता में जिसमें सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, और जिसका एक ही उद्देश्य होता है; जनता को राहत पहुंचाना। इसमें भी पार्टी बाजी से काम होता है, यह कितना अनुचित है ?

इसके अलावा इस इलाके का कुछ दिन पूर्व जब मिनिस्टर साहब ने दौरा किया उस समय भी यही हाल था कि उनके इर्द गिर्द चन्द कांग्रेसी भाई थे और उन्होंने जिस तरह चाहा वही काम किया और इस बात को मेरे मित्र श्री कानसिंहजी बतलावेंगे कि उनके इलाके में दूसरे आदमियों की राय होते हुए भी कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर इस बात को तथ्यों से रिफ्यूट कर दें तो हम मान लेंगे कि यह बात गलत है, लेकिन जिस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देते सयम विद्रुप तरीकों से जवाब दिया जाता है वह न करें।

मैं इतना ही कह कर कि आज से पहले उन्होंने किया सो किया, अब महरबानी करके इस काम को पार्टी बाजी से ऊंचा उठावें अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (अकाल सहायता मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं इस मांग के बारे में समझता हूं कि अन्य बातों से ज्यादा भाषणों के दौरान में जो बातें कहीं गई, राजनैतिक बातें कही गई हैं और हमारे माननीय श्री एच. के. व्यास का इस बात की शिकायत है कि ज्यादातर जो खर्चा किया जाता है, जहां कांग्रेस को वोट मिले हैं या कांग्रेस वाले कहें वहीं खर्चा किया जाता है, उसके बारे में कहूंगा।

म साफ बता देना चाहता हूं कि पहले जो अलग अलग तहसीलों में कमेटियां बनाई गई उनको बनाने के लिये सूचनायें दी गई थीं कि जिन इलाकों से जो धारा सभा के प्रतिनिधि चुने गये हैं उनकी राय लेकर कमेटियां बनाई जाय। दुर्भाग्य से राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं चुने गये थे तो इसके लिये यहां उनकी नाराजगी निकालने का यह समय नहीं है। (हंसी)

माननीय श्री मानसिंहजी ने जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में बहस चल रही थी तो सुझाव रखा था कि इन कमेटियों का जब तक चुनाव नहीं हो जाय तब तक के लिये एम. एल. एज. को उन कमेटियों का मेम्बर बना दिया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मुझे गलत समझा गया है, मैंने यह सुझाव नहीं दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि आपके पड़ोस से यह सुझाव दिया गया हो।

तो पता नहीं कि क्यों जब इसे अमली रूप दिया जाता है तो इस तरह कहा जाता है।

डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां बनाई गई तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया और जसा कि हमारे त्र, श्री चन्दनमल जी ने बताया इस बात का ख्याल रखा गया कि जो वहां एक्टिवली काम करने वाले ', न कि केवल शोर करने वाले हों, उनको उन स्थानों में काम दिया जाय। कुछ लोगों का काम होता

Page No.98

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा रूप देना चाहते हैं जैसे राजस्थान की सारी दरिद्रता का, सारी मुश्किलातों का और सारे उपकारों का प्रतिनिधित्व वही करने आये हैं, पर वास्तव में वह स्थिति नहीं होकर शोषण मात्र करने का उनका उद्देश्य होता है।

जहां वह कहते हैं कि पार्टीबाजी में खर्चा नहीं हो तो उनसे ऐसी सूरत में मैं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टीबाजी के दृष्टिकोण से आप भी टीका-टिप्पणी नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो खर्चा और बजट के आंकड़े सदन के सामने आये हैं उनको देखने से पता चलेगा कि इन कामों में पार्टी बाजी का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। बाढमेर से कोई सदस्य कांग्रेस की ओर से नहीं चुना गया, पर खर्चा किया जा रहा है। जैसलमेर से कांग्रेस का आदमी कोई जीत कर नहीं आया पर वहां पर भी खर्चा किया जा रहा है।

श्री हनवन्तसिंह—जैसलमेर में कुछ भी खर्चा नहीं किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कई बार प्रश्नोत्तर के दौरान में जवाब दिया जा चुका है कि जैसलमेर में भी खर्चा किया गया। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वहां पर बिल्कुल खर्चा नहीं किया गया। मैं खुद जैसलमेर जाकर आया हूँ, आपसे भी बातचीत हुई थी जिसमें स्वीकार किया गया कि जैसलमेर में पर्याप्त मात्रा में मदद दी गई। वहां के तालाब के रास्ते रुक गये थे उनको सुधारा गया जिससे पहली ही बारिश में वहां का तालाब भर गया। आपने ही बातचीत के दौरान में कहा था। अफसोस की बात है कि अब आप ही कह रहे हैं कि जैसलमेर में कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है।

(करतल ध्वनि)

श्री हिम्मतसिंह—मैंने यह नहीं कहा था।

श्री मानसिंह—क्या जैसलमेर में भी कोई कमेटी बनाई गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां कमेटियां बनाई गई हैं वहां एम.एल.ए. की राय से आदमी लिये जाने की सूचनाएं दी गई थीं और उन कमेटीयों में सभी लोगों को लिया जाय, ऐसी सूचनाएं दी गई थीं।

श्री जसवन्तसिंह—कम से कम बीकानेर डिविजन के लिये तो यह प्रिन्सिपल नहीं माना गया है, जो आप फरमा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं मानता हूँ कि वहां भी यही प्रीन्सिपल माना गया होगा। केवल कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं ऐसी बात नहीं है; फिर भी मैं इस बारे में पता लगाऊंगा।

श्री जसवन्तसिंह—The Bikaner District Famine Relief Committee consists purely of Congressmen and nobody else, and objection has been raised to that.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस चीज के विषय में पूरी तरह से जानकारी हासिल करूँगा।

दूसरी बात जो यहां पर कही गई और जिसको बहुत जोरों से कहा गया है वह यह है कि गौ शाला नौहर की तरफ से जो घास बेचा जा रहा है वह बहुत सस्ता बेचा जा रहा है और जो घास अकाल समिति की ओर से जिसमें कांग्रेसी हैं, बेचा जा रहा है, वह बहुत मंहगा बेचा जा रहा है।

श्री एच. के. व्यास—यह कहा गया था कि गौशाला का रेकर्ड देखा गया तो उसमें ऐसा दर्ज है कि एक रुपया दो आने मन के भाव से आ रहा है और जो कमेटी की ओर से घास मिल रहा है वह पौने दो रुपया मन के भाव से मिल रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिस समय यह सवाल जनरल डिस्कशन के समय उठाया गया था उस वक्त काफी डिटेल्स में बता दिया गया था कि वहां किस किस तरह के हालात हो सकते हैं। फिर भी अगर कोई मुनाफा करता है तो उसको सरकार सख्त से सख्त सजा देने में नहीं झिझकेगी, चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हों। सरकार कतई उनको प्रोत्साहन देने वाली नहीं है।

फिर माननीय भीमसिंहजी ने अकाल समिति योजना के बारे में कहा है। उन्होंने पिछले वर्ष के बारे में ज्यादातर टीकायें की हैं। मैं बताउंगा कि झुंझुनू और सीकर में ज्यादातर अकाल सहायता का काम किया गया और समिति का निर्माण हुआ। उसमें राजस्थान शेखावाटी के जो कार्यकर्ता हैं वे जानते हैं कि भागीरथ जी कानोडिया के संचालन में कार्य हुआ था और वे शुरू से ही इस बात का ध्यान रखकर चले कि किसी राजनैतिक कार्य के लक्ष्य को ध्यान में न रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुँचाई जाय; इस तरह से कार्य किया जाय। मुझे यह सुन कर दुख हुआ कि जब कि भागीरथजी कानोडिया ने काफी मेहनत करके झुन्झुनू और सीकर के इलाकों में काम किया और उन्हीं की सलाह पर हमने काम चालू किया तो मुझे मालूम नहीं कि उनके बारे में क्यों इस तरह का भ्रम पैदा हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष, यह हो सकता है कि कुछ गांवों में मदद नहीं मिली हो। मैं यह दावा नहीं करता कि हम हर गांव में मदद पहुँचा देंगे लेकिन इसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस काम के चालू होने के पीछे केवल राजनैतिक उद्देश्य था, यह समझना गलत है। राजनैतिक उद्देश्य से कभी इस तरह के काम करने के विषय में सोचा नहीं गया। वहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं या काम करने वाले हैं उनकी सलाह को हमने हमेशा महत्व दिया है।

पिछले साल मई और अप्रेल महीनों में मैंने टूर किया और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो शिकायत आज विरोधी दल की तरफ से कुछ महानुभाव करते हैं कि एक पक्ष, एक दल ही से काम किया गया था। उस गर्मी के समय में जो अकाल पीड़ितों के लिए काम किया जाता था बड़ा कठिन था और मैंने देखा कि उस गर्मी के समय में अकाल पीड़ितों की सहायता का काम करने वाले ज्यादा कांग्रेसी ही थे, दूसरे लोग नहीं। मेरा सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य कि जो लोग उन पीड़ितों के बीच में काम करते हैं उनकी सलाह लेकर ही मदद का काम करता हूं तो इसमें शिकायत की कोई बात नहीं आती। यह

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

स्वाभाविक बात हो जाती है कि जो रात-दिन इस तरह का काम करते हैं उनकी सलाह ली जाय। ऐसे दूसरे पक्ष के लोगों से भी जो उनके बीच काम करते हैं, सलाह लेने में या उनके साथ काम करने में मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कांग्रेस के सदस्यों से भी यही कहा गया है। माननीय श्री मानसिंहजी के शब्दों में कि जिन अफसरों ने पार्टी वालों के कहने के मुताबिक काम नहीं किया है उनकी ट्रान्सफर २४ घन्टों में कर दी गई है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि किसी अफसर ने पार्टी बेसिस पर अकाल सेवा का काम नहीं किया इसलिये उसकी कोई ट्रान्सफर २४ घन्टों में नहीं की गई है। उनको कुछ इस तरह की बातें कहने की आदत सी है। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा दिनों तक वे यदि इस तरह की बेबुनियाद बातें कहेंगे तो उनका कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई निश्चित बात कही जाय तो ज्यादा उपयुक्त हो।

रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। मैंने पिछली बार भी कहा था और फिर दौहराता हूं कि बिना पैदावार के लगान की वसूली कहीं भी नहीं की गई है। बल्कि चूरू तहसील से जब इत्तिला मिली कि तहसीलदार और पटवारियों ने मिल कर कुछ गड़बड़ी की है और आंकड़ा ऊंचा-नीचा हुआ है तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि तुरन्त ही सेक्रेटेरियेट से एक अफसर को जांच के लिये मुकर्रर किया और तहसीलदार और पटवारियों को मोअत्तिल किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about the Commissioner who is at the root.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जब तक उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो जाती तब तक आपके जोर से कहने से कोई एक्शन नहीं ले सकता। जो चीज जैसी साबित हो सकती है उसी हद तक एक्शन ले सकता हूं। केवल आपके प्रभाव में आकर एक्शन लेने के लिये मजबूर नहीं हो सकता।

बीकानेर डिविजन के बारे में खास तौर से हमारे माननीय मित्र श्री मोतीचन्दजी और श्री कार्नसिंहजी को इस बात से शिकायत थी और श्री कार्नसिंहजी ने तो यहां तक कहा कि बीकानेर के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है। लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हम एक बात को भूल जाते हैं और यह समझ कर चलते हैं कि खर्चा केवल एक ही फंड से किया जाता है। यही कारण है कि आज हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, सूरजगढ़ का बहुत सा हिस्सा फेमिन वाला इलाका घोषित किया गया है। वहां के लोगों को तकलीफ है, लेकिन उन इलाकों में नहरी काम चल रहा है। वहां पर ४५ लाख रुपये पिछले वर्ष खर्च हुए थे और इस साल १ करोड़ इरिगेशन के काम के लिये रखे गये हैं और इन कामों के द्वारा वहां के रहने वालों और आसपास रहने वालों को काम करने में जो मदद मिलती है उसको दृष्टि से ओझल कर दिया जाता है। सोचने का मूल प्रश्न यह है कि दरअसल में वहां पर खर्च होता है या नहीं ?

दूसरी बात श्री मोतीचन्दजी ने यह कही कि मालूम नहीं पीने के पानी के लिये बीकानेर में कुछ खर्च होने वाला है या नहीं। पीने के पानी के सम्बन्ध में इस वर्ष दो लाख रुपये खर्च होने वाले हैं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

उसमें से १ लाख ३० हजार रुपये केवल बीकानेर डिवीजन के लिये रखे गये हैं और बाकी रुपये जोधपुर के लिये हैं। अलग अलग जगहों की आबादी की आवश्यकता को देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि लोगों को काम भी मिले। इन बातों को देख कर ही कुछ तय किया जाता है।

यह भी कहा गया कि काम शुरू न होने के कारण कोटा डिविजन के मवेशी राजस्थान से बाहर गंगाजी और यमुनाजी की ओर जाते हैं। मवेशियों के बाहर जाने का मूल कारण काम का जल्दी शुरू होना न होना नहीं है बल्कि इसका मूल कारण है पानी की कमी। पानी की कमी के कारण मवेशी बाहर ले जाये जाते हैं। आम तौर से कोटा और जोधपुर डिविजन से बाहर जाते हैं। वे इसलिये नहीं जाते कि इन इलाकों में कोई वर्क शुरू नहीं होता किन्तु वे इसलिये जाते हैं कि मवेशियों को वहां आराम से चराया जा सकता है और वापिस लाया जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मवेशियों को बाहर ले जाने के प्रश्न को काम शुरू न होने के प्रश्न के साथ जोड़ना गलती है।

मैंने सदन के सामने जो स्पष्टीकरण किया है और समय समय पर करता रहता हूं वह पार्टी के दृष्टिकोण से काम नहीं करने का सुबूत है। इसका कुछ उल्लेख मैंने प्रश्नों के जवाबों में भी किया है। इस काम को योजनाबद्ध करने के लिये कमीशन मुकर्रर करना चाहता हूँ, जिसके लिये हमने टर्म्स ऑफ रेफरेन्स तैयार किये हैं; जो राजस्थान में पहले से योजना तैयार कर रखे, जिसके अनुसार काम चलाये जा सकें। यह कहा गया कि जो काम की स्वीकृतियें दी गई हैं वे मार्च या फरवरी में दी गई हैं, यह बात गलत है। स्वीकृतियें नवम्बर में दी गई हैं और कई इलाकों में तो आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिये स्थानीय अधिकारियों को पूरे अधिकार दिये गये हैं और कई जगह काम चालू किये गये हैं। इसलिये यह समझना कि काम एन टाइम पर शुरू किये गये हैं, गलत है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि काफी काम हुआ है पर फिर भी कुछ काम हुआ ही है।

फंड्स की कमी की ओर जो संकेत किया गया उसके लिये मैं अनुभव करता हूं कि ज्यादा फंड्स होते तो ज्यादा काम किये जा सकते थे। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और आवश्यकता का ख्याल रखते हुए काम किया गया है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार के साथ बराबर सम्पर्क सधा हुआ है और आशा करता हूं कि बजट के अलावा भी भारत सरकार द्वारा १० लाख रुपये सड़कों के काम के लिये मिलेंगे। इसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई (Rural water supply) कार्य के लिये ७ लाख के लगभग और मिलने वाले हैं जो इस रकम में शामिल नहीं है। और भी दूसरी रकम के बारे में भारत सरकार के मन्त्रियों से बातचीत चल रही है। कमी की पूर्ति के लिये जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह करेंगे। यह बात नहीं है कि किसी भी क्षेत्र की आवश्यकता की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जायगा, बल्कि हर तरह से ध्यान दिया जायगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि अकाल स्थिति आज भी हमारे काबू के अन्दर है और सरकार आगे भी काबू में रखेगी और कभी भी स्थिति गंभीर नहीं होने पावेगी। मैं आशा करता हूं कि सारे कट मोशनस वापिस ले लिये जायेंगे।

श्री **रघवीरसिंह**—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ?

Page No.102

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने फेमीन कोड के बारे में कहा था। इसके बारे में मैं इसलिये नहीं कहना चाहता हूं कि फेमीन कोड यहां पर पहले से ही लागू है।

श्री चन्दनमल बैद—अनाज में जो डेढ़ रुपया मुनाफा लिया जाता है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने डेढ़ रुपया मुनाफे की जो बात कही है उसके बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का मुनाफा बीच में कहीं भी नहीं किया जायगा। यदि कहीं ऐसी कार्यवाही होगी तो उसे ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा। ऐसे सेन्टरों में आम तौर से जिस भाव धान बिकता है उससे सस्ता बेचा जायगा।

श्री रघवीरसिंह—कोड के मुत्तल्लिक अमल हो रहा है या नहीं, इस बारे में क्या बात है? गवर्नमेन्ट ने कोई प्रोग्राम बनाया या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कोड के बारे में स्पष्टीकरण कर चुका हूं। टेस्ट वर्क का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि वहां पहले से ही स्केअरसिटी इलाका है जहां नये सिरे से हो वहां जांच की जाती है कि आया ऐसी कन्डीशन (Condition) है या नहीं, लेकिन जहां दो-तीन साल से चला आता है वहां इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—So, should I put these cut motions or the hon'ble members would withdraw them?

श्री कानसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने यह विश्वास दिलाया है कि आयन्दा पक्षपात नहीं किया जायगा, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कोई विश्वास नहीं दिलाया और नहीं कहा कि आयन्दा कोई पक्षपात नहीं किया जायगा; किन्तु मैंने तो यह कहा था कि पक्षपात होता ही नहीं। (ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से करतल ध्वनि)

श्री कान सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री भीमसिंह, श्री मोतीचन्द।

श्री भीमसिंह—मैं भी अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I also seek permission to withdraw my cut motion.

(ट्रेजरी बेन्चेज से 'हियर हियर' के साथ करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—They are withdrawing cut motions, all at a time. Is it the leave of the House to allow withdrawals.

(स्वीकृत)

Permission has been given by the House to allow respective members to withdraw their cut motions on this Demand.

(विराम)

Now the question is, "That a sum not exceeding Rs 67,89,000be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of demand No. XXVII, Major Head 54-Famine".

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

Shri Bhola Nath.

अभियाचना संख्या २५-सिविल वर्क्स

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक मंत्री)–Sir, I beg to move,"That a sum not exceeding Rs. 2,00,48,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defary the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Demand No. XXV, Major Head 50 and 50A-Civil Works.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री जवान सिंह ।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रस्ताव यह है :–

"That the Demand for Grant No. XXV be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to complete Sirohi-Anadhra Road and Public Library at Sirohi)."

माननीय अध्यक्ष, इससे पहले जिन वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उसके दौरान में जो शब्द कहे गये हैं कि बीकानेर के साथ सौतेली मां का जैसा व्यवहार किया गया है, मैं समझता हूं कि

Page No.104

[श्री जवानसिंह]

उनको उपयुक्त ढंग से नहीं इस्तेमाल किया गया है। जहां तक इन शब्दों का सम्बन्ध है उनको ठीक तौर पर सिरोही जिले के लिये इस्तेमाल किया जाय, तो उपयुक्त होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब बजट के आंकड़े बने थे और जहां तक इस डिपार्टमेन्ट का ताल्लुक है, जोधपुर और सिरोही ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जोधपुर डिविजन को, सिवाय फेमीन रिलीफ के ऐसा मालूम पड़ता है कि न सड़कों के लिये और न इमारतों के लिये ही कोई प्रोवीजन रखा गया है और इसलिये यह कहा जाय कि इस डिविजन के साथ और खास कर सिरोही के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं खास तौर पर इस कट मोशन के जरिये इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अर्से दराज से, सिरोही रियासत के वक्त से ही सड़क बनाई जाने को थी, उसके बनाने का जो आयोजन था, वह उस वक्त से ही शुरू था। उसके पश्चात् दुर्भाग्यवश गये साल अकाल का सामना करना पड़ा और महरबानी कहिये हमारे अकाल विभाग मन्त्री महोदय की, उन्होंने सड़कों के लिये कुछ प्रोवीजन रखा और १ लाख ६६ हजार रुपया इन सडकों के लिये रखा। इस रकम में से जो कुछ खर्च किया गया यानि इस सड़क पर बड़े बड़े पत्थर दबवाये गये ताकि उसके बाद कंकरीट डाल कर उसको इंजिन से दबवा दिया जाय; किन्तु बरसात आगई और वह काम बन्द हो गया। यह सारा का सारा रास्ता, सिंदरथ तक यानि सिरोही से सिंदरथ तक तीन मील सड़क है, आगे की पूरी की पूरी सड़क इनकम्पलीट पड़ी हुई है। वहां पर जो पत्थर पड़े हुए हैं उनकी वजह से रास्ता आवागमन के लिये रुक गया है और सड़क के इधर उधर आने जाने के लिये जो रास्ता निकाला गया था वह रास्ता बड़ी ही परेशानी के साथ लोगों को पार करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष, आप इस पर गौर करें और मन्त्रीजी को इसकी स्वीकृति के लिये सलाह दें। मैंने इस मामले में मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि इस सड़क के लिये अवश्य ही प्रोवीजन रखा जाय। मुझे माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय और रिलीफ मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि इस सड़क के लिये प्रोवीजन रखा जायगा; परन्तु मुझे यह सुन कर बहुत अफसोस हुआ जब कि प्रश्नों के वक्त उत्तर दे दिया गया कि वे अकाल के लिये अवसर देखना चाहते हैं कि जब अकाल पड़ेगा तो इस ओर रिलीफ दिया जायगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्रीजी महोदय शायद उत्तर केवल उत्तर देने के लिये ही देते हैं। मुझे खास तौर से थोडी देर पहले यह ख्याल आ रहा था कि राजस्थान के मन्त्री केवल उत्तर देने के लिये ही-उत्तर दे रहे थे और हरएक प्रश्न के लिये अपनी ओर के आदमियों की वाह-वाही की उम्मीद कर रहे थे। मैं कट मोशन इसलिये पेश नहीं कर रहा हूं कि उसका उत्तर केवल उत्तर देने के लिये ही हो; किन्तु मैं यह कट मोशन इसलिये पेश कर रहा हूं कि सिरोही की जनता को खास तौर पर तकलीफ हो रही है; अतः आप लोग अच्छी तरह से उस पर विचार करें और सहानुभूति प्रगट करें और सहायता दें। आप केवल सहानुभूति ही प्रगट करके न रह जायें; किन्तु इस काम को पूरा (कम्पलीट) करावें।

इसके साथ ही साथ में आपको दूसरी बात और निवेदन करूंगा और वह यह है कि सिरोही से आबू को यह खुश्की सड़क ही मिलाती है और जहां तक आबू के लिए हमारी मांग है हमको यह महसूस करना चाहिए कि यह वाकई एक गम्भीर विषय है। यह विषय अभी तक अच्छी तरह से नहीं सुलझा है और नैतिक तौर से खत्म नहीं हुवा है इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहां की

Page No.105

[श्री जवानसिंह]

जनता को, राजस्थान की जनता को ऐसा खयाल हो जाय कि हमने आबू का प्रश्न हमेशा के लिए स्थगित कर दिया है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस सडक को, जो आबू को खुश्की रास्तेके जरिए मिलाती है, जनता की दिक्कतों को सामने रखते हुए, गौर किया जाय ताकि वहां के लोगों को, आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। यदि नहीं, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपने करीब डेढ लाख रुपया जो वहां खर्च किया है वह बर्बाद होजायगा। गई बरसात से काफी नुकसान हुआ है और जो कुछ काम उस सड़क पर किया गया है वह भी साफ होजायगा। अगर कोई खर्चा इस साल नहीं किया गया तो जो रुपया सड़क पर खर्च किया गया है वह पानी में चला जायगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर अवश्य ध्यान दें।

इस कट मोशन के साथ दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सिरोही राज्य के वक्त में पी. डबल्यू. डी. के अन्डर में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई थी और उसका काम रियासत के वक्त में ही करीबन खत्म होगया था। दुर्भाग्य से जो ग्रान्ट मिली थी उससे उस वर्ष में काम पूरा नहीं हो सका और उसकी छतें बाकी रह गई। दूसरे साल ही यह काम खत्म हो जाता किन्तु राजस्थान का एकीकरण होगया और जब से राजस्थान का एकीकरण हुआ है तब से उस लाईब्रेरी की वे छतें पूरी नहीं हुई हैं। उसका तमाम सामान; गर्डर्स, मेटीरियल पड़ा हुआ है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को लिखित रूप में दिया था किन्तु अभी तक उसका कोई पता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसके लिए कुछ किया जावेगा।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, क्या मैं दूसरे कट मोशन पर भी निवेदन कर सकता हूं ?

श्री **अध्यक्ष**—Yes.

श्री **जवानसिंह**—दूसरा कटमोशन मेरा यह है,

"That the Demand No. XXV be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to make provision for sirohi Ramsin Road".

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गये साल के शुरू में जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था उससे पहिले एक दफा सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय ने सदन में बयान दिया था कि जो कोई भी सदस्य अपनी अपनी कान्स्टिट्युएसी में जहां जहां भी सडकों की आवश्यकता समझते हैं और वे सडकें जो जिले के केन्द्र से मिलाती हों तो उनको अवश्य उनके ध्यान में लावें ताकि वे उनको अपनी पंचवर्षीय योजना में रख सकें। इसके बाद में मैंने उसके लिए लिखकर सम्बन्धित मंत्री महोदय के दफ्तर में रिपोर्ट भेजी थी। दुर्भाग्य-वश वह खो गई, जैसा कि मुझे मालूम हुआ। लेकिन दुबारा मैंने भेजी। तत्पश्चात् माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आवश्यकता उस सडक की है या नहीं; ऐसी बात अगर ध्यान में लाई जावेगी तो ऐसे मौके का दौरा भी कर सकता हूँ और स्वयं भी देखकर तय कर सकता हूं। मगर याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने निवेदन किया था कि वे वाकई में इस जगह की जरूरत को महसूस करते हुए इस पर जरूर ध्यान दें क्योंकि यह हमारे लिए और जिले के शासन के लिए भी बहुत

[श्री जवानसिंह]

महत्वपूर्ण सड़क है और अगर फिर भी आपको यकीन न हो तो आप स्वयं दौरा कर लें, पर कुछ नहीं हुआ।

अभी जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने दो दिन पेश्तर ही बयान दिया है कि सिरोही जिले के दफ्तर को हटाने की योजना नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि फिर क्या वजह है कि जो सड़क सिरोही जिले के केन्द्र से व अन्य प्रमुख नगरों से मिलाती है, जो एक तरफ जसवन्तपुरा-जालौर से मिलाती है और बागरा तक भी यह सड़क मिलाई जाती है, उस सड़क की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए उसे बनाने का विचार नहीं किया जाता? इस सड़क पर जरूर विचार किया जाना चाहिए ताकि जो बड़े बड़े कस्बे हैं इस सड़क पर, उनको भी मिलाया जासके और सिरोही तक जिला दफ्तर आने-जाने वालों को सुविधा हो।

इसलिए मैं निवेदन करूँगा और खास तौर से इन चीजों की जरूरत होने की वजह से इस पर अवश्य विचार किया जावे और आश्वासन केवल आश्वासन ही नहीं रह जावे।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the Demand for Grant No. XXV be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to provide money in the Budget for 1953-54 for metalling Jaisamand Salumber Road and reconstructing bridge at Kherad)".

जैसा कि बताया जा रहा है सारी जगह आवागमन के साधनों की बहुत कमी है पर और जगहों की अपेक्षा उदयपुर जिले में तो और भी ज्यादा कमी है। उदयपुर में भी वहां की अपेक्षा जो भील क्षेत्र है वहां तो आवागमन के साधन बिल्कुल नहीं है।

जिस क्षेत्र की मैं बात कहता हूं; सलूम्बर से जयसमन्द की ३२ मील की सड़क है। सलूम्बर एक कस्बा है, उधर का सबसे बडा व्यापारिक कस्बा है। और मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि यह कस्बा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के लिये गेट वे (Gate way) है। इसके बारे में मैंने माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया, प्रश्न भी पूछे; पर बार बार यही बताया गया कि यह पंचवर्षीय योजना में रख दिया गया है, लेकिन निराशा होती है जब कि दूसरे विषयों में, पंच वर्षीय योजना में काफी मदद मिली है भारत सरकार से भी, बजट में भी रुपया दिया गया है पर इस सड़क के महकमें का कोई भी कार्य वहां हमारी नजर में प्रतीत नहीं होता। मुझे आशा नहीं है कि यह जादू का पिटारा कभी खुलेगा?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना में यह जब आवे उससे पहले ही बहुत सी मुख्य सडकें, जो हमारी हैं, उनको अपने बजट में रख दिया जावे।

दूसरी बात, इस सड़क पर, जो एक कच्ची सड़क हैं, इस समय एक पुल है जो वर्षा होने के कारण पिछली बार टूट गया था; इस वजह से सलूम्बर जाने वाले लोगों को जयसमन्द के पानी में

[श्री सोहनलाल भटनागर]

होकर दो लट्ठों पर बैठ कर जाना पड़ता था और इस खतरनाक हालत में २ महीने तक जाना पड़ा। माननीय मन्त्रीजी जब उधर की तरफ आये तो उस पुल को वापिस बनाने के लिये कहा भी था पर इसके लिये भी इसमें कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है।

इस सड़क और इस पुल का निर्माण अति आवश्यक है वरना वर्षा फिर आ रही है और फिर लोगों को दो महीने तक लट्ठे पर बैठ कर जाना पड़ेगा। आशा है मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री **जसवन्तसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन यह है:

"That the Demand for Grant No. XXV be reduced by Re. 1/- (to discuss unsatisfactory state of affairs of communications)".

यों जनरल डिबेट में मैं काफी बोला। अब सदन का ज्यादा समय न ले कर दो-चार पोइन्ट्स ही बताना चाहता हूं और उन पर ही माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा कट मोशन सड़कों के मुतल्लिक कुछ कहने को है। ऐसे, बजट में काफी रकम रक्खी गई है, बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें भी रक्खी गई हैं पर उनका क्या होता है और किस जगह बनाई जाती हैं, यह वास्तविक रूप में देखने को नहीं मिलती है।

बीकानेर के लिए भी, जितना कि हम चाहते थे उसके माफिक सड़कों के लिए बजट में रकम नहीं रक्खी गई है पर फिर भी कुछ कुछ मदों में रक्खी गई है इस साल भी और पिछले साल भी; पर उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है।

सडकें, जैसा सब को मालूम है, दो किस्म की होती हैं। नेशनल हाईवेज का जिक्र नहीं करूंगा क्यों कि इसका भारत सरकार से ताल्लुक है।

पर जिनका सम्बन्ध अपनी सरकार से है उनके बारे में कहना चाहता हूं। एक तो वे हैं जो म्युनिसिपल एरिया से बाहर हैं और दूसरी वे हैं जो कुछ शहरों में हैं और जहां म्यूनिसिपेलिटियां हैं।

बाहर की सड़कों का जिक्र करते हुए मैं इस और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सड़कों से कम से कम हम बीकानेर वालों को बिल्कुल सन्तोष नहीं है। राजस्थान के बनने के बाद में करीब चार साल हुए मेरे देखने में यह बात नहीं आई कि कहीं भी कोई महत्वपूर्ण सड़क आज तक बीकानेर में बनाई गई हो। जो बीकानेर राज्य के समय में बनाई गई थी; उनकी मरम्मत भी आज तक पूरी तौर पर नहीं की गई हैं।

यहां का हाल ऐसा है कि हाल के बजट में रकम रक्खी गई है और मरम्मत के लिए भी नाम मात्र के लिए रकम रक्खी गई है; मगर उनका यह हाल है कि छोटी मोटर ऑस्टीन सरीखी की बात तो दूर रही बड़ी मोटरें भी आसानी से इन सड़कों पर नहीं चल सकतीं।

[श्रीजसवन्तसिंह]

एक हमारी खास सड़क है बीकानेर, नोखा, सुजानगढ़, तारानगर और राजगढ़ की। उस पर अगर सौ मील तक नई मोटर भी जाकर आ जावे तो फौरन वर्कशॉप में जाने की जरूरत पड़ जाती है।

अब मैं बताऊं कि राजस्थान के निर्माण के पहिले ये बड़ी बड़ी रियासतें और छोटी भी, जो कुछ भी जैसी भी थीं, अपनी अपनी शक्ति के माफिक काफी तादाद में जनता को मदद देने के लिए और उसकी सुविधा के लिए सड़कें बना देती थीं; पर उनके बनने के बाद में आज तक इतनी मरम्मत तलब हो गई हैं ये सडकें कि यह ताज्जुब होता है कि इतने बड़े प्रदेश के निर्माण होने पर भी; उसकी माली हालत कहीं उन पुरानी रियासतों से ज्यादा होने पर भी, इस ओर कुछ भी तवज्जह नहीं दी जाती है।

जब मैं जनरल डिबेट के समय बोल रहा था तो गंगानगर-पदमपुरा की सड़क के लिए मैंने जिक्र किया था। पिछली ही साल उसके ऊपर १ लाख १३ हजार रुपया खर्च किया गया और पांच मील तक वह बनाई गई थी और इस साल १ लाख ५५ हजार उसे आगे बढ़ाने के लिए रकम रक्खी गई है। लेकिन पिछले साल जो सडक १ लाख १३ हजार की कीमत से ५ मील तक की बनाई गई थी, इस एक साल के अर्से में उस सड़क की आज यह हालत है कि वह सड़क न होती तो बेहतर होता।

यही हाल दूसरी सडकों का है जिनको पिछले साल राजस्थान सरकार ने बनाया है। उनका भी यही हाल है इससे तो वे सडकें न होतीं तो बेहतर होता। उन्होंने एक ही साल में खतरनाक रूप धारण कर लिया। उन पर एक्सीडेन्ट होना मामूली बात हो गई है। इसलिए यह असन्तोषजनक बात होगई है।

अब मैं म्युनिसिपल एरिया की सडकों के बारे में जो दो शब्द कहूंगा; वह यह कि वे सडकें अब किसी की नहीं रही। सरकार कहती है कि ये सड़कें म्युनिसिपल एरिया के अन्दर हैं इस लिये हमारा ताल्लुक नहीं। म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि हमारे पास धन की कमी है और हमारे पास ऐसे साधन भी नहीं हैं जिनसे हम इन सडकों की मरम्मत भी करवा सकें और नयी सड़कें बनवा सकें। ऐसी हालत हो रही है म्युनिसिपैलिटीज की कि वे अब समय के अनुकूल राजनैतिक दलों द्वारा चलाई जाती हैं। डेमोक्रेसी जो भारतवर्ष में आयी है वह ऐसा रूप धारण कर चुकी है कि जनहित का भी कोई काम बिना दलबन्दी या गुटबन्दी के पूरा नहीं हो सकता।

बीकानेर के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूं कि वहां की सड़कों के लिए वे अगली दफा जब कभी बीकानेर पधारें तो खाना खाकर इक्के में बैठकर उन सडकों पर घूमें तो उनको खाना भी पचाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, खाना अपने आप पेट से बाहर निकल आयगा। इसके अलावा मैं यह बतला देना चाहता हूं कि बीकानेर शहर की कुछ सड़कों की हालत ऐसी खराब होगई है कि वहां पर इक्के में बैठकर या मोटरों में बैठकर गर्भवती औरतों का वहां जाना बन्द कर दिया है; यह मैं कोई अतिशयोक्ति पूर्ण बात नहीं कह रहा हूं। बीकानेर में यह रिवाज है, खास कर पुष्करणा समाज में, जिनकी बहुत ज्यादा तादाद है, कि उनके यहां स्त्रियां सुबह पीहर जाती हैं और शामको वापिस सुसराल आती है। इसी प्रकार की रीति सेठ-साहूकारों में भी है। उन लोगों ने कई सडकों का नाम हमल गिराने वाली सड़क रख दिया है।

[श्री जसवन्तसिंह]

ऐसी हालत में चाहे वे सड़कें म्युनिसिपैलिटी की हद में हों, चाहे सरकार और म्युनिसिपैलिटी पैसे के अभाव में उनको नहीं बना सकती हो तो जन हित को ध्यान में रखकर सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि जिन सड़कों की इतनी खतरनाक हालत हो चुकी है उनको सुधारे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैंने इस पर कोई कट मोशन तो नहीं दिया फिर भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जवाब देने से पहले; वह यह कि पिछली साल अगस्त के महिने में मैं अपने कुछ मित्रों के साथ एक जीप में बैठकर भरतपुर से रवाना होकर दौसा के आगे पहुंचा तो हम देखते हैं कि वहां इस कदर पानी बह रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते वहां के लोगों ने कहा कि इसका पानी तीन रोज तक नहीं उतरेगा इसलिए आप वापिस लौट जाइये। वापिस हम जयपुर के लिए लौटे तो इधर आये तो इधर भी रास्ते में उसी प्रकार पानी बहता हुआ मिला और कहा गया कि जयपुर भी नहीं जा सकते। तो फिर जीप लेकर हम दौसा स्टेशन पर गये वहां से रेल द्वारा भरतपुर पहुंचे। जीप के ड्राइवर को पीछे छोड़ दिया और कह दिया कि जब पानी उत्तर जाये तो वह जीप लेकर भरतपुर आ जाय। तीन रोज में पानी उतरा जब वह आगे चला। बाद में मालूम हुआ कि बाणगंगा बह रही है। उसके लिये लोगों ने कहा कि इसका पानी तो चार महिने तक ऐसा ही चलता रहेगा, जाओ वापिस जयपुर जावो। वह बेचारा ड्राइवर अलवर के रास्ते से ८ रोज के बाद भरतपुर पहुंचा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह इम्पोर्टेन्ट सड़क है और जिसका खर्चा हमारी सरकार पर नहीं, यह इन्टर स्टेट सडक है अजमेर और आगरा तक यह सडक जाती है। इस पर पुल बनाने के लिए सेन्टर से डिमान्ड की जासकती है और की जानी चाहिये और जल्दी से जल्दी इस पर पुल बना दिया जाना चाहिये।

श्री तेजमल बापना—Mr, Speaker Sir, I beg to move "That the Demand for Grant No. XXV be reduced by Re. 1/- (to discuss corruption and favouritism prevelant in the Department)".

माननीय अध्यक्ष, मैं एक बात के लिए माननीय मंत्री महोदय की तारीफ करूंगा कि जिस वक्त इस साल की सड़कों के लिए स्कीम बन रही थी उस वक्त उन्होंने हर जिले के एम.एल.ए. को कन्सल्ट किया कि क्या क्या काम करना और क्या नहीं करना। उन्होंने उन पर विचार किया या नहीं किया, लेकिन जो प्रोवीजन भीलवाड़ा जिले के लिए रक्खा है उसके लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज जो स्थिति हमारे इस इलाके की है जैसा कि अभी अभी माननीय दो एक सदस्यों ने निवेदन किया उसी प्रकार की स्थिति हमारे उधर की भी है। भीलवाड़ा से मांडलगढ़ कहिये, भीलवाडा से मांडल के आगे आसींद बदनोर कहिये या भीलवाड़ा कोटड़ी जहाजपुर उस तरफ देखिये या गंगापुर के इलाके को देखिये बरसात के दिनों में ये अलग अलग टापू बन जाते हैं। इसके लिये बहुत कम प्रोवीजन रक्खा है। इस ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो प्रोवीजन दो सड़कों के लिए रक्खा है उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। आज इस पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर जो एजेन्सियां बनी हुई हैं और जिनके द्वारा नयी सड़कों के ठेके दिये जाते हैं, या नई बिल्डिंग्स के ठेके दिये जाते हैं इन एजेन्सियों के सिवाय दूसरों को नहीं दिये जाते। ८-१० लाख रुपया किसी जिले के लिए खर्च किया जाय और उसके लिए पब्लिसिटी न दी

[श्री तेजमल बापना]

जाकर उन्हीं को दे दिया जाता है, यह ठीक नहीं है । इससे पब्लिक का व हमारी गवर्नमेन्ट के काफी पैसे का दुरुपयोग होता है। इसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। भीलवाड़ा और शाहपुरा के बीच एक नाला पड़ता है जो साल में कई दफा बनता है और कई दफा गिर पड़ता है।इससे इधर उधर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी अभी का एक और किस्सा मैं निवेदन करूं कि भीलवाड़ा शहर की एक सड़क बन रही है। उस पर डामर पुतवाया जा रहा है तथा उसका ठेका ऐसे शख्स को दिया गया है जिसने कभी डामर की सड़क का काम ही नहीं किया। ऐसी परिस्थिति होगई है कि उसको अनुभव न होने की वजह से, काम ठीक नहीं हो पाता है। इस तरह से जान–पहिचान वालों को ठेका दे दिया जाता है जिससे होता यह है कि पब्लिक का पैसा व्यर्थ में वेस्ट जाता है। नतीजा यह होता है कि सरकार सडकें आज बनाती है और एक–दो साल बाद वापिस वैसी की वैसी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में रोष पैदा होता है कि यह पैसा क्यों बरबाद किया जाता है। दूसरा, जहां जनता के लिए काम होना चाहिये नहीं होता। मेरा निवेदन है कि इस महकमें में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है जो शायद माननीय मंत्री महोदय के भी ध्यान में होगा और दूसरा फेवरटिज्म (Favouritism) भी ज्यादा होता है, वाइड पब्लिसिटी (Wide publicity) नहीं होती। इसलिये मैंने अपने कट मोशन को प्रस्तुत किया है।

श्री मोतीराम (गंगानगर)—अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं श्री मन्त्रीजी का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले बजट के अन्दर भी मैंने मिनिस्टर साहब को गंगानगर का सारा बयान किया था तो मैं आशा करता था कि आयन्दा बजट में मेरे उस बयान का खयाल किया जायगा, लेकिन मैं आज भी इस बजट को देखता हूं तो उन बातों को ठुकरा दिया है, ऐसा मालूम पडता है। वह बात मेरी यह है कि बीकानेर गवर्नमेन्ट के वक्त ४० लाख रुपया गंगानगर, करणपुर और रायसिंहनगर में वाटर वर्क्स के लिये रखा गया था। पता नहीं वह रुपया कहां चला गया ? वाटर वर्क्स का नाम ही नहीं ! रुपये का पता ही नहीं कि कहां चला गया ? हमारी समझ में नहीं आता है कि यह सडक का काम कैसा होता है कि जहां सड़कों की जरूरत है वहां सड़क नहीं बन रही है। सड़क वहां बन रही है जहां कि अच्छी जगह है, मैं साफ कह देना चाहता हूं। (हियर, हियर)

गंगानगर के अन्दर मन्त्री महोदय मन्त्री बनने के बाद कई बार जा चुके हैं। इससे पहले भी वे वहां आये हुए हैं। वह ऐसी भूमि है कि वहां सडकों की ज्यादा आवश्यकता है। कारण यह है कि वह एक मरू रेत है और वहां सड़क नहीं होने से कांने पड़ जाते हैं जमीन के अन्दर। सैर करने के लिये जाते हैं या मौका देखने जाते हैं तो मोटर में बैठने वाले की रूह नहीं रहती है, रूह तब्दील हो जाती है (हंसी) इसलिये मुझे कहने की आवश्यकता है कि वहां पर सड़कों की जरूरत है। जहां सड़क की जरूरत नहीं है, जहां कि कॉन्क्रीट का गाला है वहां बिला सड़क के ही मोटर आ सकती है; वहांतो सडक रोजाना बन रही है। (हियर, हियर) किन्तु हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कारण यह है कि वहां से मन्त्री महोदय प्रेम नहीं करते हैं। (हंसी) तो मेरी प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक उस गंगानगर इलाके में, जहां से सब कुछ आपको मिलता है, हम आपका काम कर करके आपको खिलाते हैं, एक-दो टैक्स नहीं अनेक टैक्स देते हैं, और आप वहां का खयाल नहीं रखते !

[श्री मोतीराम चौधरी]

गंगानगर में ट्रेफिक में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, कोई सड़क नहीं बन रही है। सारे के सारे आप लेवता हैं, देवता कतई नहीं है। और हजारों-लाखों की तादाद में ट्रेफिक पर आपको रुपया मिलता होगा, क्योंकि एक ट्रक पर एक हजार रुपया लेते हैं सालाना। तो इस तरह से हमारे पास से जो हजारों की तादाद में ट्रेक्टर, सैकड़ों की तादाद में लॉरियां चल रही है। हमारा लारियों में बैठ कर चलने से भले आदमी की जो इज्जत है वह इज्जत नहीं रहती है, लेकिन मजबूर हो कर बैठ जाते हैं। यह हालत है। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम वाटर वर्क्स और सड़क के लिये उस इलाके के लिये ज्यादा खयाल रखें जहां कि हरेक इन्सान यह महसूस करता है कि यहां सड़क की जरूरत है। अगर कोई भला आदमी आता है तो वह कहता है कि इतना सरसब्ज इलाका है, सारी आमदनी करने वाला इलाका है, लेकिन सड़क एक भी यहां नहीं है।

मैंने प्रार्थना की थी पिछले बजट के अन्दर कि कम से कम म्युनिसिपल एरिया से ३-४ मील तक जहां ऐसे रास्ते नहीं है कि जहां चाहे चले जांय और वह रास्ता बाजाब्ता गवर्नमेन्ट से सड़क के रूप में कायम हुआ है। ३ मील के बाद में ऐसा स्थान आता है कि जहां से सड़कें फटती हैं, वहां गढ्ढे पड़े हैं। अगर वर्षा हो जाती है तो वहां कोई आदमी नहीं चल सकता है; न मोटर और न लॉरी। बारिश के मौके पर २-३ महीने तक रास्ता बन्द रहता है। यह हालत है उन सड़कों की। मैं गलत नहीं कहूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि वहां जब सड़क गहरी हो जाती है तो पानी भर जाता है और १-२ महीने तक तो वह सूखती ही नहीं है। वह सारी जमीन टीबे की जमीन नहीं है। अर्ज करने का मेरा मतलब था कि म्युनिसिपल एरिया के बाहर ३-३ मील तक कम से कम शहर की तरह सड़क पक्की करवा दें। रास्ते में ऊंट टूट जाते हैं, बैलों की टांगे टूट जाती हैं। बैलों की टांगे टूट जाती हैं तो वे वहां पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। जब रोड टैक्स हम बाकायदा देते हैं तो वहां २-३ मील की सड़क क्यों नहीं बनती है ?

आप कहेंगे कि पदमपुर में सड़क बनी है। उसका सीलिंग जो १९४९ में हुआ था वह खत्म हुआ जा रहा था तो उस कन्क्रीट को बिछा कर थोड़ा सा रोलर कर दिया गया। कैसी सड़क का नमूना बना था ? आज उन सड़कों का निशान तक नहीं है और हमसे कहा गया है कि सड़क आपकी बन गई है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप ठंडी निगाह से गंगानगर की तरफ, जहां का आप नमक खाते हैं, कन्ट्रोल करने की ओर ध्यान देते हैं तो टक्स में आपको पैसा मिलता है ; उसकी तरफ ध्यान किया जाय। मैं इतना कह कर बैठता हूं।

एक सदस्य—मन्त्री महोदय नमक तो सांभर का खाते हैं।

श्री सज्जनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई कट मोशन नहीं है; लेकिन जो इस वक्त कट मोशन सदन के सामने पेश किया गया है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में है जिससे जनता की सुख-सुविधा का सीधा सम्बन्ध है। तो इस सदन में दोनों ओर से जैसी आलोचनायें सदन के सामने पेश की गई हैं और जैसी स्थिति इस विभाग के संचालन की सदन के सामने लाई गई है, मैं समझता हूँ कि उनके साथ में भी अपना अनुभव मन्त्री महोदय के सामने पेश करूं तो बहुत संभव है कि इस निर्माण

[श्री सज्जनसिंह]
विभाग, सार्वजनिक विभाग, का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव (Inprove) हो तो जनता को सुविधा मिले, आराम मिले और जितनी धन राशि खर्च हो रही है उसका सदुपयोग होगा।

यह तो मैंने अभी निवेदन किया कि इस विभाग के सम्बन्ध में केवल मात्र इस समय इस तरफ से ही नहीं बल्कि सरकारी बेन्चेज की तरफ से जो शिकायतें और जो स्थिति पेश की गई है उससे मन्त्री महोदय यह जरूर विश्वास करेंगे कि इस विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन संतोष जनक नहीं है, और जिसमें इतनी धन राशि, ९ करोड़ रुपये से ऊपर खर्च हो रही है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ अवश्य है। जो कुछ बातें कही जा चुकी है उनका पुनरावर्तन करके मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता, अपना अनुभव मन्त्री महोदय के सामने रखता हूं और वह यह है कि मुझे दूसरे डिवीजनों का कोई विशेष अनुभव नहीं है, लेकिन कोटा डिविजन और उसमें खास तौर पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट का जो अनुभव है उसके आधार पर अपना अनुभव आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। बूंदी राज्य के जमाने में फेयर वैदर रोड्स और मेटल्ड रोड्स जो बनाई गई थीं तो नदी और नालों के ऊपर जो पुल बनाये गये थे उनकी स्थिति इस वक्त बड़ी दयनीय और चिन्ताजनक है। जो नदियों के ऊपर पुल बना दिये गये थे आज वे पुल बनाये जायं तो लाखों रुपये खर्च हों। उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि उनके दोनों तरफ नदी ने किनारे काट दिये हैं और पुल बीच में थमा हुआ है। वे यातायात ऐसे पहाड़ी इलाके में जो बनाये थे, मैं कहता हूँ कि उनके मैन्टीनेंस की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि जब इतनी धन राशि खर्च होती है तो आखिर इस धन का होता क्या है? वह कहां खर्च होता है? और मेरा यह सन्देह और भी स्ट्रोंग हो जाता है जब हाउस में चारों ओर से यह शिकायत आम तौर से देखी जाती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से अनुरोध करूँगा कि जब कांग्रेस और विरोधी दल के सभी सदस्यों को इससे संतोष नहीं है तो उनको मान लेना चाहिये कि इस विभाग में सुधार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि जब कभी मैं सड़क से ट्रेवल करता हूं तो देखता हूं कि जहां सड़क की मरम्मत होती है या नई बनती है, तो सड़क की जो चौडाई होनी चाहिये वह उनकी नहीं होती। हो सकता है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं हो कि उसकी चौड़ाई वही होनी चाहिये जो पहले थी। फिर भी ऐसा होता है कि इसके लिये मुझे शक है और इसीलिये मैंने एक प्रश्न के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि वे इसके बारे में जांच करें और अगर हमारी जो आशंका है कि ठेकेदार जो सड़कों की मरम्मत करते हैं या नई बनाते हैं उसकी चौड़ाई को कम कर रहे हैं। यदि यह मेरा कथन उचित पाया जावे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच कराई जावे। जहां जहां ऐसा हुआ है वहां के लिये जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे। वे इस पर विचार करें और उचित प्रबन्ध करें कि सड़कों की चौड़ाई कम न हो। यदि सडकों की चौड़ाई कम होती है तो जिस अभिप्राय से रुपया खर्च किया जाता है वह अभिप्राय पूरा नहीं होता। तो यह तो पब्लिक मनी का दुरुपयोग है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं यह बात आपके नोटिस में लाया हूं। अगर यह बात सत्य है तो इसके लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

Page No.113

[श्री सज्जनसिंह]

मैं इतना ही कह कर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके बैठ जाना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों की जो खराब स्थिति है उसको सुधारने के लिये जरूरी प्रयत्न करना चाहिये और जो प्लान बना रखे हैं उसके अन्दर जरूर कोई ऐसा इन्तजाम करना चाहिये जिससे धन का सदुपयोग हो।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मद पर क्या सदन के सदस्य और बहस करन चाहते हैं ?

(आवाजें 'हां')

श्री अध्यक्ष—क्या बहस अभी ६.३० तक चालू रखी जावे।

(आवाजें 'हां')

श्री अध्यक्ष—If it is so I want to know as to how many more members want to speak and to them I shall allow 5 minutes each to speak.

(कुछ सदस्य खड़े हुए)

श्री जयनारायण व्यास—१०-११ सदस्य खड़े हुए हैं इसलिये कल पर ही रखा जावे।

एक सदस्य—खडे तो ५-६ सदस्य हुए थे।

श्री भोलानाथ—इस पर उन सदस्यों के कट मोशन तो नहीं है ?

श्री सज्जनसिंह—क्यों कि यह एक बड़ा विभाग है, जिस पर लाखों रुपया खर्च होता है इस लिये इसके लिये समय दिया जाना ही चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने का अधिकार जरूर है लेकिन डिबेट कट मोशन के द्वारा ही हो सकती है। यदि सदस्य कट मोशन्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर तो इस डिबेट का कोई अन्त ही नहीं रहेगा।

श्री श्रीदास गोयल—यह दो करोड़ का मामला है इसलिये जिन सदस्यों के कट मोशन नहीं आये हैं उनको भी बोलने का अधिकार है।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, पोजिशन यह है, कि कट मोशन मूव करें वही बोल सकते हैं या अन्य सदस्य भी। वैसे तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार है, लेकिन फिर भी बजट के मामलों में समय का खयाल रखा जाता है। लेकिन यदि अधिक सदस्यों के बोलने की इच्छा हो तो मौका दिया जाना चाहिये। फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि पार्लियामेन्ट में यह सिस्टम नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय अध्यक्ष, हमको कोई आपत्ति नहीं है कि जितने सदस्य बोलना चाहें, बोलें; लेकिन जितना समय निश्चित है उससे आगे हम नहीं जा सकेंगे, यह सदस्यों के सोचने की बात है। यदि वे सडकों पर चलना ही ज्यादा अच्छा समझते हैं और शिक्षा, हास्पिटलों पर बहस नहीं करना चाहते तो ठीक है क्योंकि बाद में समय की कमी के कारण उनको शिक्षा, पब्लिक हैल्थ, होस्पिटल्स आदि पर बहस करना मुश्किल हो जावेगा।

श्री जसवन्तसिंह—आप क्लोजर मूव कर दें।

श्री जयनारायण व्यास—हमें क्लोजर मूव करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—No more closure. We will sit upto 6-30 P. M. I allow each member to speak for five minutes.

श्री संतोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, सडकों के मुताल्लिक में भी दो-चार शब्द कहना चाहता हूं। मौजूदा सडकें जो बनाई जा रही हैं वे माप और पैमाने के हिसाब से नहीं बनाई जा रही हैं। सडक २ टन और ३ टन के हिसाब से बनाई जाती हैं। वहां उस पर ट्रेफिक ६ टन से लगा कर १० टन का चलता है इसलिये जो सडकें बनती है और जब उन पर लॉरियें चलती हैं तो चन्द दिनों ही में वे सडकें टूट जाती हैं। इसका कारण यह है कि जिस लोड के हिसाब से सडकें बननी चाहिये नहीं बनती हैं। इसलिये गवर्नमेन्ट को यह चाहिये कि अमेरिका और इंगलेन्ड से जो जो लॉरियें दो-दो ढाई-ढाई टन की बन कर आती हैं उन लोरियों पर ५-५ टन और दस-दस टन का बोझा, रिश्वत ले कर ढोने की जो इजाजत दे दी जाती है वह न दी जावे क्योंकि सड़कों की इससे हालत खराब हो जाती है। ऐसा होने पर सडकें आगे आगे तो बनती जाती हैं और पीछे से टूटती जाती हैं। इसलिये सडकें माप और पैमाने के हिसाब से बननी चाहिये जिससे कि उनकी लॉग लाइफ हो सके।

इसके बाद, मैं, माननीय अध्यक्ष, कुछ रिवर बेंड के बारे में कहने से पहले यह अर्ज करना चाहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में सड़कें बनाई जाती है मगर गांवों और देहातों में जहां रेतीले रास्ते होतें हैं और बैल गाडियें चलती हैं उनके लिये भी सडकों का इन्तजाम होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप सारी की सारी सडकें बनादें ... (घंटी)

चूंकि घंटी बज चुकी है इसलिये में यही कह कर कि रिवर बेड्स बना दिये जावें अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करता हूं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—माननीय अध्यक्ष, सड़कों पर लाखों रुपये खर्च होते हैं और सरकार की तरफ से बताया जाता है कि फलां सड़क बनाई गई, फलां सड़क बनाई गई ; लेकिन हम अमली रूप में उन्हें देखते हैं तो मालूम होता है कि वास्तव में रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। मेरा इलाका जो एक तरफ यू. पी. से लगा हुआ है वहां ५ मील पर एक सड़क का टुकडा है और दूसरी तरफ पहाड़ी की सरहद पंजाब से दो मील पर है। वहां रियासतों के जमाने में अच्छी सडकें थीं क्योंकि वह सड़क भरतपुर को दिल्ली से मिलाती है और दिल्ली से आने-जाने वाले भरतपुर होकर इस तरफ आते हैं। मेरे इलाके

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

की सडकों पर पिछले साल कुछ काम नहीं हुआ। चार मील का टुकड़ा आगे बनता जाता है और पीछे से टूटता जाता है। अगर आप इसको ठीक नहीं कराना चाहते तो कम से कम कामा और पहाडी के बीच जो एक पुलिया पड़ती है जो कि बरसात में रास्ता रोक देती है और जहां नन्दगांव, बरसाना, गोरधन, कामा के अच्छे स्थान हैं, जहां लोग बाहर से आते हैं और जियारत करते हैं उसे ठीक किया जावे। जब लोग पंजाब से इधर आते हैं और राजस्थान की सड़कों की हालत को देखते हैं तो बडा ताज्जुब करते हैं। और राजस्थान की पिछड़ी हुई हालत मालूम हो जाती है।

तो मैं गुजारिश करूंगा मन्त्री महोदय से कि जहां लक्ष्मणगढ़ की सडकों का काम बारह महीने चलता रहता है तो कभी कभी कामा, पहाड़ी व दूसरे इलाकों की सड़कों पर भी काम होना चाहिये। जो दूसरी सड़कें बनती हैं वे तो बननी ही चाहियें पर साथ ही साथ भरतपुर डीग, कामा, पहाड़ी की सड़क भी बननी चाहिये। आप उस तरफ दौरे पर जायें तो आपको पता चलेगा कि वह पहाडों की सड़क इतनी खराब है कि हामिला औरतों के हमल गिर जायें।

आखिर में मैं राजस्थान निर्माण मन्त्री से गुजारिश करूंगा कि कामा, नन्दगांव, बरसाना और कामा पहाड़ी की सड़क जल्द बनाई जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्षजी, सिविल वर्क्स के बारे में बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि वर्क्स पर और भी आलोचनायें होतीं, पर इसका नाम पी. डब्ल्यू. डी. से हटा कर मन्त्रीजी ने सिविल वर्क्स रख दिया; क्योंकि पहले हम पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट कहा करते थे। पर अब जो यह इसका नाम बदला है इससे कोई सुधार नहीं हुआ है।

श्री कानसिंह—अब यह क्रिमिनल वेस्ट डिपार्टमेन्ट है।

श्री मानसिंह महार—मेरे दोस्त ने इसका नाम क्रिमिनल वेस्ट डिपार्टमेन्ट जो रखा है वह भी ठीक है।

निर्माण मन्त्रीजी ने इस ओर शायद कुछ कम ध्यान दिया है कि सड़कें आगे आगे बनती जाती हैं और पीछे पीछे टूटती जाती है। आप जयपुर से झुन्झुनू सड़क बन रही है उसे देख लीजिये और जयपुर से चौमूं जो सड़क बन रही है उसको भी देख लीजिये। जयपुर से चौमूं जो सड़क बन रही है वह अभी तक चौमूं पहुंची भी नहीं है और बिगड़नी शुरु हो गई है, उसमें खड्डे पड़ गये हैं। इस और सरकार कोई ध्यान नहीं देती और ठेकेदारों से जुर्माना वसूल नहीं करती और जो रुपया ठेकेदारों को देना होता है उसको नहीं रोकती। सरकार ऐसी बेकार सड़कों को पास कर देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती। अगर सरकार इस तरह की सड़कों को पास करने वाले ४-५ इन्जीनियर्स के खिलाफ सख्त कदम उठा कर उन्हें डिस्मिस कर देगी तो इस सम्बन्ध में सुधार हो जायगा।

मेरी तो यह मान्यता है कि राजस्थान में वर्क कन्ट्रोल का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वह राजस्थान के निर्माण मन्त्री को दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने वर्क कन्ट्रोल का पूरा काम

[श्री मानसिंह महार]
किया है। मनुष्य अगर बर्थ कन्ट्रोल नहीं करते हैं तो सडकों की खरावी के कारण, सडकों में बड़े बड़े खड्डे होने के कारण गर्भ गिर जाने से बर्थ कन्ट्रोल हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष नमूना चांदपोल से ढेर के बालाजी की जो सड़क जाती है, वह है। एक साल हो गया एक मील के टुकड़े के लिये चिल्लाते हुए। इस सदन में भी कहा गया पर हमारे निर्माण मन्त्रीजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

श्री टीकाराम पालीवाल—It amounts to a charge of miscarriage.

श्री मानसिंह महार—नहीं समझा।

श्री टीकाराम पालीवाल— It amounts to a charge of miscarriage.

श्री मानसिंह महार—फिर भी नहीं समझा।

माननीय अध्यक्षजी, इतना होने पर भी राजस्थान सरकार सिविल वर्क्स के ऊपर २ करोड़ रुपया खर्च कर रही है। उसमें से आज कल ३० परसेंन्ट रुपया तो इस डिपार्टमेन्ट के आदमियों को ही मिल जाता है, इस डिपार्टमेन्ट के आदमियों की जेबों में चला जाता है, इस बात से मन्त्री महोदय भी डिनाई (Deny) नहीं कर सकते। इसलिये ३० पर्सेन्ट रकम तो सरकार को पहले ही काट लेनी चाहिये ताकि इतनी रकम तो रह जाय। यह मैं मन्त्रीजी को कोंक्रीट सजेशन देता हूं कि जब भी इस तरह का काम करने के लिये रकम दें तो कम से कम ३० परसेन्ट तो काट ही लिया करें और अगर नहीं काटें तो पांच-चार इन्जीनियर्स को एक साथ भेजा करें ताकि रकम एक ही आदमी को न मिल कर बंट तो सके।

यही हाल बिजली घर का है। बिजलीघर के बारे में तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन सड़कों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय सड़कों की तरफ पूरा पूरा ध्यान दें क्योंकि राजस्थान में इस काम का बहुत महत्व दिया जा रहा है। जयपुर से झुन्झुनू सड़क का काम बहुत धीरे हो रहा है, हालां कि वह बहुत इम्पोर्टेन्ट रोड है।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि जो पुरानी सड़कें हैं उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक सड़क है जो कि ठीक हालत में तो है, पर उसके बगल में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि खड़े हाथी छुप जायें। अगर सिविल वर्क्स काम नहीं करायेगा और इन खड्डों को नहीं दूरा (भरा) जायगा तो वह सड़क कट जायगी और ५०-६० हजार रुपये की मन्जूरी देकर इसको नया बनाना पड़ेगा। इस वक्त तो अगर ध्यान देंगे तो अभी तो दो-चार हजार से ही काम चल जायगा। मैं निर्माण मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि अब जो नये निर्माण कार्य किये जायं तो उनमें यह ध्यान रखा जाय कि अच्छी और मजबूत सडकें बनें।

सडकों पर जो पुल बनते हैं उनका भी यही हाल है कि इस साल बनते हैं और अगले साल टूट जाते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्षजी, जो बहस चल रही है उसके दौरान में कोटा डिविजन की सड़कों के लिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा। यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मन्त्रीजी ने पिछली गरमी के दिनों में मई मास में कोटा डिविजन का दौरा किया था और यह महसूस किया कि कोटा डिविजन की जो खास सड़कें हैं वे कितनी खराब हो गई हैं। आपने उन सड़कों की दुरुस्ती का आर्डर भी दिया। लेकिन मुझे जो ध्यान खास तौर से दिलाना है वह इसलिये दिलाना है कि जो कार्य सेक्रेटेरियेट में होता है वह इतनी देरी से होता है कि साल में काफी समय व्यर्थ में निकल जाता है और मन्जूर की हुई रकमें लेप्स हो जाती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिन कामों के लिये काफी रकम मन्जूर की गई थी उनका काम देर से शुरु होने के कारण वह रकम लेप्स हो गई।

कोटा से झालावाड़ व कोटा से बारां जाने वाली सड़कों की दुरुस्ती की गई है, परन्तु इन सड़कों पर एक बरसात होने के बाद ही उसमें वापिस गड्ढे हो गये। यदि इसी तरह से सार्वजनिक रकम खर्च की जाती है तो मैं नहीं मानता कि किसी तरह का सदुपयोग हो रहा है। खास तौर से जो काम ठेके से कराये जाते हैं वे इसी तरह से होते हैं। पत्थर वगैरह जो मेटीरियल जिस तादाद में काम में आने चाहिये उस तादाद में ठेकेवाले काम में नहीं लेते। कई ठेकेदार कई सड़कों के अलग अलग नाम से ठेके लेते हैं और वास्तव में एक ही ठेकेदार काम करता है। कोटा डिविजन की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। कनवास से सांगोद तक जो सड़क जाती है वे इतनी खराब है कि उन पर जो मोटर व बसें जाती हैं उनमें बैठनेवाली सवारियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। कोटा से इटावा तक की रोड जो खास गल्ला देने वाले इलाके में है उस पर सड़क बनाने के लिये पुराने राजस्थान में मन्जूरी दी गई थी, लेकिन आज तक कोई पक्की सड़क नहीं बनी। जिन सड़कों के लिये रकम खर्च की जाती है वास्तव में उनके काम की निगरानी रखने की आवश्यकता है कि वास्तव में उतना कार्य होता है कि नहीं। किसी काम के लिये सरकार के ऑफिसों से मन्जूरी का ऑर्डर निकलने में कई महीने बीत जाते हैं और इस कारण जो काम शुरु किया जाता है वह समय पर पूरा नहीं हो पाता। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जिस काम के लिये मन्जूरी दी जानी हो वह मन्जूरी इतने समय पूर्व दे दी जानी चाहिये कि ठीक समय में वह कार्य पूरा हो सके और रकम लेप्स नहीं हो।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कट मोशन लाया गया है मैं निवेदन करूंगा कि सड़क-निर्माण की ग्रान्ट को मन्जूर करना आवश्यक है; इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है। यहां पर यातायात के साधन नहीं हैं, यह वास्तव में सही है। यह बात गवर्नमेन्ट के जिम्मेदार अफसर भी कहते हैं। जैसे कि एक मित्र ने कहा कि यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट है। वे लोग तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यह डिपार्टमेन्ट प्लन्डर विदाउट डेन्जर (plunder without danger) है। यह सही चीज है। मुझे मालूम है कि एक ठेकेदार ने एक एग्जिक्युटिव इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की कि वह रिश्वत में काफी रुपये मांगता है और आगे चल कर कई हजार रुपये उसे वापिस लौटाये गये। इस विभाग के लिये थोड़ी विजिलेन्स (Vigilence) की आवश्यकता है। यह सन्तोष की बात है कि हमारे मन्त्री महोदय काफी चौकन्ना हैं। पहले के मन्त्री भी इस ओर से काफी चौकन्ना थे और वे इस विभाग के अफसरों को बुला कर दोस्तों की तरह सलाह दिया करते थे। मैं

[श्री श्रीदास गोयल]

मानता हूं कि इसमें किसी हद तक डिस्करेजमेन्ट (discouragement) हुआ है लेकिन अब तक संतोषप्रद नहीं हुआ। ठेकेदार लोग एक चतुर कौम है। वे अपने २५-३० प्रतिशत के मुनाफे में से कुछ खर्च करने को भी तैयार रहते हैं। ठेकेदारों से २ परसेन्ट सिक्योरिटी डिपोजिट कराई जाती है और १० पर्सेन्ट उस समय दिया जाता है जिस वक्त वे काम पूरा कर देते हैं। लेकिन उनका बाद का पेमेन्ट इमीजियेटली (Immediately) कर दिया जाता है। इसके लिये इंजीनियर लोग इन्ट्रेस्टेड होते हैं जिसके कारण है। इस सम्बन्ध में यदि रूल्स बना दिये जावें कि ठेकेदार अपनी सिक्योरिटी डिपाजिट्स (Sequrity deposits) और १० पर्सेन्ट की रकम जल्दी वापिस नहीं ले पावेंगे तो आपके सुनने में यह बात कम आयगी कि आगे सड़क बन रही है और पीछे गड्ढे पड़ रहे हैं क्योंकि ठेकेदारों को भी ऐसी हालत में उनके १२-१/२ पर्सेन्ट जब्त हो जाने का डर रहेगा ... वे काम ठीक ढंग से करेंगे। कभी कभी तो ऐसी रकम ५० हजार तक पहुंच जाती है।

सवाई माधोपुर की सड़क के बारे में मैं निवेदन करूंगा। उसकी हालत मन्त्रीजी महोदय को मालूम है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आधी सड़क बनी हुई थी और आधी यों ही पड़ी हुई है। बहुत से लोग रणथम्भोर देखने के लिये सवाई माधोपुर जाते हैं। राजप्रमुख महोदय भी शिकार के लिये वहां जाते हैं। उनके साथ बहुत से मित्र बाहर के भी आते हैं। बरसात के दिनों में तो वहां की हालत और भी खराब हो जाती है। तांगे का एक पहिया २ फुट पानी में रहता है और दूसरा बाहर रहता है; यह वहां की सडक की हालत है। ६ मील के टुकड़े के कारण मध्य भारत की ओर जाने का रास्ता बन्द हो जाता है। एक बार वन-विभाग के मन्त्रीजी की गाड़ी फंस गई थी जो बहुत मुश्किल से निकाली गई थी। सवाई माधोपुर को राजस्थान के सुन्दर द्वार का खिताब मिर्जा साहब ने दिया था। पर वहां की सड़कों का जो हाल है वह आप स्वयं जानते हैं। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखा जायगा तो शायद हाउस को संतोष मिलेगा और ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

श्री **हिम्मतसिंह**—मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ दो एक बातें अर्ज करूंगा। जो मन्जूरी किसी काम को करने के लिये दी जाती है या ठेके दिये जाते हैं उनको देने की कार्यवाही करने में बहुत समय खर्च हो जाता है। फिर जनवरी-फरवरी में कार्य शुरु होता है और मार्च में बजट लेप्स होने के डर से पैसे लेने की फिकर पड़ती है इसलिये सारा काम बिगड जाता है। इसलिये अर्ज है कि साल के प्रारम्भ में ही ठेके आदि का काम पूरा हो जाय और कार्य प्रारम्भ हो जाय तो काम ठीक ढंग से हो सकता है और मंजूरी का पैसा भी लेप्स (Lapse) होने का डर नहीं रहता।

श्री **शंभूसिंह**—मैं भी इस कट मोशन के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिले में गंगापुर आबादी के लिहाज से दूसरे नम्बर का कस्बा है लेकिन भीलवाड़ा से गंगापुर तक सड़क बिल्कुल नहीं बन पाई है। गंगापुर से भीलवाड़ा के लिये इसे बना दिया जाय तो यह सड़क बन सकती है। इस सड़क की मन्जूरी हुए कई वर्ष हुए लेकिन इस सडक का काम शुरु नहीं हुआ। भीलवाड़ा से गंगापुर तक २४ मील मोटर बस जाती है पर रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि कई बार मोटर उलटने का डर रहता है।

[श्री शम्भूसिंह]

एक बार हमारी बस फंस गई थी। कई धक्के दिये पर आसानी से नहीं निकल सकी। इससे मुसाफिरों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट अर्ज करना चाहता हूं कि इन सड़कों पर चलने वाली मोटर लॉरियों द्वारा सरकार को जो आमदनी होती है उससे यदि इन सड़कों को और ठीक करा दिया गया तो काफी सर्विसेज चलेंगी और भविष्य में सरकार को भी काफी आमदनी होगी और पब्लिक को भी काफी राहत पहुंचेगी। मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि ठेकेदारों से आपको गारन्टी लेना चाहिये। बगैर गारन्टी लिये वे काम अच्छा नहीं करते। यदि (Piece meal) के ढंग पर टुकड़ों को ठेकेदारों में बांटे जाय तो काम जल्दी बन सकता है। भीलवाडा से गंगापुर की सड़क शीघ्र बनाई जानी चाहिये। मोटरें बरसात में चलनी बन्द हो जाती हैं और जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः भीलवाड़ा से गंगापुर और गंगापुर से कुआरिया तक यह सड़क बना दी जानी चाहिये। गंगापुर से रायपुर भी बना दी जाय ताकि छोटी छोटी तहसीलें जो हैं उनका भी लिन्क (link)हो सकेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी फायदा होगा। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **भैरूंसिंह** (विभाजन संख्या १२)—मैं एक मिनिट के लिए बोलना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—We have sufficiently debated.

श्री **भैरूंसिंह** (डिविजन नम्बर १२)—मैं एक ही बात कहूंगा। इस बाबत काफी बहस हो चुकी है। ज्यादा इस पर रोशनी डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि पाली और देसूरी की सड़क की हालत देखी जाय तो कोई भला आदमी मोटर चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कई आदमियों द्वारा इसके बाबत रिपोर्ट की गई। कहा तो जाता है कि जल्दी से जल्दी बना दी जायगी, जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे; किन्तु अभी तक उस सड़क पर काम नहीं किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि सादड़ी से राणकपुर का जो टुकड़ा है.....

श्री **अध्यक्ष**—आपने तो एक ही बात कहने की इजाजत ली थी।

(हंसी)

श्री **भैरूंसिंह** (जारी)—सादड़ी से जो राणकपुरजी का टुकड़ा है वह शीघ्र ही बना दिया जाना चाहिये। यह एक तीर्थस्थान है। यहां हजारों यात्री आते हैं। यह केवल ६ मील का टुकड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जल्दी कर रहे हैं इसलिये मैं अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि यह सड़क जल्दी से जल्दी बना दी जाय।

मेरी तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष महोदय के बंगले के सामने जो छोटा सा सड़क का टुकड़ा नहीं बना हुआ है उसको ठीक करा दिया जाना चाहिये।

(सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि एवं हंसी)

श्री अध्यक्ष—Now it depends upon the will of the members whether they want to hear the Minister concerned to-day or to-morrow. (श्री भोलानाथ को संबोधित करते हुए) How long will you take.

श्री भोलानाथ—आधा घंटा कम से कम; १५-२० मिनिट तो मुझे लगेंगे ही।

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव—यह आज ही ले लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने अपने हल्कों की, इलाकों की, तथा घरों के सामने की सड़कों का और मुहल्लों की सड़कों का जिक्र करके सिर्फ इस डिपार्टमेन्ट की आलोचना ही नहीं की है किन्तु अखबारों में छपवाने के लिये भी शायद सामग्री दी है। (हंसी)

मैंने देखा कि जिन सदस्यों के यहां अधिक से अधिक काम हो रहा है उन्होंने काफी कहा है। जैसे माननीय गोपीलालजी यादव ने कहा कि भरतपुर में पिछले दिनों अधिक से अधिक रुपया खर्च हुआ है।

श्री गोपीलाल यादव—मैंने भरतपुर के बारे में नहीं कहा था।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—आपने बाणगंगा के बारे में कहा था। मैं आपकी तसल्ली के लिये यह बता दूं कि बाणगंगा का पुल बन रहा है और आपकी जीप वहां अब नहीं फंसेगी।

(हंसी)

श्री जवानसिंह जी ने कहा था कि सिरोही में पब्लिक लाइब्रेरी का काम अधूरा पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह काम पुराना पड़ा हुआ है। इसमें कुछ झगड़ा था और इसीलिये यह अब तक पड़ी रही है। मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि यह काम पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत नहीं बना था। इस साल इसको बनाने का इरादा किया गया है और वह पूरा भी हो जायगा। (करतल ध्वनि)

अब आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल आता है वह यह है कि माननीय जसवन्तसिंह जी और संतोषसिंहजी के बीच का झगड़ा। श्री जसवन्तसिंहजी कहते हैं कि बीकानेर में सड़क बनाओ और श्री संतोषसिंहजी कहते हैं कि देहातों में बनाओ। अब फैसला कैसे हो? फिर भी गवर्नमेन्ट कोशिश कर रही है कि दोनों को संतुष्ट किया जाय।

मैं असलियत आपके सामने रखना चाहता हूं। जो मामूली तौर का खर्चा होता है वह पिछले बजट के मुताबिक ही रखा गया है। इसलिये शहरों की तरफ से भी शोर होता है, एप्रोच (approach) भी होता है। लेकिन इस बजट में ६ लाख रुपया देहातों का काट कर शहरों के लिये रखा गया है इससे देहातों की हालत

[श्री भोलानाथ]

खराब होगी परन्तु अगले साल आप सब मिलेंगे तो आपको शहरों की हालत ठीक मिलेगी। मुझे दुःख इस बात का है कि जितने रुपये सड़कों के लिये मिलने चाहियें थे उतने नहीं मिल सकते। सिविल वर्क्स का टोटल २ करोड से अधिक लिया गया है किन्तु इसमें फर्नीचर, वगैरह दूसरे खर्चे भी आते हैं और उन सब का टोटल जोड कर यह रकम रखी गई हैं। कट मोशन पेश करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ ५६ लाख रुपया सडकों की रिपेयर्स के लिये रखे गये हैं। राजस्थान असेम्बली के माननीय सदस्य कट मोशन्स के जरिए मदों को काटने के बजाय यदि सडकों के लिये रकम बढ़ा देते तो मैं उनको धन्यवाद देता। पं. नेहरू ने सड़कों के विषय में कहा है कि पहले सड़कें बनें और बाद में स्कूल और अस्पताल।

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)—क्या माननीय मंत्री महोदय सड़कें बनाने का नया तरीका बता रहे हैं। क्या सड़कें बनाने के लिये स्कूल्स और अस्पतालों को बन्द कर दिया जाय ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—नये अस्पताल और स्कूल्स बनाने के विषय में उन्होंने कहा था। हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स डिविजन्स से जुड़े हुए नहीं हैं। बीकानेर डिविजन तक राजधानी से जुड़ा हुआ नहीं है। रेवेन्यू से तो हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर माननीय सदस्य बजट समझने की कोशिश करते तो उनको इस प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती और कट मोशन्स भी नहीं रखते। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ७७ लाख रुपया सेन्टर से मांगा है। मैंने जो एक कॉन्फ्रेंन्स बुलाई थी और इसी वजह से कि फाइव इयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में जो २ करोड़ ५० लाख रुपया रखा गया है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाय। मुख्य मंत्रीजी ७७ लाख रुपया ला सकेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं। इस रकम से काफी काम हो जायगा। श्री हिम्मत सिंह जी ने कहा था कि काम देरी से शुरू होते हैं। यह बात ठीक है। राजस्थान की पिछले दिनों में जो हालत रही है वह कोई आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। बजट समय पर पेश नहीं हो पाये थे। इस वर्ष मुख्य मंत्रीजी की महरबानी है कि आपका बजट समय पर पेश हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल तक आपको रुपया खर्च न करने की शिकायत नजर नहीं आवेगी।

कोटा, भरतपुर, और भीलवाड़ा जिलों के लिये तो खास तौर पर इस बजट में रुपया रक्खा गया है। यहां के लोगों को तो शिकायत का मौका नहीं रहना चाहिये। कोटा, भीलवाड़ा में तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है। इन जगहों पर भूतपूर्व स्टेटों के महाराजाओं ने कई एक काम शुरू कर दिये थे लेकिन उन्होंने वे काम अधूरे छोड़ दिये थे, वे ही काम वहां अब हो रहे हैं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप अपने कट मोशन्स वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अलवर के बारे में भी क्या कुछ सोचा जावेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—हम सोच रहे हैं।

श्री **भोलानाथ**—आप ही काफी हैं सोचने के लिये।

श्री **अध्यक्ष**—Now what about motions ?

श्री **जसवन्तसिंह**—Allow me to withdraw my cut-motion.

श्री **जवानसिंह**—मैं सदन की अनुमति चाहता हूं अपना कट मोशन विथड्रा करने के लिये। जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया है उसकी बिना पर और इस आश्वासन की कदर करते हुए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को वापिस लेने की मुझे अनुमति प्रदान की जावे।

श्री **सोहनलाल**—मैं भी इजाजत चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—Mr. Bapna.

(श्री तेजमल बापना सदन से अनुपस्थित)

श्री **चन्दनमल बैद**—Shri Bapna has gone out, Sir.

श्री **अध्यक्ष**—Is it the leave of the House to allow these withdrawals. ?

(स्वीकृत)

Now the question is that the cut-motion moved by Shri Tajmal be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion of Mr. Bapna is defeated.

(विराम)

Now the question is, "that a sum not exceeding Rs. 2,00,48,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XXV, Major Head 50 and 50A-Civil Works."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

Before the Hon'ble Members leave the House and we meet at 8-15 A.M. tomorrow I want to know whether the Hon'ble Members would take more time in the morning for discussion. If this is so we will cancel the Question-Hour and devote the time thus saved to the discussion.

(विराम)

जन-लेखा तथा प्राकलन समितियों के लिये निर्वाचन

[श्री अध्यक्ष]

Then I want to make one more announcement about the elections for the two committees, viz. the Public Accounts Committee and the Estimates Committee because we had fixed a date for tomorrow and tomorrow we are having the evening session also. There is a request from both the whips that the time be extended. They wanted, instead of the evening time, the morning time. But I do'nt think it advisable to fix time earlier than what has been fixed. I can postpone the elections to a future date. But I think it will be convenient to have the elections from 9 to 12 in the morning and from 2 P.M. to 6 P.M., that is, we have taken the extra time from 9 to 12 in the morning. If the Members find it convenient, when the House meets, they can cast their votes.

We now adjourn till tomorrow at 8-15 A.M.

(सदन की कार्यवाही संध्या के ६ बज कर ४७ मिनिट पर कल प्रातः ८.१५ तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २६ मार्च, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव।